वार्षिक रिपोर्ट
2009-10

1/15 CZA

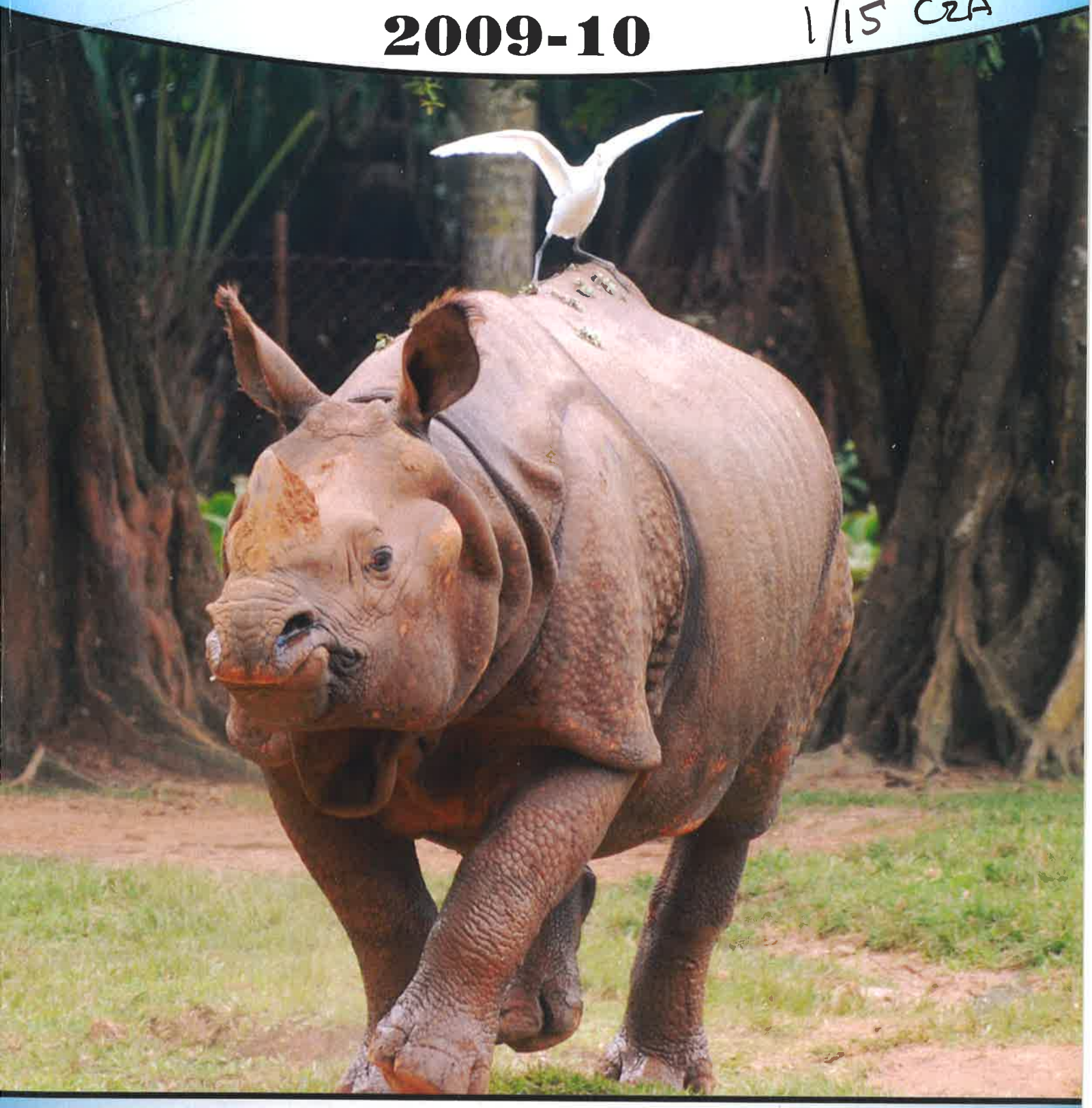

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
Central Zoo Authority

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
Central Zoo Authority

1/15 CZA

वार्षिक रिपोर्ट 2009-2010

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार का सावंधिक निकाय)

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार का सावंधिक निकाय)
बीकानेर हाउस, एनेक्सी VI , शॉहजहां रोड, नई दिल्ली-110011
फोन : 011-23381585, 23073072, 23073072, 23070735 (ईपीएबीएक्स)
फैक्स : + 91-11-23386012
ई-मेल : czs@nic.in वेब साइट : http://www.cza.nic.in

विषय सूची.....

विषय	पृष्ठ सं0
आमुख	1
चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009	3
चिड़ियाघरों का मानांकन	3
चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान / रद्द करना	4
संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	4
चिड़ियाघरों द्वारा जानवरों का आदान प्रदान/स्थानांतरण	4
स्टड-बुक रखरखाव	8
चिड़ियाघरों में योजनाएं/विषय वस्तु	8
मानव संसाधन विकास	9
शोध	10-11
चिड़ियाघरों का सुधार	11-12
प्रशासनिक मामले	12-14
वित्तीय मामले	14-15
वर्ष के दौरान की गई अन्य गतिविधियां	15
अनुलग्नक - I - भारत का राजपत्र - चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009	16-37
अनुलग्नक - II - वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मानांकन किए गए चिड़ियाघरों की सूची	38-41
अनुलग्नक - III - वर्ष 2009-10 के दौरान मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर	42-45
अनुलग्नक - IV - मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची	46-58
अनुलग्नक - V - केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चुने गए संकटापन्न वन्यजीव प्रजातियों की सूची जिन्हें समन्वित संरक्षण प्रजनन हेतु लिया गया है, समन्वय करने वाले चिड़ियाघर व सहभागी चिड़ियाघरों का ब्यौरा और भारत में चिड़ियाघरों में रखी गई प्रजातियों के जीवों की संख्या के साथ	59-65

अनुलग्नक - VI - संकटापन्न प्रजातियों में जन्म	66-73
अनुलग्नक -VII - केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में तैयार एवं रखा गया स्टड-बुक	74-75
अनुलग्नक -VIII - ऐसे चिड़ियाघरों की सूची जिनका मास्टर प्लान मिल चुका है	76-80
अनुलग्नक - IX - ऐसे चिड़ियाघरों की सूची जिनका मास्टर (ले-आउट) प्लान अनुमोदित किया गया है।	81-82
अनुलग्नक -X - केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वित्तपोषित चल रही शोध परियोजनाओं का ब्यौरा	83-86
अनुलग्नक - XI - विभिन्न चिड़ियाघरों और संबंधित संगठनों को रिलीज किए गए अनुदानों का ब्यौरा	87-93
अनुलग्नक -XII - वित्तीय विवरण	94-114
अनुलग्नक -XIII - मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, केन्द्र सरकार (अनुपालन लेखा परीक्षा) की 2008-09 की रिपोर्ट सं0 CA 16, जो संसद में 10 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत की गई।	115

आमुख

वर्ष 1992 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (संशोधन 1991) में, संशोधन के द्वारा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय चिड़ियाघरों में जानवरों के स्वास्थ्य एवं रखरखाव से संबंधित मानको एवं शर्तों को लागू करना तथा गैर योजनाबद्ध एवं कुविचारित चिड़ियाघरों की अतिवृद्धि को रोकना था जो अधिकतर पब्लिक पार्कों के साथ औद्योगिक समूहों व मार्गों के साथ पाए जाते हैं।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक सांविधिक निकाय है। प्राधिकरण एक 12 सदस्यीय निकाय है, जिसका मुखिया अध्यक्ष है। वर्तमान में राज्यमंत्री, पर्यावरण एवं वन (स्वतन्त्र प्रभार) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष है। सदस्य सचिव प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है।

प्राधिकरण को छठी बार गजट अधिसूचना संख्या एस ओ 1629 (ई) दिनांक 26.9.07 के माध्यम से तीन वर्षों के लिए पुर्नगठित किया गया व निम्न सदस्यों को इसमें नियुक्त किया गया :

1.	राज्यमंत्री, पर्यावरण एवं वन, (स्वतन्त्र प्रभार) भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष (पदेन)
2.	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
3.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
4.	अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) व निदेशक, वन्यजीव परिरक्षण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
5.	अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
6.	निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश	सदस्य (पदेन)
7.	निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य (पदेन)
8.	डॉ. एस कनैयन भूतपूर्व उपकुलाधिपति, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु	सदस्य

9.	डॉ. इरक के. भरुचा, निदेशक, भारती विद्यापीठ पर्यावरण शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र	सदस्य
10.	श्री कार्तिक सत्यनारायण, वन्यजीव एसओएस, नई दिल्ली	सदस्य
11.	डॉ. विभू प्रकाश, बोम्बे प्राकृतिक इतिहास संस्था	सदस्य
12.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

भारत में चिड़ियाघरों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संचालित तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति द्वारा निर्देशित किया जाता है। भारत सरकार ने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की सहायता से चिड़ियाघर मान्यता नियम, 1992 बनाये व देश में चिड़ियाघरों के प्रबंधन के लिए मानकों व प्रतिमानों का निर्धारण किया। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण देश के चिड़ियाघरों के कामकाज को देखता है व उनके सुधार के लिए तकनीकी व अन्य सहायता प्रदान करता है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सौंपे गए दायित्व :-

(क) चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं के आवासन रखरखाव और पशु चिकित्सीय संबंधी न्यूनतम स्तर को निर्धारित करना।

(ख) निर्धारित मानकों के आधार पर चिड़ियाघर की कार्यप्रणाली का समय-समय पर मूल्यांकन व आकलन करना।

(ग) चिड़ियाघर को मान्यता देना व मान्यता रद्द करना।

(घ) नियोजित प्रजनन के लिए वन्य पशुओं की संकटापन प्रजातियों की पहचान करना और इसके लिए चिड़ियाघर को जिम्मेदारी सौंपना।

(ड.) वंशवृद्धि के उद्देश्य से संबंधित कार्यकलापों जैसे पशुओं को प्राप्त करना, अदला-बदली करना और कर्ज देने में, इत्यादि का समन्वय करना।

(च) नियोजित प्रजनन में जन्मे संकटापन्न प्रजातियों वाले वन्य पशुओं से संबंधित स्टड बुक तैयार करना।

(छ) चिड़ियाघर में पशुओं के प्रदर्शन के उद्देश्य से उनकी प्राथमिकता और विषय वस्तु की पहचान करना।

(ज) भारत में और भारत के बाहर चिड़ियाघर कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना।

(झ) नियोजित प्रजनन से संबंधित शोध कार्यों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना।

(ञ) चिड़ियाघर को उनके सही प्रबंध और वैज्ञानिक आधार पर विकास के लिए तकनीकी और अन्य सहायता प्रदान करना।

(ट) चिड़ियाघर के प्रसंग में वैसे तमाम कार्य और कार्यक्रम करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करते हो।

प्राधिकरण के कार्यों को चलाने हेतु, सदस्यों के दो उप वर्ग बनाये गये हैं जिनका कार्यकाल प्राधिकरण के कार्यकाल के अनुरूप ही रखा गया है जिनके नाम है प्रशासनिक समिति (प्रशासनिक व बजट संबंधी मामलों पर निर्णय लेने हेतु, जिसके मुखिया वन महानिदेशक भारत सरकार है) व तकनीकी समिति (तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने हेतु - जिसके मुखिया अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) हैं)। वर्तमान चिड़ियाघरों के मास्टर प्लानों व प्रस्तावित नये चिड़ियाघरों के विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टों पर अनुशंसा देने व विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रस्तुत किये गये जानवरों के बाड़ों के डिजाइनों के अनुमोदन हेतु चिड़ियाघर डिजाइनिंग पर एक विशेषज्ञ वर्ग का प्राधिकरण में गठन किया गया है, जिसके सदस्य एक चिड़ियाघर डिजाइनर, एक आर्किटेक्ट व एक सिविल इंजीनियर हैं व सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण इसके संयोजक है।

माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री जयराम रमेश की अध्यक्षता में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 23वीं बैठक रिपोर्ट की अवधि के दौरान 11 जुलाई, 2009 को संपन्न हुई थी। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्रशासनिक समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई थी। चिड़ियाघर डिजाइनिंग संबंधी विशेषज्ञ समूह की 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं बैठक क्रमशः 29 अप्रैल, 2009, 6-7 जुलाई, 2009, 4 नवम्बर, 2009, 23 दिसंबर, 2009, 12 जनवरी, 2010 तथा 23 फरवरी, 2010 को संपन्न हुई थी। वर्ष के दौरान तकनीकी समिति की तीन बार बैठक बुलाई गई। तकनीकी समिति को 51वीं, 52वीं तथा 53वीं बैठक क्रमशः 23.7.2009, 20.1.2010 और 23.3.2010 को बुलाई गई थी।

चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009

चिड़ियाघर मान्यता नियम, 1992 का निषेध करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में पंजीयन सं0 डीएल-31004/99 के साथ अधिसूचना (विशेष भाग II, खंड 3, उप खंड 1) सं0 643 दिनांक 11 नवंबर, 2009 के जरिए चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 जारी किया है (अनुलग्नक-I)। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इन नियमों को विनयामक बनाने की बजाए इसके स्वरूप को सरल बनाने का प्रयास किया था ताकि भारत में चिड़ियाघर इन्हें सही भावना से लागू कर सकें।

चिड़ियाघरों का मानांकन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2009-10 के दौरान 3 बड़े, 7 छोटे और 23 अति लघु चिड़ियाघरों और 4 पुनर्वास केन्द्रों का मानांकन किया (अनुलग्नक-II)। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की आवश्यक मंजूरी मिलने पर मध्य प्रदेश के सतना जिले में मुकंदपुर में एक नया चिड़ियाघर बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान / रद्द करना

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2009-10 के दौरान , 5 बड़े, 2 मध्यम, 10 छोटे तथा 29 अति लघु चिड़ियाघरों और 5 पुनर्वास केन्द्रों को सशर्त मान्यता दी थी (अनुलग्नक-III) । देश में मान्यता प्राप्त 198 चिड़ियाघर (सर्कस सहित) हैं (अनुलग्नक- IV)।

संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम

भारतीय चिड़ियाघरों में 72 पहचान की गई अति संकटापन्न वन्य प्रजातियों के नियोजित संरक्षण प्रजनन का समन्वय केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कर रहा है। संरक्षित प्रजनन के लिए प्रजातियों का चुनाव मुख्य वन प्रतिपालक, वन्यजीव प्रबंधक व चिड़ियाघर निर्देशकों से सलाह करके लिया गया है। भारतीय चिड़ियाघरों में उन वन्य जीव प्रजातियों को समन्वित नियोजित संरक्षण प्रजनन में लिया गया है, जिनके जंगल में कुछ सौ/हजार (या 2500) से कम तथा चिड़ियाघरों में 100 से कम संख्या है। चुनी गई प्रजातियों के प्राकृतिक वितरण क्षेत्र के नजदीक दो से चार चिड़ियाघरों को संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिये चुना गया है। हिस्सा लेने वाले चिड़ियाघरों में से एक को प्रजातियों का समन्वय चिड़ियाघर बनाया गया है, जहां गैर प्रदर्शन संरक्षण, प्रजनन केन्द्र बनाया जाएगा। समन्वित नियोजित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए चुनी गई अति संकटापन्न वन्य जीव प्रजातियों की सूची तथा समन्वय व हिस्सा लेने वाले चिड़ियाघरों की सूची अनुलग्नक-V में दी गई है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारतीय गौर के बाड़े तथा बाघ के बाड़े के निर्माण के लिए अरीनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क को क्रमशः 47.2 लाख रु. और 46.6 लाख रु., धब्बेदार तेंदुआ के बाड़े में सुधार के लिए असम राज्य चिड़ियाघर को 7.73 लाख रु., हुलौक गिब्बन के बाड़े के निर्माण के लिए बायलोजिकल पार्क इटानगर को 50.67 लाख रु., किंग कोबरा के संरक्षण प्रजनन के लिए पिलखुआ बायलोजिकल पार्क मंगलोर को 10 लाख रु., संगाई के लिए मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन को 29.48 लाख रु., माउस डियर के लिए नेहरु जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को 18 लाख रु और भूरी जंगली मुर्गी के लिए श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क को 30 लाख रु. की राशि रिलीज की है।

उचित प्रदर्शन व भविष्य की आवश्यकताओं के बीमा के रूप में कम से कम प्रत्येक लक्षित प्रजाति के कम से कम 100 उचित रूप से प्रजनित व शारीरिक, मानसिक व आनुवंशिक रूप से स्वस्थ जीव भारत के चिड़ियाघरों में होने चाहिए। भारतीय चिड़ियाघरों में वर्ष 2009-10 के दौरान संकटापन्न प्रजातियों में जन्म की सूची अनुलग्नक-VI में दी गई है।

चिड़ियाघरों द्वारा जानवरों का आदान-प्रदान/स्थानांतरण

वर्ष 2009-10 के दौरान भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य जानवरों के 25 आदान-प्रदान प्रस्तावों व भारतीय व विदेशी चिड़ियाघरों के बीच 4 आदान-प्रदान प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया, अनुमोदित आदान-प्रदान प्रस्तावों की सूची नीचे दी गई है :-

(क) भारतीय चिड़ियाघरों के बीच जानवरों का आदान-प्रदान (2009-10)

चिड़ियाघर व दिए जाने वाले जानवरों के नाम		चिड़ियाघर व दिए जाने वाले जानवरों के नाम	
प0 जी.वी. पंत हाई एल्टीट्यूड जू, नैनीताल		**हिमालयन नेचर पार्क, कुफरी**	
		चीयर फिजेंट	2.2
नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद		**नंदनकानन जैविक उद्यान, भुवनेश्वर**	
माउस डिअर	0:1:0	माउस डिअर	1:0:0
कालीज़ फिजेंट	1:1:0	हॉग डिअर	1:0:0
फ्लाईंग फॉक्स	1:1:0	बार्किंग डिअर	1:0:0
रंगीन बगुला	2:2:0	घड़ियाल	0:0:2
		ओपन बिल स्टार्क	0:0:4
अरीनगर अन्ना प्राणी उद्यान वंडलुर		**संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, बोरीवली**	
सिंह (हाइब्रीड)	1:1:0	भूरी धब्बेदार बिल्ली	1:1:0
			M0800052
			M0800053
सक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़		**इंदौर नेचर पार्क, गांधीनगर**	
बंगाल टाइगर	1:1:0	वाक बगुला	2:2:0
तेंदुआ	1:1:0		
काला हिरण (सफेद)	2:2:0		
मयूर (सफेद)	2:2:0		
लखनऊ चिड़ियाघर, लखनऊ		**सक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़**	
भारतीय भेड़िया	0:0:2	भारतीय भेड़िया	0:1:0
		सारस क्रेन	1:1:0
बोंडला चिड़ियाघर बोंडला		**नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद**	
गौर	1:1		
हरियाणा में चिड़ियाघर		**बैनरघट्टा जैविक उद्यान, बंगलौर**	
		बाघ	2:2:0
अरीनगर अन्ना प्राणी उद्यान		**श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूर**	
जंगली कुत्ता	1:1	लाल जंगली मुर्गी	2:3
नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद		**बोंडला चिड़ियाघर, बोंडला, गोवा**	

चिड़ियाघर व दिए जाने वाले जानवरों के नाम		चिड़ियाघर व दिए जाने वाले जानवरों के नाम	
स्लाथ भालू	1:1	भारतीय गौर	1:1
मैत्री बाग चिड़ियाघर, भिलाई		**महाराज बाग चिड़ियाघर, नागपुर**	
सांभर	2:3	तेंदुआ	1:1
महरूरी कस्तूरी मृग फार्म, धरमनगर, बागेश्वर		**पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग**	
कस्तूरी मृग	0:1		
सिपाहीजला चिड़ियाघर, सिपाहीजला		**संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना**	
पिगटेल्ड मकाउ	1:1	एक सींग वाला गेंडा	0:1
धब्बेदार तेंदुआ	1:1		
स्पेक्टेकल लंगूर	1:1		
टाटा स्टील प्राणी उद्यान, जमशेदपुर		**असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहाटी**	
लाल जंगली मुर्गी	2:2	बंगाल टाइगर	1:0
श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान, मैसूर		**टाइगर एंड लॉयन सफारी, सिमोगा**	
हिमालयन काला भालू	1:1		
जंगली बिल्ली	1:1		
जयपुर चिड़ियाघर, जयपुर		**सक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़**	
भारतीय भेड़िया	1:0	भारतीय भेड़िया	1:0
सिपाहीजला प्राणी उद्यान, अगरतला		**प्राणी उद्यान, इटानगर**	
धब्बेदार तेंदुआ	1:1	धब्बेदार तेंदुआ	2:0
पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग		**जूलॉजिकल गार्डेन, अलीपुर**	
		भारतीय बाघ	1:0
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली		**गांधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर**	
सफेद बाघ	0: 1	चिंकारा	2:2
लखनऊ प्राणी उद्यान, लखनऊ		**मैत्री बाग चिड़ियाघर, भिलाई**	
तेंदुआ	2:2		
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली		**कन्नन पेंडारी चिड़ियाघर, बिलासपुर**	
काला हिरण	10:10	रॉक पायथन	1:1
बार्किंग डिअर	1:1	इंडियन कोबरा	1:1
राजकोट चिड़ियाघर, राजकोट		**सायाजी बाग चिड़ियाघर, बदोदरा**	

चिड़ियाघर व दिए जाने वाले जानवरों के नाम		चिड़ियाघर व दिए जाने वाले जानवरों के नाम	
		भारतीय बाघ	0:2
श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरूपति		**अरीनगर अन्ना प्राणी उद्यान, वंडलपुर**	
चौसिंगा	1: 1	बार्किंग डिअर	1: 2
		लकड़बग्घा	0: 1
राजकोट चिड़ियाघर, राजकोट		**सक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़**	
शेर-शावक	2:1		
जयपुर चिड़ियाघर, जयपुर		**राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली**	
स्लाथ भालू	1:0	स्लाथ भालू	0: 1
राजकोट चिड़ियाघर, देने वाला राजकोट		**सूरत चिड़ियाघर, देने वाला सूरत**	
		काला हिरण	2:2

(ख) **भारतीय व विदेशी चिड़ियाघरों के बीच जानवरों का आदान-प्रदान (2009-10)**

चिड़ियाघर व दिए जाने वाले जानवरों के नाम		चिड़ियाघर व दिए जाने वाले जानवरों के नाम	
श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूर		**लिपजिग चिड़ियाघर, लिपजिग**	
भारतीय हाथी (एलीफस मैक्सिमस)	0:2	अफ्रीकन चीता (एकिओनिक्स जुबेटस)	2:2
श्री चामराजेन्द्रा प्राणी उद्यान, मैसूर		**लिपजिग चिड़ियाघर, लिपजिग**	
भारतीय हाथी (एलीफस मैक्सिमस)	0:2	अफ्रीकन चीता (एकिओनिक्स जुबेटस)	2:2
मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, ममल्लापुरम		**प्रोटिविन क्रोकोडाइल जू, चेक गणराज्य**	
गैवियालिस गैंगेटिकस	1:1:5	मैलेनॉसुकस वाइजर	1:1:0
क्रोकोडाइलस पैलसट्रिस	1:1:0	क्रोकोडाइलस रोम्बाइफर	0:0:5
क्रोकोडाइलस मोरीलेटी	0:0:6	पैलिओस्कस ट्राइगोनेटस	1:1:0
कचुगा कचुगा	1:1:6	कैमन लैटिरोस्ट्रिस	1:1:0
		इनेक्टस म्यूरिनस	1:1:0
		इनेक्टस नोटियस	0:0:3
पैराडाइज वाइल्ड लाइफ पार्क, यू.के.		**पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जिलिंग**	
सेटायर ट्रैगोपन	2:2:0		
टेम्मिनिक ट्रेगोपन	4:4:0		

स्टड बुक का रख-रखाव

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उन 44 प्रजातियों, जिन्हें संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है की राष्ट्रीय स्टड बुक/एनीमल प्रोफाइल को भी संकलित किया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून ने भारतीय चिड़ियाघरों में रखे गये 44 चिन्हित वन्य जीव प्रजातियों में से 14 प्रजातियों की राष्ट्रीय स्टड बुक को बनाने व अद्यतन करने का कार्य आरंभ कर दिया है (अनुलग्नक-VII)। सभी अपेक्षित प्रजातियों की 31 मार्च, 2009 तक की राष्ट्रीय स्टड बुक/प्रोफाइल में प्रकाशित की जायेगी। संकलित डाटा व कार्यक्रम के अंतर्गत स्टड बुक को भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून व केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत के सभी मुख्य चिड़ियाघरों (57) व संबंधित संगठनों (4) को 1 जनवरी, 2009 से इंटरनेशनल स्पेसिज इनफोरमेशन सिस्टम/जूलोजिकल इनफोरमेशन सिस्टम (आईएसआईएस/जैडआईएमएस) के सदस्यता के लिए प्रायोजित किया है। प्राधिकरण अगले 5 वर्षों के लिए सभी चिड़ियाघरों व संगठनों की सदस्यता शुल्क व प्रशिक्षण व्यय का भुगतान करेगा। कार्यक्रम के तहत चिड़ियाघरों ने आईएसआईएस (आइसिस) व केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ डाटा का आदान-प्रदान पहले ही आरंभ कर दिया है। इंटरनेशनल स्पेशिज इनफोरमेशन सिस्टम (आइसिस) ने सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को आइसिस बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में भी स्वीकार कर लिया है।

चिड़ियाघरों में योजनाएं/विषयवस्तु

यदि चिड़ियाघर का विकास व प्रबंधन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार किया जाता है तो भारत में चिड़ियाघर का विकास व प्रबंधन को वाणिकी/वन्य जीव संरक्षण गतिविधि माना जायेगा। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों को भविष्य में विकास के लिए विस्तृत दीर्घावधि मास्टर प्लान बनाने हेतु कॉनसेप्ट प्लान को अंतिम रूप देने में भी सहायता प्रदान की। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य वन्यजीव विभागों और प्रत्येक चिड़ियाघर के संचालकों के साथ चिड़ियाघरों के कानसेप्ट प्लान को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न राज्यों में 20 सुविधा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, चिड़ियाघरों के मास्टर प्लान को तैयार करने में मदद करने हेतु कन्सलटेंट या विशेषज्ञ रखने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। मास्टर प्लान बनाने हेतु बृहत चिड़ियाघरों को 4 लाख रु., मध्यम चिड़ियाघरों को 3 लाख रु., लघु चिड़ियाघरों को 2 लाख रु. व अतिलघु चिड़ियाघरों/डियर पार्क/पुर्नवास केन्द्रों को 1 लाख रु. उपलब्ध करवाया जा रहा है। केन्द्रीय चिड़ियाघर ने, मास्टर प्लान बनाने हेतु जिन चिड़ियाघरों से अनुरोध प्राप्त किए हैं, मान्य राशि का 40 प्रतिशत अग्रिम के रूप में और ले-आउट प्लान की मंजूरी के बाद 30% भुगतान किया है तथा शेष 30% राशि समग्र रूप में मास्टर प्लान की मंजूरी के बाद रिलीज की जाएगी। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को 2009-10 में चिड़ियाघरों से 126 विस्तृत मास्टर प्लान मिले हैं (अनुलग्नक-VIII), जिन्हें

अनुमोदन हेतु विश्लेषण किया जा रहा है। अब तक चिड़ियाघरों के 34 मास्टर प्लानों को अनुमोदित किया गया है (अनुलग्नक-IX) ।

मानव संसाधन विकास

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (के० चि० प्रा०) ने 6-8 नवम्बर, 2009 तक पद्मजा नायडू हिमालयन प्रणाली उद्यान, दार्जिलिंग में हिम तेंदुए के संरक्षण प्रजनन पर एक कार्यशाला को प्रायोजित किया है और वित्तीय सहायता के रूप में 5 लाख रु. उपलब्ध कराए हैं। विभिन्न चिड़ियाघरों और संस्थानों से 20 से अधिक सहभागियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया और हिम तेंदुआ संरक्षण संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों में काम करने वाले रखवालों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर"चिड़ियाघरों में सरीसृपों का प्रबंधन" संबंधी विषय पर 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एमसीबीटी महाबलीपुरम, लखनऊ प्राणी उद्यान लखनऊ, राजीव गांधी प्राणी उद्यान, पुणे और असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहाटी में से प्रत्येक को 3.2 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित कार्यशाला में चिड़ियाघर कर्मियों को नामित एवं प्रायोजित किया है।

1. 26-31 नवंबर, 2009 तक राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान, बल्लभगढ़ द्वारा आयोजित "इथिकल ट्रीटमेंट टू द एनिमल्स" संबंधी पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चिड़ियाघरों से 14 पैरा मेडिकल स्टाफ आये।

2. पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग, मांडा चिड़ियाघर, मांडा (जम्मू), नेचर पार्क कुफरी, हाइ एल्टीट्यूड चिड़ियाघर नैनीताल और हिमालयन प्राणी उद्यान गंगटोक के निदेशकों ने 9-13 दिसंबर, 2009 तक श्रीनगर में आयोजित" हांगुल और अन्य संकटापन्न हिरण प्रजातियों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" में हिस्सा लिया।

3. अरीगनार अन्ना प्राणी उद्यान वंडालौर, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, चैन्नई स्नेक पार्क, तिरूवनंतपुरम प्राणी उद्यान और त्रिशूर चिड़ियाघर के पशु चिकित्सकों ने 3-5 फरवरी, 2010 को चैन्नई में संपन्न" वन्य जीव संरक्षण, स्वास्थ्य एवं रोग तथा प्रबंधन-ए पोस्ट मिलेनियम एप्रोच" संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में हिस्सा लिया।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने ड्यूरेल वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन ट्रस्ट, जर्सी, यू.के. द्वारा 20.7.2009 से 7.8.2009 तक आयोजित संकटापन्न प्रजाति पुनःस्थापन पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए श्री राहुल भटनागर, उप मुख्य वन्यजीव वार्डन, वार्डन उदयपुर और उदयपुर चिड़ियाघर के प्रभारी तथा डॉ0 अतुल गुप्ता, पशु-चिकित्सक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल चिड़ियाघर को भेजा।

Fig. 1 : Zoo Keepers training programme at Assam State Zoo, Guwahati

Fig. 2 : Zoo Keepers training programme at Rajiv Gandhi Zoological Park, Pune

शोध

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर में रखे गए जीवों के लिए सजीव भोजन (कीट) का प्रबंध करने की दृष्टि से प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान, मैसूर को 2 वर्ष की अवधि के लिए 2.0 लाख रु. के अनुदान के साथ लघु अनुदान शोध परियोजना का कार्य सौंपा है।

चिड़ियाघर में हिम तेंदुआ के संरक्षण प्रजनन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने पद्मजानायडू हिमालयन प्राणी उद्यान को 2 वर्ष की अवधि के लिए 3.52 लाख रु. के अनुदान के साथ हिम तेंदुआ के लिए एक शोध परियोजना का कार्य सौंपा था।

निम्नलिखित शोध परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी हैं और संबंधित चिड़ियाघरों/संस्थानों ने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को अंतिम रूप प्रस्तुत कर दी है।

1. कानपुर प्राणी उद्यान द्वारा" भारतीय चिड़ियाघरों के लिए मॉडल आपदा प्रबंधन प्लान"
2. पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग द्वारा" चिड़ियाघरों में रिकार्ड का रखरखाव"
3. मद्रास वेटनरी कॉलेज, चैन्नई द्वारा "पायलट स्टडी ऑन कॉमन फूट एलमेंट्स इन कैप्टिव एशियन एलीफेंट ऑफ तमिलनाडु"
4. राजीव गांधी प्राणी उद्यान, पुणे द्वारा " भारत में चिड़ियाघरों और उद्यानों में सरीसृपों के रखरखाव के लिए दिशा-निर्देश बनाना"
5. पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग द्वारा" हिमालयन काला हिरण के संरक्षण प्रजनन के लिए व्यवहारात्मक अध्ययन"
6. इंडियन वेटनरी रिसर्च वीआरआई, बरेली द्वारा" भारतीय चिड़ियाघरों में जंगली जीवों के रोग निदान और चिकित्सा संबंधी मानक, दिशा-निर्देश और प्रोटोकॉल"

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वित्तपोषित चिड़ियाघरों में चल रही शोध परियोजनाओं की सूची अनुलग्नक- X में दी गई है।

चिड़ियाघरों में सुधार

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के चिड़ियाघर डिजाइनिंग संबंधी विशेषज्ञ समूह की वर्ष के दौरान 6 बैठकें हुई थीं। विशेषज्ञ समूह की 8वीं बैठक (वर्ष के दौरान पहली बैठक) 29 अप्रैल, 2009 को हुई थी, जिसमें किसी भी प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया था। कोझीकोड जिला, केरल के पेरुवन्नामुझी में पुनर्वास केन्द्र बनाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी और इसी बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार सदस्यों ने संशोधित प्लान प्रस्तुत करने की इच्छा जाहिर की थी।

चिड़ियाघर डिजाइनिंग संबंधी विशेषज्ञ समूह की 9वीं बैठक 6-7 अप्रैल, 2009 को संपन्न हुई थी और समिति द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन करते हुए बाड़ों (संख्या 2) की डिजाइन अनुमोदित की गई थी तथा 13 चिड़ियाघरों के मास्टर ले-आउट प्लान को अनुमोदित करने की सिफारिश की गई थी।

10वीं बैठक 4 नवंबर, 2009 को संपन्न हुई थी और समिति द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन करते हुए बाड़ों (संख्या 6) की डिजाइन अनुमोदित की गई थी तथा 9 चिड़ियाघरों के मास्टर ले-आउट प्लान को अनुमोदित करने की सिफारिश की गई थी।

11वीं बैठक 23 दिसंबर, 2009 को संपन्न हुई थी और बाड़ों (संख्या 3) की डिजाइन अनुमोदित की गई तथा झरकली, प0 बंगाल में सैटेलाइट सुविधा को अनुमोदित करने की सिफारिश की गई थी जिसका उद्देश्य मौजूदा प्राणी उद्यान, अलीपुर की भीड़-भाड़ को हटाना था ताकि अलीपुर के मास्टर प्लान में इसे समाविष्ट किया जा सके।

12वीं बैठक 12 जनवरी, 2010 को संपन्न हुई थी तथा समिति द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन करते हुए बाड़ों (संख्या 4) की डिजाइन अनुमोदित की गई तथा एक चिड़ियाघर के मास्टर ले-आउट प्लान को अनुमोदित करने की सिफारिश की गई। मुकंदपुर, जिला सतना, म0प्र0 में एक नया चिड़ियाघर और पुनर्वास केन्द्र बनाने के मास्टर प्लान के अनुमोदन हेतु सिफारिश की गई थी बशर्ते केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यह निर्णय करे कि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में नए चिड़ियाघर को अनुमति दी जाए। इसी बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघर डिजाइनिंग की विशेषज्ञ समूह की बैठक में सदस्यों के समक्ष मास्टर प्लान पर चर्चा करने के लिए चिड़ियाघरों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगा।

विशेषज्ञ समूह की 13वीं बैठक 23 फरवरी, 2010 में संपन्न हुई थी; गोरेवाड़ा, नागपुर, महाराष्ट्र में संरक्षण केन्द्र और नया गोरेवाड़ा चिड़ियाघर बनाने संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सदस्यों द्वारा जांच की गई थी। सदस्यों ने यह महसूस किया कि भारतीय उप-महाद्वीप के अलावा पूरे विश्व की फूल और वनस्पति के साथ, जो काफी महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं, नाइटसफारी सहित अनेक बड़े चिड़ियाघर मास्टर प्लान में यह निर्णय करे कि क्या राज्य सरकार प्लान को सहायता प्रदान करने के लिए बजटीय जरूरतों को पूरा कर पाएगी।

समिति ने अनेक अन्य सुझाव दिए और संशोधित प्रस्ताव की मांग की। समिति ने तिरूपति चिड़ियाघर के रात्रिक आवास की डिजाइन को अनुमोदित किया और समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुपालन के अध्यधीन 5 अन्य चिड़ियाघरों के संशोधित मास्टर ले-आउट प्लान को अनुमोदित किए जाने की सिफारिश की। चिड़ियाघरों के दो नए मास्टर ले-आउट प्लानों को भी अनुमोदित किए जाने की सिफारिश की गई थी।

समिति ने चिड़ियाघरों के सुधार हेतु 1000.10 लाख रु. की वित्तीय सहायता अनुमोदित की। सर्कसों से छुड़ाये गये शेर व बाघों के पुनर्वास हेतु बनाये गये 7 पुनर्वास केन्द्रों को उनके रख-रखाव व जानवरों के भोजन व दवाई आदि के लिए 430.52 लाख रु. दिये गये। विभिन्न चिड़ियाघरों व अन्य संगठनों को 2009-10 के दौरान निर्गत की गई अनुदानों का ब्यौरा अनुलग्नक- XI में दिया गया है।

प्रशासनिक मामले

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना में 16 नियमित/निविदा वैज्ञानिक/प्रशासनिक कर्मी हैं जो सदस्य सचिव को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता करते हैं। डॉ0 बी.आर. शर्मा ने सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के रूप में अपना कार्यकाल 1 सितंबर, 2009 को पूरा किया और डॉ0 राजेश गोपाल, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने 2 सितंबर, 2009 से 31 दिसंबर, 2009 तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार संभाला। श्री बी.एस. बोनल, आईएफएस (असम-मेघालय कैडर) ने 1 जनवरी, 2010 से सदस्य सचिव के रूप में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का कार्यभार संभाला। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की कार्यालय की स्थापना से संबंधित स्थिति और पदों के नाम निम्नानुसार हैं :

क्र0सं0	पद का नाम	पदाधिकारी का नाम	वेतनमान रुपयों में
स्थायी आधार पर			
1.	सदस्य सचिव	डॉ0 बी.आर. शर्मा (1.9.09 तक) डॉ0 राजेश गोपाल (2.9.09 से 31.12.09) श्री बी.एस. बोनाल (1.1.2010 से)	37,400-67,00 (ग्रेड पे 10,000 रु.)
2.	वित्त अधिकारी	श्री पी.सी.एस. नेगी	15,600-39,100 (ग्रेड पे 5,400 रु.)
3.	निजी सचिव	सुश्री सीमा बुरेजा	9300-34,800 (ग्रेड पे 4600 रु.)
4.	लेखाकार	श्री आर.एस. रावत	9300-34,800 (ग्रेड पे 4200 रु.)
5.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक	श्री विवेक गोयल	9300-34,800 (ग्रेड पे 4,200)
6.	निजी सहायक	श्रीमती नीति गुलाटी	9300-34,800 (ग्रेड पे 4,200 रु.)
7.	उच्च श्रेणी लिपिक	श्री सुरेश शर्मा	5,200-20,200 (ग्रेड पे 2,400 रु.)
8.	निम्न श्रेणी लिपिक	श्री ठाकुर दास	5,200-20,200 (ग्रेड पे 1,900 रु.)
9.	स्टाफ कार ड्राइवर	श्री हरिसिंह भण्डारी	5,200-20,200 (ग्रेड पे 1,800 रु.)
10.	चपरासी	श्री पी.के. झा	5,200-20,200 (ग्रेड पे 1,800 रु.)
11.	चपरासी	श्री गोपाल स्वामी	4,440-7,440 (ग्रेड पे 1,300 रु.)

क्र0सं0	पद का नाम	पदाधिकारी का नाम	वेतनमान रुपयों में
आउटसोर्स आधार पर			
12.	निगरानी एवं मूल्यांकन अधिकारी	डॉ0 बृज किशोर गुप्ता	34,100 रु.
13.	वैज्ञानिक अधिकारी	डॉ0 नईम अख्तर	28,600 रु.
14.	लेखाकार	एस.एन. धौलाखंडी (3.9.2009 से)	13,500 रु.
15.	कार्यालय सहायक	सुश्री मधुबाला	13,200 रु.
16.	कार्यालय सहायक	सुश्री नीता अटल	12,100 रु.
17.	सफाई कर्मचारी	श्रीमती राधा	4950 रु.

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सेंट्रल जू आथॅरिटी टू एजुकेशनल इंडिया लिमि0 (EdCIL) नोएडा-योजना का स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य सौंपने में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के वन्यजीव विंग की सहायता की है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट मिली है जिन्होंने स्थायी आधार पर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की पुरजोर सिफारिश की है ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

वित्तीय मामले

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1750.00 लाख रु. का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इस राशि में से वर्ष के दौरान कुल 1525.67 लाख रु. विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के चिड़ियाघरों एवं अन्य संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में दिए गए हैं।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को चिड़ियाघरों के सुधार हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सीमित सहायता अनुदान प्राप्त होता है। 27.1.2009 को आयोजित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 22वीं बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण केवल उन्हीं जानवरों के आवास में सुधार हेतु जो पहले से ही चिड़ियाघर में हैं व बुरे आवासों के कारण परेशान है, व क्षेत्र की चिन्हित संकटापन्न वन्य जीव प्रजातियों व पशु चिकित्सीय सुविधाओं (अन्य संरचना सहित) में सुधार हेतु वित्तीय सहायता देगा। पुनर्वासित/आधिक्य वन्य जीवों के लिए गैर-प्रदर्शन आवास सुविधा हेतु भी केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार धनराशि देगा। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण समन्वित नियोजित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के तहत चिन्हित अति संकटापन्न वन्य जीव प्रजातियों के लिए समन्वय करने वाले चिड़ियाघरों को गैर प्रदर्शन प्रजनन

केन्द्रों को बनाने व रख रखाव के लिए धनराशि देगा।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2009 के लिए चिड़ियाघरों में रिकार्डों के बेहतर रख-रखाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रजाति आसूचना प्रणाली के एआरकेएस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के लिए 24 चिड़ियाघरों और 4 संस्थाओं को प्रायोजित किया है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वर्ष 2009-10 के लेखाओं को संकलित कर लिया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वित्त अधिकारी द्वारा कर ली गई है व केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लेखों की अंतिम लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, वैज्ञानिक लेखा परीक्षा विभाग, जो कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन है, के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों) अधिनियम 1971 एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के खंड 38 ई (5) व (6) के अधीन की गई। वर्ष 2009-10 के लेखाओं की प्रतिलिपि जिसमें प्राप्ति व भुगतान लेखे आय व व्यय लेखे व 31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र दिये गये हैं, अनुसूचियों के साथ अनुलग्नक-XII में दी गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कामकाज पर की गई टिप्पणी अनुलग्नक-XIII में दी गई है।

वर्ष के दौरान किए गए अन्य क्रियाकलाप

पुनर्वास केन्द्र :

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने सर्कसों से पुनर्वास किये गये शेरों, बाघों, चीतों, भालुओं व बन्दरों के लिए बने बंगलौर, चेन्नई, तिरूपति, विशाखापतनम, भोपाल, जयपुर व दक्षिण खैराबरी (पश्चिम बंगाल) में बने सात पुनर्वास केन्द्रों को रखरखाव (भोजन व दवाई मिलाकर) के लिये 430.52 लाख रु. उपलब्ध करवाये।

कुछेक चिड़ियाघरों में हाथियों के असंतोषप्रद रखरखाव को देखते हुए, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारतीय चिड़ियाघरों में हाथियों के रखरखाव पर एक एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि चिड़ियाघरों में रखे गए सभी हाथियों का राष्ट्रीय पार्क/अभयारण्य/बाघ संरक्षण में वन विभाग के पास उपलब्ध हाथी शिविरों/पुनर्वास शिविरों/सुविधाओं में पुनर्वास किया जाए ताकि विभाग उनका उपयोग कर सके। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर इस संबंध में हाथियों की ढुलाई की लागत वहन करेगा।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एण्ड एक्वेरियम (वाजा) का 1993 से संबद्ध सदस्य रहा है व वर्ष 2008 के दौरान वाजा सेक्रिटेरियट को 93873/- रु. (सी.एच.एफ. 2500) का सालाना सदस्यता शुल्क दिया गया है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने आइयूसीएन (आईयूसीएन) के स्पेशिज सरवाईकल कमीशन के कन्जर्वेशन ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप को जिसकी कन्जर्वेशन ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप को जिसकी कन्जर्वेशन कौंसिल का प्राधिकरण प्रोटेक्टर सदस्य है, को 1000 अमेरिकी डालर का योगदान दिया।

अनुलग्नक-I

रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II–खण्ड 3–उप–खण्ड (i)
PART-II - Section 3 - Sub- section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 643] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2009/कार्तिक 20, 1931
No. 643] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2009/KARTIKA 20, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली...10 नवम्बर , 2009

सा.का.नि. 807(अ) केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (च) और खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और चिड़ियाघर मान्यता नियम 1992 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है,

अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :

(क) "अधिनियम" से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) "केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 38क के अधीन गठित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "प्रजनन संरक्षण केन्द्र" से वन्य जीव की संकटग्रस्त प्रजाति के प्रजनन संरक्षण संबंधी योजना को विशेष रूप से समर्पित प्रसुविधा अभिप्रेत है ;

(घ) "बाड़ा" से चिड़ियाघर के पशुओं के लिए उपलब्ध किया गया कोई आवास अभिप्रेत है ;

(ङ) "बाड़ा अवरोध" से किसी पशु को बाड़े के भीतर रोकने के लिए बनाया गया अवरोध अभिप्रेत है ;

(च) "संकटग्रस्त प्रजाति" से अधिनियम की अनुसूची I और अनुसूची II में सम्मिलित प्रजातियां अभिप्रेत है ;

(छ) "गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति" से ऐसी संकटग्रस्त प्रजाति अभिप्रेत है जिनकी देश के सभी चिड़ियाघरों में एक साथ कुल संख्या 200 से अधिक नहीं रखी हुई है ;

(ज) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न कोई प्रारूप अभिप्रेत है ;

(झ) "तमाशाई कार्य" से कोई ऐसा प्रयास अभिप्रेत है जिसके द्वारा सरकस के करतब दिखाने सहित अस्वाभाविक कार्य करने के लिए पशु को बाध्य किया जाता है ;

(ञ) "बचाव केन्द्र" से अधिनियम की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पशुओं की लंबी अवधि की देखभाल करने के लिए कोई स्थापन अभिप्रेत है ;

(ट) "स्टैण्ड आफ बैरियर" से वह भौतिक अवरोध अभिप्रेत है जो बाड़ा अवरोध के बाहरी किनारे से पीछे बनाया गया हो ;

(ठ) "चिड़ियाघर निदेशक" से चिड़ियाघर का भार साधक, उसे चाहे किसी नाम से अभिहित किया गया हो जो चिडियाघर के दिन प्रतिदिन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो, अभिप्रेत है ;

(ड) " चिड़ियाघर संचालक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका चिड़ियाघर के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण हो परंतु ;

(I) किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ की दशा में उसका कोई एक भागीदार अथवा कोई एक सदस्य; अथवा

(II) किसी कंपनी की दशा में चिड़ियाघर के कार्यों के लिए प्रभारी और कंपनी के प्रति उत्तरदायी किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी ; अथवा

(III) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के स्वामित्व में या उसके द्वारा नियंत्रित या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विधिक कोई न्यास या सोसाइटी सरकार की दशा में, यथास्थिति, उस सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के संबद्ध विभाग के सचिव को चिड़ियाघर संचालक समझा जाएगा ।

3. मान्यता के लिए आवेदन पत्र

(1) किसी चिड़ियाघर को मान्यता देने के लिए अधिनियम की धारा 38ज के अधीन आवेदन प्ररूप "I" में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को किया जाएगा ।

(2) किसी नए चिड़ियाघर की स्थापना के लिए अधिनियम की धारा 38ज की उपधारा (1क) के अधीन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए कोई आवेदन, ब्यौरेवार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ प्ररूप क में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को किया जाएगा ।

4. आवेदन के लिए शुल्क

नियम 3 के अधीन प्रत्येक आवेदन के लिए दस हजार रुपए की फीस का संदाय डिमांड ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर के माध्यम से "केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली" के पक्ष में किया जाएगा

5. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और उसमें दिए जाने वाले बयौरे

नियम 3 के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी और प्ररूप 'I' में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में दस्तावेज और विवरण भी अंतर्विष्ट किए जाएंगे ।

6. पूछ-ताछ करने और जानकारी मंगाने की शक्तियां

अधिनियम की धारा 38ज के अधीन चिड़ियाघर को मान्यता देने से पूर्व केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ऐसी पूछताछ कर सकेगा और आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने की मांग कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. **मान्यता का स्वरूप**--(1) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, चिड़ियाघर में पर्याप्त प्रसुविधा और मानकों के संबंध में समाधान होने पर ऐसे चिड़ियाघर को मान्यता दे सकेगा ।

(2) किसी चिड़ियाघर को दी गई मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्

(क) जब तक स्थाई आधार पर मान्यता प्रदान नहीं की जाती है तब तक मान्यता एक वर्ष से अन्यून की ऐसी अवधि के लिए होगी जैसी मान्यता में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(ख) चिड़ियाघर ऐसे मानकों और मानदंडों के अनुपालन करेगा जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के द्वारा या उनके अधीन विनिर्दिष्ट या अधिरोपित किए गए हैं या किए जाएं ; और

(ग) चिड़ियाघर समय-समय पर चिड़ियाघर की देखभाल और रखरखाव के उद्देश्य के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेगा ।

8. **मान्यता का नवीकरण**---(1) इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त कोई चिड़ियाघर, मान्यता की अवधि समाप्त होने से तीन मास पूर्व प्ररूप 'I' में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को आवेदन भेजेगा ।

(2) नियम 3, नियम 4, नियम 5, नियम 6, और नियम 7 के उपबंध, मान्यता के नवीकरण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार मान्यता देने के संबंध में लागू होते हैं सिवाय इसके कि मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन के संबंध में संदेय फीस पांच हजार रुपए देने होंगे।

9. **चिड़ियाघरों का वर्गीकरण**---(1) चिड़ियाघरों की मान्यता के लिए मानकों और मानदंडो के निर्धारण और चिड़ियाघरों के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए, चिड़ियाघरों को उनके क्षेत्र, दर्शकों की संख्या, प्रजातियों और पशुओं संख्या, संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके संग्रहण में संकटग्रस्त प्रजातियों के पशुओं की संख्या को ध्यान में रखा जाएगा और चिड़ियाघर को तदनुसार सारणी में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् :

क्रम सं.	चिड़ियाघर की श्रेणी	श्रेणी में अर्हित होने के लिए मानदंड					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		चिड़ियाघर का क्षेत्रफल (है. में)	प्रतिवर्ष दर्शकों की संख्या (लाखों में)	प्रजातियों की संख्या	पशुओं की संख्या	संकटग्रस्त प्रजातियां की संख्या	संकटग्रस्त प्रजातियां के पशुओं की संख्या
1.	बड़ा	75	7.5	75	750	20	100
2.	मध्यम	35	3.5	35	350	10	50
3.	छोटे	10	1.0	10	100	3	15
4.	लघु	10 से कम	1.00 से कम	10 से कम	100 से कम	---	---

(2) चिड़ियाघर जो कि किन्ही चार पूर्वोक्त मानदंडों को (किंतु प्रजातियों और पशुओं की संख्या सहित) पूरा करता हो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा उस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

परंतु केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी शर्तो के यदि कोई हो, अधीन रहते हुए जो उस आदेश में पशु चिकित्सक और पर्यवेक्षी स्तर के कर्मचारिवृंद के नियोजन सहित चिड़ियाघर के क्षेत्रफल, हाउसिंग, देखरेख और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के संबंध में अधिकथित की गई हों, संकटग्रस्त प्रजातियों को रखने के लिए लघु चिड़ियाघर को अनुज्ञात कर सकेगा ।

10. मान्यता के लिए मानक और संनियम ---

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के हितों पर विचार करने तथा इस बात पर समाधान हो जाने पर कि ऐसे चिड़ियाघर द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानक और मानदंड तथा अन्य बातों को पूरा कर दिया गया है, चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करेगा :

परंतु यह कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, यदि वह उचित समझता है और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे चिड़ियाघर को, जिन्होंने पूर्व में काफी सुधार दर्शित किया है और जिनके पास युक्तियुक्त समय सीमा के भीतर विहित मानकों और संनियमों का अनुपालन करने का सामर्थ्य और संसाधन हैं और जो ऐसा करने के इच्छुक हैं, शर्तों यदि कोई हो, के साथ मान्यता प्रदान कर सकेगा। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप चिड़ियाघरों में गुणात्मक सुधार होगा और चिड़ियाघरों के उनकी विद्यमान स्थिति के आधार पर बंद किए जाने के कारण उद्भूत होने वाली संभारतंत्र संबंधी समस्याओं से बचा जा सकेगा ।

11. अभिलेख रखना और सूची भेजना

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्ररूप में और रीति में अपने संकलन में प्रत्येक प्रजाति के पशुओं के जन्म, प्राप्ति, मृत्यु और निपटान का अभिलेख रखेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त वर्णित विवरणों के साथ प्रत्येक चिड़ियाघर में संग्रहीत पशुओं की सूची, प्ररुप II में, आगामी वर्ष की अप्रेल की 30 तारीख तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सौंपेगा ।

परंतु अधिनियम की अनुसूची I और अनुसूची II में अंतवर्लित प्रजातियों के पशुओं से संबंधित विवरण के साथ शवपरीक्षा रिपार्टो के आधार पर मृत्यु के कारणों की पहचान करने वाले विवरण, उक्त त्रैमासिक के समाप्ति के 15 दिन की अवधि के भीतर प्रत्येक त्रैमासिक को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सौंपेगा ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने क्रियाकलाप और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्रधिकरण द्वारा अनुबद्ध शर्तो के अनुपालन की एक वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के जून की 30 तारीख तक केन्द्रीय चिड़ियाघर प्रधिकरण को सौंपेगा।

अनुसूची
(नियम 10 देखें)

1. साधारण अपेक्षाएं .....

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर, वन्य जीवन संरक्षण और प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वस्थ्य स्वरूप पशुओं को प्रदर्शित करके दर्शकों को विश्वसनीय संरक्षण संदेश संसूचित करने के हेतुक को बढ़ावा देने के लिए भौतिक रूप से, आनुवांशिक रूप से और व्यवहार में स्वस्थ्य पशुओं की जनसंख्या स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर, उचित भूदृश्य-निर्माण करके और समुचित प्रजातियों के पौधों को लगाकर चिड़ियाघर के भीतर एक प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराएगा जिससे कि दर्शक प्रकृति के साथ संपर्क और प्रकृति के साथ मिलकर जीने के लिए उत्प्रेरित होने में समर्थ हो सके ।

(3) प्रत्येक चिड़ियाघर, ऐसी रीति में चिड़ियाघर में दर्शकों के संचलन को विनियमित करने का प्रयास करेगा, जिससे चिड़ियाघर के पशु असम्यक् रूप से परेशान, तनावग्रस्त या उत्तेजित न हो और चिड़ियाघर को सप्ताह में कम से कम एक दिन दर्शकों के लिए बंद रखा जाएगा ।

(4) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में दर्शकों की अविनियमित पहुंच और चिड़ियाघर के पशुओं को क्षति, उनकी चोरी और परभक्षण के विरुद्ध सुरक्षोपाय के रूप में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी मानकों के अनुसार चिड़ियाघर की सीमा के साथ-साथ समुचित रूप से अवरोध तैयार करेगा ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर को, जो मानवीय भूदृश्य से घिरा है, दोनों ओर से भूतल से कम से कम दो मीटर ऊंची पेरीमीटर दीवार से घेरा जाएगा ।

(6) चिड़ियाघर परिसरों के भीतर किसी आवासीय कालोनी का संनिर्माण नहीं किया जाएगा ।

परंतु जहां ऐसी कालोनियां पहले से विद्यमान है, वहां उन्हें चिड़ियाघर परिसर से एक सीमा दीवार से पृथक् किया जाएगा जो भूतल से कम से कम दो मीटर ऊंची होगी। आवासीय कालोनी का प्रवेश चिड़ियाघर परिसरों के माध्यम से नहीं होगा ।

7) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने प्रचालन को ऐसी रीति में करेगा जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर न्यूनतम दबाव पड़े और जिससे न्यूनतम मात्रा में ठोस अपशिष्ट और बहिःस्राव उत्पन्न हो और चिड़ियाघर ऐसी रीति में जो न्यूनतम प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव डाले, बहिःस्राव और ठोस अपशिष्ट में कमी करके, उनका पुनः उपयोग करके और पुनः चक्रण करके तथा व्ययन करके प्रभावी अपशिष्ट प्रबंध व्यवहारों को स्थापित करने के लिए भी प्रयास करेगा ।

(8) प्रत्येक चिड़ियाघर, दर्शकों के समक्ष बीमार, चोटिल, निःशक्त और रस्सी से बंधे पशुओं का प्रदर्शन से विरत रहेगा और ऐसे पशुओं को समुचित देखभाल और स्वास्थ्य लाभ देने के लिए विशेष रूप से उद्धिष्ट गैर-प्रदर्शन सुविधाओं में रखा जाएगा ।

(9) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर परिसरों के भीतर घरेलू पशुओं और पालतु पशुओं को रखने से बचेगा और घरेलू गाय-भैंसों, आवारा पशुओं और पालतु पशुओं के चिड़ियाघर परिसरों में प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय भी स्थापित किए जाएंगे ।

2. प्रशासनिक और कर्मचारिवृंद संबंधी पैटर्न

(1) चिड़ियाघर प्रचालक, समुचित रैंक वाले किसी अधिकारी को चिड़ियाघर के 'पूर्णकालिक प्रभारी' के रूप में तैनात करेंगे जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे अधिकारी को चिड़ियाघर के पशुओं को उचित रूप से रखे जाने, देखभाल करने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए तथा चिड़ियाघर का योजनाबद्ध रीति से प्रबंध करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और अवसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जाए ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक, चिड़ियाघर के पशुओं को उचित रूप से रखे जाने, देखभाल करने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अनुसंधान और दर्शक शिक्षा के लिए, चिड़ियाघर के प्रभारी अधिकारी को पर्याप्त वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा, अर्थात् :--

क्रम सं.	कर्मचारिवृंद का प्रवर्ग	बड़ा चिड़ियाघर	मध्यम चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	लघु चिड़ियाघर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संग्रहपाल	1	1	1	लघु चिड़ियाघर, स्थानीय रूप से उपलब्ध उपयुक्त रूप से अर्हित व्यष्टियों की सहायता प्राप्त करेंगे।
2.	पशु चिकित्सक	2	1	1	
3.	शिक्षा अधिकारी	1	1	1	
4.	जीव–विज्ञानी	1	1		

(3) उस दशा में जब वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, ऐसे पदों के लिए भर्ती नियमों में उनकी पदोन्नति के लिए नमनीय अनुपूरक स्कीम के फायदे सहित कैरियर प्रगति के लिए उपबंध होगा।

3. विकास और योजना

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर, एक मास्टर योजना तैयार करेगा और उस मास्टर योजना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमोदित कराएगा ।

(2) ऐसे चिड़ियाघर, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रचालन कर रहे हैं, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपनी मास्टर योजना तैयार करेंगे और उस मास्टर योजना को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमोदित कराएंगे ।

(3) उप पैरा (1) और उप पैरा (2) में निर्दिष्ट मास्टर योजना में, अन्य बातों के साथ, 20 वर्ष की अवधि के लिए चिड़ियाघर के सकल विकास की योजना सम्मिलित होगी, जिसे चिड़ियाघर द्वारा अपनाई गई थीम के आधार पर तैयार की गई एक ब्यौरेवार कार्य योजना के साथ प्रत्येक दस वर्ष में पुनरीक्षित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हरित पट्टी, लॉन, बगीचे, पशु प्रदर्शन क्षेत्र, दर्शकों के लिए प्रसुविधाओं, पशुओं की देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्थनकारी अवसंरचना, प्रशासनिक और अनुरक्षण इकाई के लिए भवनों के लिए अवस्थान उपदर्शिष्टत किए जाएंगे ।

(4) चिड़ियाघर के लिए उद्दिष्ट क्षेत्र के कम से कम 30% क्षेत्र को हरित पट्टी के अधीन रखा जाएगा और प्राकृतिक वनस्पतियों तथा पशुओं के रहने का क्षेत्र, चिड़ियाघर के क्षेत्र के 30% से अधिक नहीं होगा ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर, सभी पक्के भवनों, जिनके अंतर्गत चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों के लिए सुविधाएं भी हैं, ऐसी रीति में अवस्थित करने और डिजाइन तैयार करने में पर्याप्त सावधानी बरतेगा जिससे कि चिड़ियाघर का प्राकृतिक भू-दृश्य और पशु बाड़ों को ढका नहीं जाए और चिड़ियाघर की सफाई और स्वच्छता प्रभावित न हो ।

(6) प्रत्येक चिड़ियाघर, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के परामर्श से एक संग्रहण योजना तैयार करेगा जिसमें चिड़ियाघर में रखे जाने वाले पशुओं की प्रत्येक प्रजाति का नाम और प्रत्येक प्रजाति के पशुओं की अधिकतम संख्या को उपदर्शित किया जाएगा, और इसे प्रजातियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अवस्थान की जलवायु संबंधी परिस्थितियों की अनुकूलता, प्रजातियों की उचित देखभाल तथा स्वास्थ्य के लिए स्थान और अवसंरचनात्मक समर्थन की उपलब्धता, चिड़ियाघर की प्रजातियों की प्राकृतिक आवास रेंज से निकटता और चिड़ियाघर का प्रजातियों के प्रबंध और प्रजनन में पूर्व अभिलेख को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा तथा कोई भी चिड़ियाघर अपने संग्रहण में नई प्रजातियों या प्रजातियों के अतिरिक्त पशुओं को रखने के लिए पशुओं को रखे जाने तथा उनकी देखभाल संबंधी मानकों से समझौता नहीं करेगा ।

(7) कोई भी चिड़ियाघर किसी बचाए गए पशु को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक उसने ऐसे पशु के लिए बाड़े और देखभाल प्रसुविधाओं और साथ ही करंतीन अवधि के दौरान उसे एकांत में रखने के लिए प्रसुविधाओं को समुचित रूप से तैयार न कर लिया हो ।

(8) जब कभी कोई चिड़ियाघर किसी बचाए गए पशु को अपने यहां रखने जाने के लिए स्वीकार करने का विनिश्चय करता है, ऐसे स्रोत, जिससे वह पशु प्राप्त हुआ है, इसके अर्जन की वैधता और चिड़ियाघर में पशु को रखे जाने, देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में एक ब्यौरेवार रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को भेजी जाएगी :

परंतु उस दशा में, जहां कोई बचाया गया पशु किसी संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है, वहां रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी ।

(9) प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के लिए संस्थापक पशुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए किसी विशिष्ट चिड़ियाघर में किसी पशु को भेजे जाने के संबंध में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का विनिश्चय संबंधित चिड़ियाघर पर आबद्धकर होगा ।

4. पशु आवास, पशुओं का प्रदर्शन और पशुओं के बाड़े

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर, पशुओं को प्रकृति को अंतर्निहित करने वाले बाडों में उपदर्शित करने का प्रयास करेगा ।

(2) प्रत्येक बाड़े के डिजाइन और आकार को प्रजाति के जैव व्यवहार और उसमें रखे जाने वाले पशुओं की संख्या को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

(3) चिड़ियाघर यह सुनिश्चित करेगा कि बाड़ा पशु, पशु की देखभाल करने वाले व्यक्तियों और दर्शकों के लिए सुरक्षित और सुनिश्चित है और उसमें पशुओं के स्वतंत्र विचरण, व्यायाम और प्राकृतिक व्यवहार की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित स्थान है ।

(4) समूह या झुंड में प्रबल पशुओं से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए पशुओं को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) कोई भी चिड़ियाघर किसी पशु को ऐसे बाड़े में प्रदर्शित नहीं करेगा, जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार नहीं है ।

(6) प्रत्येक चिड़ियाघर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पशुओं की प्रजाति विनिर्दिष्ट व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बाड़े की परिस्थितियों को अधिकाधिक अनुकूल बनाने के लिए विशेष प्रयास करेगा ।

(7) साथ लगे बाड़ों के बीच पर्याप्त ओट उपलब्ध कराई जाएगी जिससे कि पशु इन बाड़ों में रखे गए अन्य पशुओं को देखकर असम्यक् रूप से उत्तेजित या तनावग्रस्त न हो ।

(8) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए कोई नया बाड़ा संनिर्मित नहीं किया जाएगा ।

(9) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में दर्शकों के आवागमन को विनियमित करने के लिए प्रत्येक पशु प्रदर्शन बाड़े में समुचित रूप से तैयार किए गए और प्रभावी बड़े व्यवधान ऐसी रीति में उपलब्ध कराएगा, जो दर्शकों को पशुओं के आस-पास या निकट पहुंचे बिना और उन्हें पशुओं को भौतिक रूप से स्पर्श करने या उन्हें उत्तेजित करने का अवसर दिए बिना वन्य जीवों का आबाधित दृश्य प्रस्तुत करे और प्रत्येक चिड़ियाघर ऐसे पर्याप्त सूचना-पट भी प्रदर्शित करेगा जो दर्शकों को पशुओं से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की चेतावनी दें ।

(10) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रत्येक प्रदर्शन बाड़े में वन्य जीवन की प्रजातियों के जीव-विज्ञान व्यवहार और जनसंख्या संबंधी प्रास्थिति की सुसंगत जानकारी वाले उपयुक्त सूचना-पट उपलब्ध कराएगा :

परंतु यह कि बडे और मध्यम आकार के चिड़ियाघर, बाड़े में प्रदर्शित प्रजातियों के व्यवहार और जीव-विज्ञान को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए परस्पर क्रियाशील निर्वचन प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे ।

5. पशुओं की देखरेख और स्वास्थ्य देखभाल

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने संग्रहण में सामाजिक और व्यवहार में जीवनक्षम समूहों में पशुओं को रखेगा और उनकी देखभाल करेगा । किसी भी पशु को तब तक उसके समूह से अलग नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करना पशु या समूह के अन्य पशुओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक न हो :

परंतु यह कि इस प्रकार पृथक् किए गए पशुओं को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार रखा जाएगा ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने संग्रहण में रखे सभी पशुओं को समय पर ऐसी गुणवत्ता वाले खाद्य का, जो ऐसी संरचना और ऐसी मात्रा में होगा कि प्रत्येक पशु की पोषणीय और व्यवहार संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति हो, प्रदाय किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाएंगे कि कोई भी पशु इस आधार पर उपोषित न हो कि कोई अन्य प्रबल पशु उन्हें भोजन में उनके अंश को ग्रहण करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और चिड़ियाघर प्रचालक चिड़ियाघर में विद्यमान सभी पशुओं को पूरा समय पेयजल का प्रदाय सुनिश्चित करेगा ।

(3) पशुओं को खाद्य के वितरण का समय, खाद्य को रखने का स्थान और खाद्य के वितरण की पद्धति को ऐसी रीति में विनियमित किया जाएगा कि पशुओं को आहार लेने संबंधी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और कौशल तथा व्यवहार को अभिव्यक्त करने के अधिकतम अवसर प्राप्त हों ।

(4) जंगली पशुओं, उन्मुक्त रूप से घूमने वाले जंगली पशुओं और मुरदारखोर पशुओं द्वारा चिड़ियाघर के पशुओं का भोजन खाने के लिए सुरक्षोपाय के रूप में प्रत्येक पशु को इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से उद्दिष्ट भोजन प्रकोष्ठों/करालों में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और ऐसे भोजन प्रकोष्ठों और करालों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि वे कड़ी मौसमी परिस्थितियों में और साथ ही रात्रि के दौरान सुरक्षित निवास के रूप में पशुओं के लिए आंतरिक बाडों का प्रयोजन भी सिद्ध कर सकें :

परंतु भोजन प्रकोष्ठों और कराल का आकार और डिजाइन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार होगा ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि बचा हुआ खाना, पशुओं का मल और अन्य सभी अपशिटों को तुरंत ही भोजन प्रकोष्ठों और करालों से हटाया जाता है और भोजन प्रकोष्ठों तथा करालों की धुलाई की जाती है और उन्हें प्राधिकृत पशु चिकित्सा अधिकारियों की सलाह के अनुसार कीटाणु मुक्त किया जाता है तथा इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ठोस और तरल अपशिष्ट को ऐसी रीति में व्यनीत किया जाएगा, जिसका चिड़ियाघर और चिड़ियाघर के आस-पास के भू-दृश्य की स्वच्छता और सफाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(6) संग्रहाध्यक्ष और पशु चिकित्सक कर्मचारिवृंद, चिड़ियाघर के पशुओं के साधारण व्यवहार और स्वास्थ्य पैरामीटरों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। पशुओं का केवल ऐसे कर्मचारिवृंद द्वारा ही रखरखाव किया जाएगा, जिनके पास विशिष्ट पशुओं के रखरखाव में अनुभव और प्रशिक्षण है ।

(7) ऐसे किसी पशु का, जो उदासीनता, कम भूख का लगना, चोट या असामान्य व्यवहार दर्शित करता है, पूर्णरुपेण विश्लेषण किया जाएगा और उसे तुरंत ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार और चिड़ियाघर प्रशासन के निदेशों के अनुसार चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी ।

(8) प्रत्येक चिड़ियाघर पशु की, चिड़ियाघर द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से तैयार की गई लिखित अनुसूची के अनुसार परजीवियों के लिए जांच की जाएगी और चिकित्सीय अपेक्षाओं के अनुसार उसे रोग-निरोधी औषधियां दी जाएगी और पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित अनुसूची के अनुसार संक्रामक रोगों के प्रति उनका टीकाकरण भी किया जाएगा ।

(9) चिड़ियाघर के पशुओं की देखरेख और स्वास्थ्य देखभाल में अंतर्वलित सभी कर्मचारिवृंद की प्रत्येक वर्ष में एक बार चिड़ियाघर विषयक रोगों के लिए जांच की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को जिनमें सक्रामक रोगों के लक्षण पाए जाते हैं, तब तक उचित उपचार प्रदान किया जाएगा जब तक कि वे ठीक न हो जाए और संक्रमण से पूरी तरह मुक्त न हो जाए तथा ऐसे उपचार की अवधि के दौरान संक्रमित कर्मचारियों को उनके पशुओं की देखरेख और स्वास्थ्य देखभाल के उत्तरदायित्व से मुक्त रखा जाएगा ।

(10) प्रत्येक चिड़ियाघर, पशु के जैव और सामाजिक व्यवहार तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रास्थिति के, जिनके अंतर्गत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार भोजन की मात्रा, देखभाल करने वाले व्यक्ति की डायरी में यथा उपदर्शित उपलब्ध कराई गई औषधि और उपचार, दैनिक रिपोर्टें, पशु का परिचर्या पत्र तथा उपचार पत्र भी हैं, संप्रेक्षणों के ब्यौरेवार अभिलेख रखे जाएंगे ।

6. पशु चिकित्सा और अवसंरचना सुविधाएं

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर, --

(क) के पास चिड़ियाघर में पशुओं के आकार और उनकी किस्मों के संग्रह से संगत पशु चिकित्सा सुविधाएं होंगी ;

(ख) के पास एक पूर्णरुपेण पशु चिकित्सा इकाई होगी, जो सभी आधारिक नैदानिक प्रसुविधाओं, औषधियों की व्यापक श्रेणी शल्य चिकित्सा केंद्र और अंतःरोगी वार्ड से युक्त होगी ;

(ग) परंतु लघु चिड़ियाघर में कम से कम एक उपचार कक्ष की प्रसुविधा होगी ।

(2) कोई भी चिड़ियाघर तब तक किसी आधुनिक और मंहगे नैदानिक उपस्करों का अर्जन नहीं करेगा जब तक कि उसके पास उनके प्रचालन और उपयोग करने के लिए पर्याप्त तकनीकी रूप से अर्हित जनशक्ति न हो।

(3) लघु चिड़ियाघर को छोड़कर प्रत्येक चिड़ियाघर में शव-विच्छेदन कक्ष, एकांत वार्ड, करंतीन वार्ड, पशु निरोधी और प्रशान्तक उपस्कर और एक पशु चिकित्सा देखभाल निर्देश पुस्तकालय होगा ।

(4) किसी भी पशु की प्रशान्ति, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा समय-समय इस संबंध में विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करते हुए की जाएगी ।

(5) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक, प्रत्येक चिड़ियाघर में नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सा समर्थनकारी कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा, अर्थात् :--

क्रम सं.	समर्थनकारी कर्मचारिवृंद	बड़ा चिड़ियाघर	मध्यम चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रयोगशाला सहायक	1	1	-
2.	स्टाक मेन या कपाउंडर	2	1	1

परंतु किसी लघु चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर के पशुओं की देखरेख और भोजन के लिए कम से कम एक पूर्णकालिक कर्मचारी होगा ।

(6) प्रत्येक चिड़ियाघर निम्नलिखित के लिए उपबंध करने के उद्देश्यों से वन्य जीव स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में कार्यरत प्रख्यात संस्थाओं और संगठनों से संपर्क रखेगा :

(क) गंभीर प्रकृति के रोगों के वैज्ञानिक निदान में सहायता और प्रभावी चिकित्सा उपचार संबंधी सलाह ;

(ख) चिड़ियाघर कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण और उनकी तकनीकी कौशल का उन्नयन करने; और

(ग) निवारक ओषधियों और टीकाकरण के लिए नयाचार विकसित करने ।

7. पशुओं की लाशों का शव परीक्षण और निपटान

(1) चिड़ियाघर में मरने वाले प्रत्येक पशु की मृत्यु के कारण को निश्चायक रूप से अवधारित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सक द्वारा विस्तृत शव परीक्षण किया जाएगा ।

(2) उप पैरा (1) में निर्दिष्ट शव परीक्षण के निष्कर्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा यथाविहित प्ररूप में अभिलेख होगा और इस संबंध में उसको छह वर्ष से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा।

(3) शव परीक्षण के अनिश्चायक होने की दशा में और मृत्यु के किसी विशेष कारण का नहीं पता चलने पर चिड़ियाघर प्राधिकरण, उत्तकों और अंगों, रक्त, आन्तरांग आदि के नमूने को आगे और परीक्षा के लिए ऐसी अर्हताप्राप्त नैदानिक प्रयोगशाला को भेजा जाएगा, जिसके पास आगे और अन्वेषण के लिए और मृत्यु का कारण पता लगाने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता है ।

(4) प्रत्येक चिड़ियाघर, यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं के शवों को, उनके शव परीक्षण किए जाने के पश्चात्, दफन करके या ऐसी रीति में जलाकर व्यनित किया जाता है, जिससे चिड़ियाघर की स्वच्छता और सफाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े :

परंतु बड़ी बिल्लियों के शवों को चिड़ियाघर के निदेशक या उससे अगली पंक्ति के और इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए, किसी ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में जलाकर व्यनित किया जाएगा :

परंतु यह और कि ऐसे पशुओं के शवों को, जिनकी मृत्यु एन्थ्रेक्स या ऐसे किन्हीं अन्य संक्रामक रोगों के कारण हुई है, नहीं खोला जाएगा और रोगों के फैलने के विरूद्ध सुरक्षोपाय के रूप में शव परीक्षण किया जाएगा। उनको उसी रूप में दफना दिया जाएगा ।

8. पशुओं के लिए सुखमृत्यु

(1) चिड़ियाघर के किसी भी पशु को तब तक सुख मृत्यु प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा करना अन्य पशुओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक न हो अथवा ऐसा पशु को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट से मुक्त कराने के लिए आवश्यक न हो और जब कभी ऐसी अत्यावश्यकताएं सामने आती हैं, तब केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

9. पशुओं का अर्जन और प्रजनन

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर अपने संग्रहण में विभिन्न प्रजातियों के पशुओं को ऐसे लिंग अनुपात में रखने और उसे बनाए रखने का प्रयास करेगा, जो प्रजनन को अनुकूल बनाए और प्रत्येक प्रजाति की स्वपोषणीय जनसंख्या विकसित करने में सहायता करे ।

(2) चिड़ियाघर की जनसंख्या में अंतःप्रजनन के बुरे प्रभावों के विरूद्ध सुरक्षोपाय के रूप में, चिड़ियाघर, अन्य चिड़ियाघरों से आदान-प्रदान, उधार पर लेने और उपहार रूप में प्राप्त करने के माध्यम से चिड़ियाघर के स्टॉक में असंबंधित पशुओं को रखने के लिए प्रयास करेगा ।

(3) कोई भी चिडियाघर तब तक किसी एकल पशु या पशुओं की अनुवांशिक रूप से जीवनक्षम संख्या को अर्जित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा अर्जन एकल पशुओं का जोड़ा बनाने या समूह को अनुवांशिक जैविक रूप से जीवनक्षय बनाने के लिए आवश्यक न हो ।

(4) प्रत्येक चिड़ियाघर, एकल और बिना जोड़े के पशुओं के लिए पुर्विकता के आधार पर साथी अर्जित करने के लिए प्रयास करेगा और उस दशा में जहां कोई चिड़ियाघर छह महीने के अवधि के भीतर एकल और बिना जोड़े के पशुओं के लिए साथी अर्जित करने में असफल रहता है, बिना जोड़े वाले या एकल पशु को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट

सन्नियमों के अनुसार किसी अन्य चिड़ियाघर को स्थानांतरित किया जाएगा या उनका आदान-प्रदान किया जाएगा या प्रजनन के लिए उधार रूप में दिया जाएगा ।

(5) एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशुओं के परिवहन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन किया जाएगा ।

(6) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, अधिमानतः, प्रजातियों की वितरण श्रेणी के लिए निकटतम तकनीकी सक्षमताएं और आवास प्रसुविधाएं रखने वाले पहचान किए गए चिडियाघरों को पहचान की गई अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण संबंधी प्रजनन का उत्तरदायित्व सौंपेगा और प्रत्येक चिड़ियाघर प्रजनन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पहचान किए गए चिड़ियाघरों की सहायता करेगा।

(7) प्रजनन जनसंख्या से अधिक के पशुओं को, चिड़ियाघरों में उपलब्ध आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाओं की क्वालिटी के आधार पर प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए अभिदाय करने वाले चिड़ियाघरों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(8) अंतः प्रजनन को रोकने तथा परसंयुग्मकता की हानि की दृष्टि से प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में रखे गए संकटग्रस्त प्रजातियों के पशुओं के पूर्ववृत्त पत्र और वंशावली तथा झुंड पुस्तिका रखेगा तथा समुचित पहचान चिन्ह लगाएगा और अन्य चिड़ियाघरों को स्थानांतरित तथा आदान- प्रदान।

(9) प्रत्येक चिड़ियाघर, पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण उनके दीर्घकालिक जीवन के हित पर सम्यक् रूप से ध्यान देते हुए, लिंगों को पृथक करने, नसबंदी, टयूबकटोमी और पेलेट का प्रत्यारोपण आदि करने जैसे समुचित जनसंख्या नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करके चिड़ियाघर की पशु संग्रहण योजना द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर प्रत्येक जाति के पशुओं की संख्या को सीमित करने के लिए प्रयास करेगा ।

(10) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के परिसरों से चिड़ियाघर के पशुओं को भागने से रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षोपाय करेगा और दुर्घटनावश किसी पशु के भाग जाने की दशा में भागे हुए पशु की पुनः प्राप्ति के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी ।

(11) कोई भी चिड़ियाघर, किसी बंधक रखे गए पशु को, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार ही जंगल में छोड़ेगा ।

(12) प्रत्येक चिड़ियाघर यह सुनिश्चित करेगा कि चिड़ियाघर में प्रजातियों या समान प्रजातियों की जातियों का संकरण न हो ।

(10) अनुसंधान क्रियाकलाप-- प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं को जीवन की बेहतर क्वालिटी, दीर्घायु, उच्चतर आनुवंशिक और व्यवहार संबंधी जीवनक्षमता और बेहतर प्रजनन संभावनाएं उपलब्ध कराने के लिए नई नई रणनीतियां तैयार करने के लिए सहायक अनुसंधान करने के लिए प्रयास करेगा और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लघु चिड़ियाघरों को छोडकर प्रत्येक चिड़ियाघर, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार, चिड़ियाघर, में रखी गई प्रजातियों का सामाजिक व्यवहार, समूह सक्रियता और प्रजनन संबंधी जीव विज्ञान पर स्पष्ट रूप से डाटा अभिलिखित करने के लिए और अन्य चिड़ियाघरों तथा पहचानी गई संस्थाओं के साथ बांटने करने के लिए एक डाटाबेस विकसित करने की व्यवस्थाएं करेगा।

(11) शिक्षा और पहुंच बनाने संबंधी क्रियाकलाप- (1) प्रत्येक चिड़ियाघर के दर्शकों और साधारण जनता को जनता के साधारण कल्याण के लिए और प्रकृति की जीवन समर्थन प्रणाली को बनाए रखने के लिए वन्य जीवन संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने का प्रयास करेगा और जनता को चिड़ियाघरों द्वारा इस संबंध में निभाई गई भूमिका तथा ऐसे मार्गों और उपायों के बारे में जागरूक बनाने के लिए प्रयास करेगा, जिनके माध्यम से साधारण जनता इस उद्देश्य की पूर्ति में भागीदारी कर सके और सहयोग दे सके ।

(2) शैक्षणिक क्रियाकलाप के भागरूप में पशुओं का भौतिक रूप में हैडलिंग या उनके द्वारा कला प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

12. दर्शकों के लिए प्रसुविधाएं

(1) प्रत्येक चिड़ियाघर प्रचालक, चिड़ियाघर में उचित और सुगम स्थानों पर दर्शकों के लिए पर्याप्त नागरिक प्रसुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जिसमें शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए प्रसुविधाएं सम्मिलित होंगी और ऐसी प्रसुविधाओं को इस प्रकार अवस्थित किया जाएगा कि वे बाड़ों के दृश्य को ढक या प्रभावित न करें ।

(2) प्रत्येक चिड़ियाघर में प्राथमिक चिकित्सा प्रसुविधाएं उपलब्ध होंगी जिनके अंतर्गत सर्प विषरोधी और जीवन रक्षक औषधियां सम्मिलित होंगी, जो चिड़ियाघर परिसर में तुरंत उपलब्ध होंगी ।

(3) प्रत्येक चिड़ियाघर, विभिन्न पशु बाड़ों में वन्य जीवों को देखने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करेगा ।

[फा.सं. 5–1/2009–डब्लू. एल. I]

(अनमोल कुमार)
उप महानिरीक्षक (वन्यजीव)

प्ररुप-I

[नियम 3 और 8 देखिए]

धारा 38ज (उपधारा 2) के अधीन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन

सेवा में,

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
एनेक्सी सं0 VI , बीकानेर हाउस,
शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110011

हम.....के संबंध में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ज के अधीन मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के पक्ष में रु. ..... का बैंक ड्राफ्ट भी संलग्न किया गया है। ..... के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :--

1. चिड़ियाघर का नाम :
2. चिड़ियाघर का अवस्थान और स्रोत :
3. स्थापना की तारीख :
4. चिड़ियाघर प्रचालक का नाम और पता :

*5. पिछले तीन वर्ष (वर्ष वार) के दौरान चिड़ियाघर के दर्शकों की कुल संख्या :

*6. कैलेन्डर वर्ष के दौरान, चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए खोले गए दिन की कुल संख्या :

7. चिड़ियाघर द्वारा प्रदर्शित किए गए पशुओं/प्रजातियों की संख्या :

चालू वित्तिय वर्ष के दोरान स्टाफ स्थिति			
प्रजातियों की संख्या	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में स्टाक स्थिति	जन्म/अर्जन/ मृत्यु/व्ययन	आवेदन की तारीख को स्टाक
स्तनपायी			
पक्षी			
सरीसृप			
अभयचर			
मछलियां और अकशेरूकी			

8. बाड़ो की कुल संख्या :

(i) खुले बाड़ों की संख्या :

(ii) बंद पिंजरे/दड़बों की संख्या :

9. पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रजनित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची

10. पशु चिकित्सा सुविधाएं :

(क) पूर्णकालिक पशु चिकित्सक उपलब्ध है या नहीं :

(ख) पशु चिकित्सा अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं :

1. आपरेशन थिएटर/शल्य कक्ष
2. एक्स-रे सुविधा
3. स्क्वीज पिंजरे
4. अंतरंग रोगी बाड़े
5. करंतीन वार्ड और संगरोध वार्ड
6. डिस्पेंसरी
7. पशुचिकित्सा को निर्दिष्ट करने वाली लाइब्रेरी
8. पशुओं के बच्चों के लिए नर्सरी
9. रोगविज्ञान प्रयोगशाला

10. प्रशान्तक उपकरण/औषधियां

11. शवपरीक्षा कक्ष

12. क्या चिड़ियाघर में निम्नलिखित सुविधाएं हैं :

(क) रसोई

(ख) खाद्य भंडार

(ग) डीप फ्रिज

(घ) सुवाह्य पेय जल सुविधाएं

(ङ) भोजन वितरण करने का वाहन/रिक्शा आदि

11. सफाई देखरेख और रोग नियंत्रण :

क्या :

(i) पशुओं के लिए प्रदूषण मुक्त पेय जल उपलब्ध है ? (ii) बाड़ों में उपयुक्त जल निकासी प्रणालियां हैं? (iii) कूड़ा-कचरे का निपटान नियमित रूप से किया जाता है ? (iv) कीट और परभक्षियों के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम है ? (v) कृमिहरण और टीका लगाने जैसे निवारक उपायों की व्यवस्था की जा रही है ?

12. दर्शकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं :

क्या--

(क) प्रसाधन/स्नानगृह जैसी जन सुविधाएं हैं ?

(ख) पेयजल नलों की संख्या पर्याप्त है ?

(ग) दर्शक सूचना केन्द्र तथा प्रकृति व्याख्या संबंधी केन्द्र है ?

(घ) चिड़ियाघर संबंधी शिक्षा देने की सुविधाएं हैं ?

(ङ) सार्वजनिक टेलीफोन बूथ उपलब्ध हैं ?

(च) चिड़ियाघर में छतरीयां और रेस्तरां उपलब्ध हैं ?

13. दर्शकों के लिए सुरक्षा के उपाय :

क्या--

(क) बाड़ों के चारों और प्रभावी स्टैंड-आफ बैरियर उपलब्ध कराए गए हैं ?

(ख) चेतावनी साइन बोर्ड पर्याप्त संख्या में हैं ?

(ग) प्राथमिक उपचार उपलब्ध हैं ?

14. पिछले तीन वर्ष के लिए चिड़ियाघर का बजट, राजस्व कुल व्यय :

15. वार्षिक रिपोर्ट, मार्गदर्शक पुस्तकें, विवरणियां या कोई अन्य प्रकाशन (प्रतियां संलग्न हैं)

16. चिड़ियाघर का मास्टर प्लान/विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट की व्याख्या (प्रति संलग्न है)

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

तारीख :

---

* बचाव केन्द्र और प्रजनन संरक्षण केन्द्र से जानकारी का प्रदान किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

प्ररूप-II
(नियम 11 (1) देखें)
भाग-क
तिमाही/वार्षिक सूची रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा
तिमाही/वर्ष के लिए सूची रिपोर्ट

संकटापन्न प्रजातियों *

क्र0 सं0	पशु का नाम	वैज्ञानिक नाम	आरंभिक स्टॉक				जन्म			प्राप्ति			व्ययन			मृत्यु			.....को अंतिम स्टाक			
पक्षी			एम	एफ	यू	टी	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	टी
1. 2.																						
कुल पक्षी																						
स्तनपायी 1. 2.																						
कुल स्तनपायी																						
सरीसृप/ उभयचर 1. 2.																						
कुल सरीसृप/ उभयचर																						
अकशेरूकी 1. 2.																						
कुल अकशेरूकी																						
कुल पशु																						

* वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–I और अनुसूची–II के अधीन पशु संग्रहाध्यक्ष (पशु)

निदेशक

भाग-ख

वार्षिक सूची रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा
वर्ष के लिए सूची रिपोर्ट

संकटापन्न प्रजातियों से भिन्न

क्र0 सं0	पशु का नाम	वैज्ञानिक नाम	1-4- को प्रारंभिक स्टॉक				जन्म			प्राप्ति			व्ययन			मृत्यु			31-3- को अंतिम स्टॉक			
पक्षी			एम	एफ	यू	टी	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	एम	एफ	यू	टी
1. 2.																						
कुल पक्षी																						
स्तनपायी 1. 2.																						
कुल स्तनपायी																						
सरीसृप/ उभयचर 1. 2.																						
कुल सरीसृप/ उभयचर																						
अकशेरूकी 1. 2.																						
कुल अकशेरूकी																						
कुल पशु																						

संग्रहाध्यक्ष (पशु) निदेशक

अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मानांकन किए गए चिड़ियाघरों की सूची

क्र0 सं0	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	मानांकन करने वाले का नाम	मानांकन की तिथि
1.	शक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़, गुजरात	बड़ा चिड़ियाघर	डॉ0 विभू प्रकाश और डॉ. बी.के. गुप्ता	05.5.2009
2.	जी.वी.के. इण्डस्ट्रीज डिअर पार्क, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 नईम अख्तर	26.5.2009
3.	डिअर पार्क, एनएफसीएल ग्रीन बेल्ट, कांकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 नईम अख्तर	27.5.2009
4.	मालसी डिअर पार्क (देहरादून जैविक उद्यान) देहरादून, उत्तराखंड	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 बी.आर. शर्मा	27.5.2009
5.	तोरातोतला रोड पर नेचर पार्क, कोलकाता, प0 बंगाल	पुनर्वास केन्द्र	डॉ0 बी.आर. शर्मा	27.5.2009
6.	वन विज्ञान केन्द्र, हंटर रोड, हानमकोंडा, वारंगल, आंध्रप्रदेश	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 नईम अख्तर	28.5.2009
7.	करीम नगर डिअर पार्क, आंध्र प्रदेश	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 नईम अख्तर	28.5.2009
8.	नेहरू पार्क चिड़ियाघर, दानकगरे, तूरा, मेघालय	अति लघु चिड़ियाघर	श्री एन. महंत	29.5.2009
9.	एच.ए.एल. डिअर पार्क, कोरापुट, सुनवेड़ा, उड़ीसा	अति लघु चिड़ियाघर	श्री भट्टाचार्यजी	05.6.2009
10.	कोनरिया डिअर पार्क, नयागढ़, वन प्रभाग, नयागढ़, उड़ीसा	अति लघु चिड़ियाघर	श्री भट्टाचार्यजी	08.6.2009

क्र0 सं0	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	मानांकन करने वाले का नाम	मानांकन की तिथि
11.	आइजॉल चिड़ियाघर, मिजोरम	छोटा चिड़ियाघर	श्री एस.सी. शर्मा और डॉ. बी.के. गुप्ता	08.6.2009
12.	ताप्ता पानी डिअर पार्क, पर्लाखेमंडी, उड़ीसा	अति लघु चिड़ियाघर	श्री भट्टाचार्यजी	09.6.2009
13.	संजय गांधी नेशनल पार्क एवं चिड़ियाघर, वोरीवली, महाराष्ट्र	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 जे.एच. देसाई एवं डॉ0 आर.जी. जानी	09.6.2009
14.	घड़ियाल शोध एवं संरक्षण इकाई, टिकरपाड़ा, उड़ीसा	अति लघु चिड़ियाघर	श्री भट्टाचार्यजी	10.6.2009
15.	स्नेक पार्क, शिक्षण मंडल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 जे.एच. देसाई एवं डॉ0 आर.जी. जानी	10.6.2009
16.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, शोलापुर, महाराष्ट्र	छोटा चिड़ियाघर	डॉ0 जे.एच. देसाई एवं डॉ0 आर.जी. जानी	11.6.2009
17.	रेस्क्यू एवं रिहैबिलिएशन होम, तूतीकंडी, हिमाचल प्रदेश	पुनर्वास केंद्र	श्री धरमिन्दर शर्मा	126.2009
18.	नागालैंड जैविक उद्यान, रंगापहार, दीमापुर	अति लघु चिड़ियाघर	श्री बी.एस. बोनाल	15.6.2009
19.	नंदकानन प्राणी उद्यान भुवनेश्वर, उड़ीसा	बड़ा चिड़ियाघर	श्री कमल नायडू	09.7.2009
20.	सारनाथ डिअर पार्क, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ. बी.के. गुप्ता	25.7.2009
21.	अमीरधी चिड़ियाघर, वेल्लौर, तमिलनाडु	छोटा चिड़ियाघर	डॉ. बी.के. गुप्ता	30.7.2009
22.	आगरा भालू पुनर्वास सुविधा, आगरा, उत्तर प्रदेश	छोटा चिड़ियाघर	श्री एस.सी. शर्मा और डॉ. बी.के. गुप्ता	08.8.2009

क्र0 सं0	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	मानांकन करने वाले का नाम	मानांकन की तिथि
23.	जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, बोकारो, झारखंड	छोटा चिड़ियाघर	डॉ0 अजीत पटनायक और डॉ0 पी.के. राय	17.8.2009
24.	टाटा स्टील प्राणी उद्यान, जमशेदपुर, झारखंड	छोटा चिड़ियाघर	डॉ0 अजीत पटनायक और डॉ0 पी.के. राय	18.8.2009
25.	जैविक उद्यान, इटानगर, अरूणाचल प्रदेश	छोटा चिड़ियाघर	डॉ0 बी.आर. शर्मा और डॉ0 बी.के. गुप्ता	30.8.2009
26	शिवगंगा गार्डन अतिलघु चिड़ियाघर, तंजौर, तमिलनाडु	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 नईम अख्तर	05.9.2009
27.	कुरूमबापट्टी जैविक पार्क, सालेम तमिलनाडु	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 नईम अख्तर	06.9.2009
28.	लखनऊ जैविक पार्क, लखनऊ	बड़ा चिड़ियाघर	श्री बी.एस. बोनाल और डॉ0 बी.के. गुप्ता	27.1.2010
29.	डिअर पार्क, नारायण तिवारी देवाल (अलमोडा चिड़ियाघर) उत्तराखंड	अति लघु चिड़ियाघर	श्री बी.एस. बोनाल	03.2.2010
30.	डिअर पार्क, हिस्सार	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 ए.के. मल्होत्रा	25.2.2010
31.	अति लघु चिड़ियाघर, पिपली	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 ए.के. मल्होत्रा	26.2.2010
32.	हनुमान वाटिका पुनर्वास केन्द्र	पुनर्वास केंद्र	डॉ0 पनीर सेल्वम	05.3.2010
33.	डिअर पार्क, बीर तालाब, पंजाब	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ0 ए.के. मल्होत्रा	15.3.2010
34.	डिअर पार्क, चित्तूर रिजर्व फोरेस्ट	अति लघु चिड़ियाघर	श्री ए.के. झा	15.3.2010

क्र0 सं0	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	मानांकन करने वाले का नाम	मानांकन की तिथि
35.	डिअर पार्क, कंडालेरू	अति लघु चिड़ियाघर	श्री ए.के. झा	16.3.2010
36.	इंदिरा गांधी पार्क चिड़ियाघर, राउरकेला, उड़ीसा	छोटा चिड़ियाघर	श्री बिपुल चक्रवर्ती एवं डॉ0 एल.एन. आचारज्यों	20.3.2010
37.	मुगेर ब्रीडिंग सेंटर, (मुटा जू)	अति लघु चिड़ियाघर	डॉ. बी.एम. अरोड़ा	23.3.2010

अनुलग्नक-III

वर्ष 2009-10 के चिड़ियाघरों की सूची जिन्हें फिर से मान्यता प्रदान की गई

क्र0 सं0	राज्य का नाम	शहर का नाम	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	मान्यता प्राप्ति की तिथि	मान्यता समाप्त होने की तिथि
1.	असम	बोंगाईगांव	बिजनी डिअर पार्क	अति लघु चिड़ियाघर	18/05/2009	31/03/2010
2.	केरल	त्रिशूर	स्टेट म्यूजियम एंड जू	मध्यम चिड़ियाघर	19/05/2009	31/03/2010
3.	राजस्थान	जयपुर	जयपुर चिड़ियाघर	बड़ा चिड़ियाघर	19/05/2009	31/03/2010
4.	राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	19/05/2009	31/03/2010
5.	राजस्थान	कोटा	कोटा चिड़ियाघर	अति लघु चिड़ियाघर	19/05/2009	31/03/2010
6.	राजस्थान	उदयपुर	उदयपुर चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	19/05/2009	31/03/2010
7.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	विनोद वन अति लघु चिड़ियाघर	अति लघु चिड़ियाघर	19/05/2009	31/03/2010
8.	गुजरात	बदोदरा	सायाजी बाग चिड़ियाघर	मध्यम चिड़ियाघर	20/05/2009	31/03/2010
9.	उड़ीसा	कटक	नगरपालिका डिअर पार्क	अति लघु चिड़ियाघर	22/05/2009	31/03/2010
10.	आंध्र प्रदेश	संघीनगर	संघी डिअर पार्क	अति लघु चिड़ियाघर	25/05/2009	31/03/2010
11.	केरल	मालमपुझा	स्नेक पार्क, मालमपुझा	अति लघु चिड़ियाघर	19/05/2009	31/03/2010
12.	केरल	एर्नाकुलम	हिल पैलेस चिड़ियाघर, एर्नाकुलम	अति लघु चिड़ियाघर	06/07/2009	31/03/2010

क्र0 सं0	राज्य का नाम	शहर का नाम	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	मान्यता प्राप्ति की तिथि	मान्यता समाप्त होने की तिथि
13.	दिल्ली	हौज खास	ए.एन.झा डिअर पार्क, हौज खास	अति लघु चिड़ियाघर	19/05/2009	31/03/2010
14.	आंध्र प्रदेश	करीम नगर	करीम नगर डिअर पार्क	अति लघु चिड़ियाघर	19/05/2009	31/03/2010
15.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	डिअर पार्क, तिरूमाला हिल्स	अति लघु चिड़ियाघर	06/07/2009	31/03/2010
16.	महाराष्ट्र	वर्धा	पीपुल फॉर एनिमल्स शेल्टर	पुनर्वास केन्द्र	04/03/2010	31/03/2011
17.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	नवाबगंज डिअर पार्क	अति लघु चिड़ियाघर	18/05/2009	30/06/2012
18.	पंजाब	पटियाला	डिअर पार्क, बीर मोती बाग	छोटा चिड़ियाघर	19/05/2009	30/06/2012
19.	पंजाब	लुधियाना	डिअर पार्क, नीलोन	अति लघु चिड़ियाघर	19/05/2009	30/06/2012
20.	पंजाब	लुधियाना	लुधियाना चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	19/05/2009	30/06/2012
21.	गुजरात	राजकोट	राजकोट चिड़ियाघर	अति लघु चिड़ियाघर	25/05/2009	31/03/2010
22.	झारखंड	कालीमाटी	बिरसामृग विहार	अति लघु चिड़ियाघर	19/05/2009	30/06/2012
23.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर प्राणी उद्यान	बड़ा चिड़ियाघर	18/05/2009	30/06/2012
24.	मध्य प्रदेश	इंदौर	कमला नेहरू प्राणी उद्यान	छोटा चिड़ियाघर	02/09/2009	30/09/2012

क्र0 सं0	राज्य का नाम	शहर का नाम	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	मान्यता प्राप्ति की तिथि	मान्यता समाप्त होने की तिथि
25.	हरियाणा	पिंजौर	गिद्ध संरक्षण	पुनर्वास केन्द्र	19/05/2009	30/06/2011
26.	पंजाब	छत्तबीर	महेंद्र चौधरी	बड़ा चिड़ियाघर	25/05/2009	30/06/2011
27.	गुजरात	जूनागढ़	सक्करबाग चिड़ियाघर	बड़ा चिड़ियाघर	10/09/2009	30/09/2012
28.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जी. बी. के. इंडस्ट्रीज डिअर पार्क	अति लघु चिड़ियाघर	03/03/2010	31/03/2013
29.	आंध्र प्रदेश	कांकीराड़ा	डिअर, पार्क एनएफसीएल ग्रीन बेल्ट	अति लघु चिड़ियाघर	08/09/2009	30/09/2012 30/09/2011
30	उत्तराखंड	देहरादून	मलसी डिअर पार्क (देहरादून)	अति लघु चिड़ियाघर	14/09/2009	30/09/2010
31.	प0 बंगाल	कोलकाता	तारातोतला में नेचर पार्क	पुनर्वास केन्द्र	14/09/2009	30/09/2012
32.	आंध्र प्रदेश	वारंगल	वन विज्ञान केन्द्र, हंटर	अति लघु चिड़ियाघर	10/09/2009	28/02/2011
33.	मेघालय	अरवोमगिनी तूरा	नेहरू पार्क चिड़ियाघर	अति लघु चिड़ियाघर	25/02/2010	30/09/2012
34.	उड़ीसा	सुनावेडा	एच.ए.एल. डिअर पार्क, कोरापुट	अति लघु चिड़ियाघर	08/09/2009	30/09/2012
35.	उड़ीसा	नयागढ़	कौनरिया डिअर पार्क, नयागढ़	अति लघु चिड़ियाघर	08/09/2009	30/09/2012
36.	मिजोरम	आइजॉल	आइजॉल चिड़ियाघर (मिजोरम जू)	छोटा चिड़ियाघर	11/09/2009	30/09/2012
37.	उड़ीसा	पर्लाखेमुंडी	तप्तापानी डिअर पार्क	अति लघु चिड़ियाघर	08/09/2009	30/09/2012

क्र0 सं0	राज्य का नाम	शहर का नाम	चिड़ियाघर का नाम	श्रेणी	मान्यता प्राप्ति की तिथि	मान्यता समाप्त होने की तिथि
38.	महाराष्ट्र	बोरीवली	संजय गांधी नेशनल पार्क	अति लघु चिड़ियाघर	09/09/2009	30/09/2012
39.	उड़ीसा	टीकरपाड़ा	घड़ियाल शोध	अति लघु चिड़ियाघर	08/09/2009	30/09/2012
40.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	स्नेक पार्क, शिक्षण मंडल	अति लघु चिड़ियाघर	10/09/2009	30/09/2010
41.	महाराष्ट्र	शोलापुर	महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क	छोटा चिड़ियाघर	15/09/2009	30/09/2012
42.	हिमाचल प्रदेश	तूतीकंडी	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन	पुनर्वास केन्द्र	03/03/2010	31/03/2013
43.	नागालैंड	दीमापुर	नागालैंड प्राणी पार्क	अति लघु चिड़ियाघर	10/09/2009	30/09/2012
44.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	नंदकानन जैविक पार्क	बड़ा चिड़ियाघर	15/09/2009	30/09/2012
45.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	सारनाथ डिअर पार्क	अति लघु चिड़ियाघर	04/03/2010	31/03/2013
46.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा भालू पुनर्वास केन्द्र	पुनर्वास केन्द्र	16/09/2009	30/09/2012
47.	झारखंड	बोकारो	जवाहर लाल नेहरू जैविक पार्क	छोटा चिड़ियाघर	25/02/2010	28/02/2013
48.	झारखंड	जमशेदपुर	टाटा स्टील प्राणी उद्यान	छोटा चिड़ियाघर	25/02/2010	28/02/2013
49.	अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	जैविक पार्क, इटानगर	छोटा चिड़ियाघर	22/02/2010	28/02/2011
50.	तमिलनाडु	तंजौर	शिवगंगा गार्डेन अति लघु चिड़ियाघर	छोटा चिड़ियाघर	04/03/2010	31/03/2011
51.	तमिलनाडु	सालेम	कुरूयबापट्टी प्राणी उद्यान	छोटा चिड़ियाघर	25/02/2010	29/02/2012

अनुलग्नक-IV

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	जैविक पार्क, चिड्याटापू	पोर्ट ब्लेयर	छोटा चिड़ियाघर
2.	आंध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वर प्राणी पार्क	तिरूपति	बड़ा चिड़ियाघर
3.	आंध्र प्रदेश	नेहरू प्राणी पार्क	हैदराबाद	बड़ा चिड़ियाघर
4.	आंध्र प्रदेश	इंदिरा गांधी प्राणी पार्क	विशाखापतनम	बड़ा चिड़ियाघर
5.	आंध्र प्रदेश	डिअर पार्क, कंडालेरु	कंडालेरू	अति लघु चिड़ियाघर
6.	आंध्र प्रदेश	डिअर पार्क, कोसाराम सिमेंट	बसंत नगर	अति लघु चिड़ियाघर
7.	आंध्र प्रदेश	डिअर पार्क, चित्तूर रिजर्व फॉरेस्ट	चित्तूर (पू0) प्रभाग	अति लघु चिड़ियाघर
8.	आंध्र प्रदेश	किन्नरासरी डिअर पार्क,	किन्नरसरी	अति लघु चिड़ियाघर
9.	आंध्र प्रदेश	डिअर पार्क, जवाहर लोक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स	समीरपेट	अति लघु चिड़ियाघर
10.	आंध्र प्रदेश	डिअर पार्क, तिरूमल्लाहिल्स	चित्तूर	अति लघु चिड़ियाघर
11.	आंध्र प्रदेश	पिल्लामरी डिअर पार्क	पिल्लामरी कॉम्प्लेक्स, महबूबनगर	अति लघु चिड़ियाघर
12.	आंध्र प्रदेश	संघी डिअर पार्क	संघी नगर	अति लघु चिड़ियाघर

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
13.	आंध्र प्रदेश	डिअर पार्क, सत्यम टेक्नोलॉजी सेंटर	रंगारेड्डी	अति लघु चिड़ियाघर
14.	आंध्र प्रदेश	हिमायत सागर अति लघु चिड़ियाघर	रंगारेड्डी	अति लघु चिड़ियाघर
15.	आंध्र प्रदेश	करीम नगर, डिअर पार्क	करीम नगर	अति लघु चिड़ियाघर
16.	आंध्र प्रदेश	डिअर पार्क, एनएफसीएल ग्रीन बेल्ट	कांकीनाड़ा	अति लघु चिड़ियाघर
17.	आंध्र प्रदेश	वन विज्ञान केन्द्र, हंटर रोड, हनमकोंडा	वारंगल	अति लघु चिड़ियाघर
18.	आंध्र प्रदेश	जी.वी.के. इण्डस्ट्रीज डिअर पार्क	हैदराबाद	अति लघु चिड़ियाघर
19.	आंध्र प्रदेश	करूणा सोसायटी फॉर एनिमल्स एंड नेचर - रेस्क्यू सेंटर	अनंतपुर	पुनर्वास केन्द्र
20.	आंध्र प्रदेश	विशाखा सोसायटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी ऑफ एनिमल्स-रेस्क्यू सेंटर	विशाखापतनम	पुनर्वास केन्द्र
21.	अरूणाचल प्रदेश	जैविक पार्क, इटानगर	इटानगर	छोटा चिड़ियाघर
22.	अरूणाचल प्रदेश	अति लघु चिड़ियाघर, रोईंग	रोईंग	अति लघु चिड़ियाघर
23.	अरूणाचल प्रदेश	मियाउ अति लघु चिड़ियाघर	मियाउ	अति लघु चिड़ियाघर
24.	अरूणाचल प्रदेश	सेंटर फॉर बिअर रिहैबिलेशन एंड कंजरवेशन	पक्के	पुनर्वास केन्द्र
25.	असम	असम स्टेट जू कम बॉटनिकल गार्डन	गुवाहाटी	बड़ा चिड़ियाघर
26.	असम	बिजनी डिअर पार्क	बोंगाइगांव	अति लघु चिड़ियाघर

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
27.	असम	वन्य जीव पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र	गोलाघाट	पुनर्वास केन्द्र
28.	असम	रिनो सर्कस	लखीमपुर	सर्कस
29.	असम	मूनलाइट सर्कस	खेलमाटी	सर्कस
30.	बिहार	संजय गांधी जैविक पार्क	पटना	बड़ा चिड़ियाघर
31.	छत्तीसगढ़	मैत्री बाग चिड़ियाघर	भिलाई	छोटा चिड़ियाघर
32.	छत्तीसगढ़	कानन पंडारी चिड़ियाघर	बिलासपुर	छोटा चिड़ियाघर
33.	छत्तीसगढ़	नंदन वन चिड़ियाघर	रायपुर	अति लघु चिड़ियाघर
34.	दादर व नागर हवेली	लॉयन सफारी - वसोना	वसोना	अति लघु चिड़ियाघर
35.	दिल्ली	नेशनल जूलॉजिकल पार्क	दिल्ली	बड़ा चिड़ियाघर
36.	दिल्ली	ए.एन.झा. डिअर पार्क, हौजखास	हौजखास	अति लघु चिड़ियाघर
37.	गोवा	बोंडला चिड़ियाघर	उस्गांव	छोटा चिड़ियाघर
38.	गुजरात	कमला नेहरू प्राणी उद्यान	अहमदाबाद	बड़ा चिड़ियाघर
39.	गुजरात	शक्करबाग चिड़ियाघर	जूनागढ़	बड़ा चिड़ियाघर
40.	गुजरात	संजयबाग चिड़ियाघर	बदोदरा	मध्याम चिड़ियाघर
41.	गुजरात	इंद्रोदा नेचर पार्क	गांधी नगर	मध्यम चिड़ियाघर
42.	गुजरात	डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान	सूरत	छोटा चिड़ियाघर
43.	गुजरात	सुंदरवन नेचर डिस्कवरी सेंटर	जोधपुर टिकरा	अति लघु चिड़ियाघर
44.	गुजरात	सर पीटर स्कॉट नेचर पार्क	जामनगर	अति लघु चिड़ियाघर

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
45.	गुजरात	राजकोट चिड़ियाघर	राजकोट	अति लघु चिड़ियाघर
46.	गुजरात	ग्रेट गोल्डन सर्कस	अहमदाबाद	सर्कस
47.	हरियाणा	रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक	छोटा चिड़ियाघर
48.	हरियाणा	डिअर पार्क, हिस्सार	हिस्सार	अति लघु चिड़ियाघर
49.	हरियाणा	अति लघु चिड़ियाघर, पिपली	पिपली	अति लघु चिड़ियाघर
50.	हरियाणा	अति लघु चिड़ियाघर, भिवानी	भिवानी	अति लघु चिड़ियाघर
51.	हरियाणा	वन्य जीव पुनर्वास केन्द्र	गुड़गांव	पुनर्वास केन्द्र
52.	हरियाणा	हनुमान वाटिका, पुनर्वास केन्द्र	गुड़गांव	पुनर्वास केन्द्र
53.	हरियाणा	गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र	पिंजौर	पुनर्वास केन्द्र
54.	हरियाणा	डिअर पार्क, मेहम	जी.टी. रोड के निकट, मेहम	पुनर्वास केन्द्र
55.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन नेचर पार्क	कुफरी	छोटा चिड़ियाघर
56.	हिमाचल प्रदेश	रिवालसर अति लघु चिड़ियाघर	मंडी	अति लघु चिड़ियाघर
57.	हिमाचल प्रदेश	धौलाधर नेचर पार्क	गोपालपुर	अति लघु चिड़ियाघर
58.	हिमाचल प्रदेश	सराहन फिजेंट्री	सराहन	अति लघु चिड़ियाघर
59.	हिमाचल प्रदेश	रेणुका अति लघु चिड़ियाघर	सिरमुर	अति लघु चिड़ियाघर
60	हिमाचल प्रदेश	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आवास	तूतीकंडी	पुनर्वास केन्द्र

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
61.	हिमाचल प्रदेश	नेहरू फिजेंट्री	मनाली	पुनर्वास केन्द्र
62.	जम्मू व कश्मीर	कश्मीर चिड़ियाघर	श्रीनगर	छोटा चिड़ियाघर
63.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू चिड़ियाघर	रामनगर (जम्मू)	छोटा चिड़ियाघर
64.	झारखंड	भगवान बिरसा जैविक पार्क	रांची	मध्यम चिड़ियाघर
65.	झारखंड	टाटा स्टील प्राणी पार्क	जमशेदपुर	छोटा चिड़ियाघर
66.	झारखंड	जवाहर लाल नेहरू जैविक पार्क	बोकारो	छोटा चिड़ियाघर
67.	झारखंड	बिरसा मृग विहार	कालीमाटी	अति लघु चिड़ियाघर
68.	झारखंड	मुग्गर प्रजनन केन्द्र (मूटा जू)	मुटा	अति लघु चिड़ियाघर
69.	कर्नाटक	डॉ0 शिवराम कारनाथ पिलिलकुला जैविक पार्क	मंगलौर	बड़ा चिड़ियाघर
70.	कर्नाटक	नेशनल पार्क, बैनरघट्टा जैविक उद्यान	बंगलौर	बड़ा चिड़ियाघर
71.	कर्नाटक	श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान	मैसूर	बड़ा चिड़ियाघर
72.	कर्नाटक	बेल्लारी बाल उद्यान व चिड़ियाघर (बेल्लारी चिड़ियाघर)	बेल्लारी	छोटा चिड़ियाघर
73.	कर्नाटक	बाल प्रधान एवं चिड़ियाघर (गडग चिड़ियाघर)	गडग	छोटा चिड़ियाघर
74.	कर्नाटक	बाघ एवं सिंह सफारी	सिमोगा	छोटा चिड़ियाघर
75.	कर्नाटक	अति लघु चिड़ियाघर व बाल उद्यान	गुलबर्ग	अति लघु चिड़ियाघर
76.	कर्नाटक	केवड़ा तपोवन चिंतामणि ताल्लुक	कोलर	अति लघु चिड़ियाघर

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
77.	कर्नाटक	तुगभद्रा बांध अति लघु चिड़ियाघर	वेल्लारी	अति लघु चिड़ियाघर
78.	कर्नाटक	अति लघु चिड़ियाघर ए.एम. गुडी बलवाना	चित्रदुर्ग	अति लघु चिड़ियाघर
79.	कर्नाटक	श्री क्षेत्र सोगल, सौदही में डिअर पार्क	बेलगांव	अति लघु चिड़ियाघर
80	कर्नाटक	डिअर पार्क, एनडीएमसी लि0	दोनीभलाई	अति लघु चिड़ियाघर
81.	कर्नाटक	कित्तूर रानी कन्नम्मा निसर्ग धाम अति लघु चिड़ियाघर	बेलगांव	अति लघु चिड़ियाघर
82.	कर्नाटक	गेंडेकट्टे में अति लघु चिड़ियाघर	हसन	अति लघु चिड़ियाघर
83.	कर्नाटक	नमदाचिल्लुम डिअर पार्क	तुमकुर	अति लघु चिड़ियाघर
84.	कर्नाटक	इंदिरा प्रियदर्शिनी संग्रहालय, अनागोडू	दावनगेरे तालुक	अति लघु चिड़ियाघर
85.	कर्नाटक	वन्यजीव पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन केन्द्र	बंगलोर	पुनर्वास केन्द्र
86.	कर्नाटक	पीपुल फॉर एनिमल्स पुनर्वास केन्द्र	बंगलोर	पुनर्वास केन्द्र
87.	केरल	तिरूवनंतपुरम चिड़ियाघर	तिरूवनंतपुरम	बड़ा चिड़ियाघर
88.	केरल	राज्य संग्रहालय एवं चिड़ियाघर	त्रिशूर	मध्यम चिड़ियाघर
89.	केरल	नय्यरबांध में लायन सफारी पार्क (नय्यर अति लघु चिड़ियाघर)	तिरूवनंतपुरम	अति लघु चिड़ियाघर
90.	केरल	स्नेक पार्क, मल्लमपुझा	मल्लमपुझा	अति लघु चिड़ियाघर

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
91.	केरल	कोडानाडु चिड़ियाघर	कोडानाडू	अति लघु चिड़ियाघर
92.	केरल	श्री लोकनायक जय प्रकाश नारायण स्मृति वन डिअर पार्क	वालायर	अति लघु चिड़ियाघर
93.	केरल	हिल पैलेस चिड़ियाघर, एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	अति लघु चिड़ियाघर
94.	केरल	पारासिनिकाडायू सरीसृप पार्क	कन्नूर	अति लघु चिड़ियाघर
95.	केरल	जमुना सर्कस	रायगढ़	सर्कस
96.	केरल	अमर सर्कस	कालीकट	सर्कस
97.	केरल	ग्रेट बॉम्बे सर्कस	तिल्लीचेरी	सर्कस
98.	केरल	जम्बो सर्कस	वारम	सर्कस
99.	केरल	जेमिनी सर्कस	वारम	सर्कस
100.	केरल	ग्रेट रेमन सर्कस	कोचीन	सर्कस
101.	केरल	राजकमल सर्कस	धरमादम	सर्कस
102.	मध्य प्रदेश	वन विहार नेशनल पार्क जू	भोपाल	बड़ा चिड़ियाघर
103.	मध्य प्रदेश	गांधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर	मध्यम चिड़ियाघर
104.	मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	इंदौर	छोटा चिड़ियाघर
105.	महाराष्ट्र	राजीव गांधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव शोध केन्द्र	पुणे	मध्यम चिड़ियाघर
106.	महाराष्ट्र	वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान एवं चिड़ियाघर	मुंबई	मध्यम चिड़ियाघर

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
107.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद नगर पालिका चिड़ियाघर	औरंगाबाद	छोटा चिड़ियाघर
108.	महाराष्ट्र	निसर्गकवि बहिनबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय	छिंदबाड़ा, पुणे	छोटा चिड़ियाघर
109.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	शोलापुर	छोटा चिड़ियाघर
110.	महाराष्ट्र	स्नेक पार्क, शिक्षण मंडल	कोल्हापुर	अति लघु चिड़ियाघर
111.	महाराष्ट्र	संजय गांधी नेशनल पार्क एवं चिड़ियाघर	बोरीबली	अति लघु चिड़ियाघर
112.	महाराष्ट्र	महाराज शास्त्री छत्रपति चिड़ियाघर	कोल्हापुर	अति लघु चिड़ियाघर
113.	महाराष्ट्र	महाराजाबाग चिड़ियाघर	नागपुर	अति लघु चिड़ियाघर
114.	महाराष्ट्र	एमटिस जीव पार्क	वर्धा	पुनर्वास केन्द्र
115.	महाराष्ट्र	पीपुल फॉर एनिमल्स, शेल्टर हाउस	वर्धा	पुनर्वास केन्द्र
116.	महाराष्ट्र	तेंदुआ पुनर्वास केन्द्र	मानिकदह	पुनर्वास केन्द्र
117.	महाराष्ट्र	द ग्रेट रॉयल सर्कस	नामादिक	सर्कस
117.	महाराष्ट्र	रैम्बो सर्कस	पुणे	सर्कस
118.	मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान	इम्फाल	मध्यम चिड़ियाघर
119.	मेघालय	लेडी हैदरी पार्क एनिमल लैंड (मेघालय चिड़ियाघर)	शिलांग	छोटा चिड़ियाघर
120.	मेघालय	नेहरू पार्क चिड़ियाघर, दनकग्री, तूरा	अखोनगिनी तूरा	अति लघु चिड़ियाघर
121.	मिजोरम	आइजॉल चिड़ियाघर	आइजॉल	छोटा चिड़ियाघर

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
123.	मिजोरम	डिअर पार्क, तेंजॉल	तेंजॉल	अति लघु चिड़ियाघर
124.	नागालैंड	नागालैंड प्राणी पार्क रंगापहाड़	दीमापुर	अति लघु चिड़ियाघर
125.	उड़ीसा	नंदनकानन जैविक पार्क	भुवनेश्वर	बड़ा चिड़ियाघर
126.	उड़ीसा	इंदिरा गांधी पार्क चिड़ियाघर	राउरकेला	छोटा चिड़ियाघर
127.	उड़ीसा	वन्य जीव संरक्षण केन्द्र	मोतीझारण, संबलपुर	छोटा चिड़ियाघर
128.	उड़ीसा	कपीलाश चिड़ियाघर	ढेंकानल	अति लघु चिड़ियाघर
129.	उड़ीसा	हरिशंकर डिअर पार्क	बोलांगीर	अति लघु चिड़ियाघर
130.	उड़ीसा	डिअर पार्क, पापराहांडी	नवरंगपुर	अति लघु चिड़ियाघर
131.	उड़ीसा	डिअर पार्क, बेरहामपुर यूनिट	बेरहामपुर	अति लघु चिड़ियाघर
132.	उड़ीसा	नगरपालिका डिअर पार्क	कटक	अति लघु चिड़ियाघर
133.	उड़ीसा	घड़ियाल शोध एवं संरक्षण पार्क	टीकरपाड़ा	अति लघु चिड़ियाघर
134.	उड़ीसा	ताप्तापानी डिअर पार्क	परलाखेमंडी	अति लघु चिड़ियाघर
135.	उड़ीसा	कुनरिया डिअर पार्क, नयागढ़ वन प्रभाग	नयागढ़	अति लघु चिड़ियाघर
136.	उड़ीसा	एच.ए.एल. डिअर पार्क, कोरापुट	सुनबेडा	अति लघु चिड़ियाघर
137.	पंजाब	महेंद्र चौधरी प्राणी पार्क	छतबीर, चंडीगढ़	बड़ा चिड़ियाघर

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
138.	पंजाब	लुधियाना चिड़ियाघर	लुधियाना	छोटा चिड़ियाघर
139.	पंजाब	डिअर पार्क, बीर मोती बाग (पटियाला चिड़ियाघर)	पटियाला	छोटा चिड़ियाघर
140.	पंजाब	डिअर पार्क, नीलोन	लुधियाना	अति लघु चिड़ियाघर
141.	पंजाब	डिअर पार्क, बीर तालाब	भटिंडा	अति लघु चिड़ियाघर
142.	राजस्थान	जयपुर चिड़ियाघर	जयपुर	बड़ा चिड़ियाघर
143.	राजस्थान	बीकानेर चिड़ियाघर	बीकानेर	छोटा चिड़ियाघर
144.	राजस्थान	जोधपुर चिड़ियाघर	जोधपुर	छोटा चिड़ियाघर
145.	राजस्थान	उदयपुर चिड़ियाघर	उदयपुर	छोटा चिड़ियाघर
146.	राजस्थान	कोटा चिड़ियाघर	कोटा	अति लघु चिड़ियाघर
147.	राजस्थान	पंचवटी डिअर पार्क	पिलानी	अति लघु चिड़ियाघर
148.	राजस्थान	सफारी पार्क, हरिदासजी की मगरी	उदयपुर	अति लघु चिड़ियाघर
149.	राजस्थान	डिअर पार्क, श्री गोवर्धन ट्रस्ट	उदयपुर	अति लघु चिड़ियाघर
150.	सिक्किम	हिमालयन प्राणी पार्क, बुलबुले	गंगटोक	अति लघु चिड़ियाघर
151.	तमिलनाडु	अरीनगर अन्ना प्राणी पार्क	वंडालुर चैन्नई	बड़ा चिड़ियाघर
152.	तमिलनाडु	मद्रास घड़ियाल बैंक ट्रस्ट/सेंटर फॉर हर्पेटोलॉजी	महाबलिपुरम	बड़ा चिड़ियाघर
153.	तमिलनाडु	चिल्ड्रन्स कॉनर्र	गुंडी, चैन्नई	मध्यम चिड़ियाघर
154.	तमिलनाडु	चैन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट	गुंडी, चैन्नई	मध्यम चिड़ियाघर

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
155.	तमिलनाडु	वी.ओ.सी. पार्क अति लघु चिड़ियाघर	कोयम्बटूर	छोटा चिड़ियाघर
156.	तमिलनाडु	अमीरधी चिड़ियाघर	वेल्लौर	छोटा चिड़ियाघर
157.	तमिलनाडु	कुरूम्बापट्टी प्राणी पार्क	सालेम	अति लघु चिड़ियाघर
158.	तमिलनाडु	शिवगंगा गार्डन अति लघु चिड़ियाघर	तंजौर	अति लघु चिड़ियाघर
159.	तमिलनाडु	तिरूचिरापल्ली चिड़ियाघर, तिरूचिरापल्ली	तिरूचिरापल्ली	अति लघु चिड़ियाघर
160.	त्रिपुरा	सिपाहीजाला प्राणी पार्क	सिपाहीजाला, अगरतल्ला	बड़ा चिड़ियाघर
161.	उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणी पार्क	कानपुर	बड़ा चिड़ियाघर
162.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ प्राणी पार्क	लखनऊ	बड़ा चिड़ियाघर
163.	उत्तर प्रदेश	सारनाथ डिअर पार्क	वाराणसी	अति लघु चिड़ियाघर
164.	उत्तर प्रदेश	वन प्राणी उद्यान, आईवीआरआई	इज्जतनगर, बरेली	अति लघु चिड़ियाघर
165.	उत्तर प्रदेश	डिअर पार्क, इफको टाउनशिप	बरेली	अति लघु चिड़ियाघर
166.	उत्तर प्रदेश	विनोदवन अति लघु चिड़ियाघर	गोरखपुर	अति लघु चिड़ियाघर
167.	उत्तर प्रदेश	नवाबगंज डिअर पार्क	उन्नाव	अति लघु चिड़ियाघर
168.	उत्तर प्रदेश	आगरा भालू पुनर्वास केन्द्र	आगरा	पुनर्वास केन्द्र
169.	उत्तर प्रदेश	अपोलो सर्कस	वाराणसी	सर्कस
170.	उत्तर प्रदेश	ग्रेट अपोलो सर्कस	हमीरपुर	सर्कस
171.	उत्तर प्रदेश	राजमहल सर्कस	हमीरपुर	सर्कस

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
172.	उत्तराखंड	प0 गोविंद बल्लभपंत हाई एल्टीट्यूड चिडियाघर	नैनीताल	छोटा चिड़ियाघर
173.	उत्तराखंड	डिअर पार्क, नारायण तिवारी देवाल (अल्मोड़ा जू)	अल्मोड़ा	अति लघु चिड़ियाघर
174.	उत्तराखंड	मलसी डिअर पार्क (देहरादून जैविक पार्क)	देहरादून	अति लघु चिड़ियाघर
175.	प0 बंगाल	अलीपुर प्राणी उद्यान	कोलकाता	बड़ा चिड़ियाघर
176.	प0 बंगाल	कलकत्ता स्नेक पार्क	बाडु, कोलकाता	मध्यम चिड़ियाघर
177.	प0 बंगाल	मार्बल पैलेस चिड़ियाघर	कोलकाता	छोटा चिड़ियाघर
178.	प0 बंगाल	झारग्राम चिड़ियाघर	झारग्राम	छोटा चिड़ियाघर
179.	प0 बंगाल	पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी पार्क	दार्जिलिंग	छोटा चिड़ियाघर
180.	प0 बंगाल	कुंजानगर इको-पार्क	जलपाईगुडी	अति लघु चिड़ियाघर
181.	प0 बंगाल	द0 खेरबाड़ी तेंदुआ सफारी एवं पुनर्स्थापन केन्द्र	मदारीहाट	अति लघु चिड़ियाघर
182.	प0 बंगाल	पुरूलिया अति लघु चिड़ियाघर	पुरूलिया	अति लघु चिड़ियाघर
183.	प0 बंगाल	रसीकबील अति लघु चिडियाघर	कूच बिहार	अति लघु चिड़ियाघर
184.	प0 बंगाल	अदीना डिअर पार्क	मालदा	अति लघु चिड़ियाघर
185.	प0 बंगाल	कुमारी कंगसाबुटी डिअर पार्क	वोनपकुरिया, बांकुड़ा	अति लघु चिड़ियाघर
186.	प0 बंगाल	प0 बंगाल स्नेक पार्क एवं प्रयोगशाला, बाडु	बाडु, कोलकाता	अति लघु चिड़ियाघर

क्र0 सं0	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	श्रेणी
187.	प0 बंगाल	रमनाबगान अति लघु चिडियाघर	बर्द्धमान	अति लघु चिड़ियाघर
188.	प0 बंगाल	गरचुमुक (उल्लुघाट) डिअर पार्क	हावड़ा	अति लघु चिड़ियाघर
189.	प0 बंगाल	पगमार्क्स-पीएफए शांतिनिकेतन पुनर्वास केन्द्र	कोलकाता	पुनर्वास केन्द्र
190.	प0 बंगाल	तारातोतला रोड नेचर पार्क	कोलकाता	पुनर्वास केन्द्र
191.	प0 बंगाल	फेमस सर्कस	कोलकाता	सर्कस
192.	प0 बंगाल	नटराज सर्कस	कोलकाता	सर्कस
193.	प0 बंगाल	ओलंपिक सर्कस	कोलकाता	सर्कस
194.	प0 बंगाल	कोहिनूर सर्कस	कोलकाता	सर्कस
195.	प0 बंगाल	अजंता सर्कस	कोलकाता	सर्कस
196.	प0 बंगाल	एशियाड सर्कस	कोलकाता	सर्कस
197.	प0 बंगाल	वेस्टन सर्कस	इलियट	सर्कस
198.	प0 बंगाल	इम्पायर सर्कस	कोलकाता	सर्कस

अनुलग्नक-V

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा चुने गये संकटापन्न वन्यजीव प्रजातियों की सूची जिन्हें समन्वित संरक्षण प्रजनन हेतु लिया गया है, समन्वय करने वाले चिड़ियाघर व सहभागी चिड़ियाघर का विवरण

क्र0 सं0	प्रजातियों का नाम	समन्वित करने वाले चिड़ियाघर का नाम	सहभागी चिड़ियाघर का नाम	बंदी बनाये गये प्रजाति की संख्या
1.	सिंह *(Panthera leo)*	जूनागढ़	हैदराबाद, भोपाल, नई दिल्ली, राजकोट	108
2.	बाघ *(Panthera tigris)*	भोपाल	नई दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, छत्तवीर, चैन्नई	293
3.	हिम तेंदुआ *(Panthera uncia)*	दार्जिलिंग	लेह, कुफारी, गंगटोक, गुवाहाटी	14
4.	धब्बेदार तेंदुआ *(Panthera nebulosa)*	सिपाही जला	गुवाहाटी	23
5.	एशियाई चीता *(Acinonyx jubatus venaticus)*	जूनागढ़	-	0
6.	सुनहरी बिल्ली *(Catopuma temmincki)*	गुवाहाटी	-	2
7.	तिब्तियन भेड़िया *(Canis himalayensis)*	दार्जिलिंग	गंगटोक, नैनीताल, कुफारी	23
8.	भारतीय भेड़िया *(Canis lupus)*	जूनागढ़	-	9
9.	सुनहरी कुत्ता *(Cuon alpinus)*	विशाखापतनम	चैन्नई	29
10.	भूरा भालू *(Ursus arctos)*	कुफरी	लेह	5

क्र0 सं0	प्रजातियों का नाम	समन्वित करने वाले चिड़ियाघर का नाम	सहभागी चिड़ियाघर का नाम	बंदी बनाये गये प्रजाति की संख्या
11.	सनबियर *(Helarctos malayanus)*	आइजॉल	गुवाहाटी	6
12.	लाल पांडा *(Ailurus fulgens)*	दार्जिलिंग	गंगटोक, याचूली	20
13.	बिन्टुरोंग *(Arctictis binturong)*	सिपाही जला	गुवाहाटी, ऐजवाला	14
14.	मुलायम त्वचावरण वाला ऊदबिलाव *(Lutrogale perspicillata)*	अहमदाबाद	-	3
15.	मलबार बड़ी गिलहरी *(Ratufa indica)*	पिलीकुला	चैन्नई, पुणे	1
16.	इंडियन पेंगोलिन *(Manis crassicaudata)*	भुवनेश्वर	-	8
17.	शेर पूँछ बन्दर *(Macaca silenus)*	चैन्नई	मैसूर, त्रिवेंद्रम	69
18.	सुअर पूंछ बंदर *(Macaca nemestrina)*	सिपाहीजला	गुवाहाटी	34
19.	ठूठदार पूंछवाला बंदर *(Nacaca radiate)*	ऐजवाल	गुवाहाटी	50
20.	फेरिस लीफ बंदर *(Trachypithecus phayrei)*	सिपाहीजला	-	14
21.	केकड़ा खाने वाला बंदर *(Macaca fascicularis)*	चिड़ियाटापू (पोर्ट ब्लेयर)	-	11
22.	निलगिरी लंगूर *(Semnopithecus johnii)*	चैन्नई	मैसूर	22
23.	सुनहरा लंगूर *(Trachypithecus geei)*	गुवाहाटी	गुवाहाटी के नजदीक द्वीपसमूह	6

क्र0 सं0	प्रजातियों का नाम	समन्वित करने वाले चिड़ियाघर का नाम	सहभागी चिड़ियाघर का नाम	बंदी बनाये गये प्रजाति की संख्या
24.	टोपीधारी लंगूर *(Trachypithecus pileatus)*	रंगा पहाड़	-	13
25.	उल्लुक या होलू बन्दर *(Hoolock leuconedys)*	इटानगर	आइजॉल, गुवाहाटी, सिपाहीजला	38
26.	एक सिंगी गेंडा *(Rhinoceros unicornis)*	गुवाहाटी	पटना, नई दिल्ली, कानपुर	30
27.	गौर *(Bos gaurus)*	मैसूर	चैन्नई, बोडला	62
28.	जंगली भैंस *(Buballus bubalis)*	-	-	1
29.	जंगली गधा *(Equus hemionus khur)*	जूनागढ़	-	14
30.	हिमालियन थार *(Hemitragus jemlahicus)*	गंगटोक	दार्जिलिंग, कुफरी, चोपता	3
31.	निलगिरी थार *(Nilgiritragus hylocrius)*	ऊटी	-	1
32.	मारखोर *(Capra falconeri)*	पहलगांव	-	0
33.	नीली भेड़ *(Pseudois nayaur)*	गंगटोक	दार्जिलिंग	0
34.	श्राऊ *(Nemorhaedus sumatraensis)*	गुवाहाटी	मणिपुर	5
35.	दलदल वाला बारहसिंघा *(Cervus duvauceli)*	लखनऊ	जल्दपारा वन्य अभियारण	147

क्र0 सं0	प्रजातियों का नाम	समन्वित करने वाले चिड़ियाघर का नाम	सहभागी चिड़ियाघर का नाम	बंदी बनाये गये प्रजाति की संख्या
36.	दलदल वाला बारहसिंघा *(Hard surface-C.d. branderi)*	बिलासपुर	-	0
37.	संगाय *(Cervus eldii)*	मणिपुर	गुवाहाटी, कोलकाता, नई दिल्ली	183
38.	मूषक हिरण *(Tragulus meminna)*	हैदराबाद	भुवनेश्वर	9
39.	कस्तूरी मृग *(Moschus chrysogaster)*	चौपटा	गुलमर्ग, गंगटोक, कुफरी	1
40.	हंगुल *(Cervus elephus hanglu)*	शिकारगाह	-	0
41.	चीरू *(Pantholops hodgsonii)*	लेह	-	0
42.	चिंकारा *(Gazella bennettii)*	मेहम	जूनागढ़, गांधीनगर, छतबीर	148
43.	चौसिंगा *(Tetracerus quadricornis)*	जूनागढ़	तिरूपति, रांची	121
44.	पिगमी हॉग या सानो बनैल *(Sus salvanius)*	वशिष्ठा	गुवाहाटी	112
45.	हिस्पिड शश *(Caprolagus hispidus)*	वशिष्ठा	गुवाहाटी	4
46.	विशाल गिलहरी *(Ratufa indica)*	रांची	-	31
47.	गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन *(Elatanista gangetica gangetica)*	पटना	-	0

क्र0 सं0	प्रजातियों का नाम	समन्वित करने वाले चिड़ियाघर का नाम	सहभागी चिड़ियाघर का नाम	बंदी बनाये गये प्रजाति की संख्या
48.	हिमालयन मोनाल या डंफी *(Lophophorus impejanus)*	मनाली	दार्जिलिंग, गंगटोक	23
49.	ब्लड फीजेंट *(Ithaginis cruentus)*	गंगटोक	दार्जिलिंग	0
50.	चैढ़ *(Catreus wallichi)*	चैल	अल्मोड़ा	22
51.	ह्यम्ज फिजेंट *(Syrmaticus humiae humaie)*	आइजॉल	-	33
52.	ग्रे पिकॉक फिजेंट *(Polyelectron bicalcaratum)*	गुवाहाटी	कोलकाता, दार्जिलिंग	54
53.	स्कलेर्टस (मिसमी) मोनाल *(Lophophorus sclateri sclateri)*	याचूली	-	0
54.	तिब्तियन इर्यड फिजेंट *(Srossoptilon harmani)*	याचूली	-	0
55.	टिमिनिक ट्रेगोपन *(Tragopan temminckii)*	याचूली	-	0
56.	ब्लाइथ्स ट्रेगोपन *(Tragopan blythii)*	कोहिमा	-	12
57.	वेस्टर्न ट्रेगोपन *(Tragopan melanocephalus)*	सराहन		23
58.	स्टयर ट्रेगोपन *(Tragopan satyra)*	दार्जिलिंग	गंगटोक	6
59.	स्लेटी जंगली मुर्गी *(Gallus sonnerati)*	तिरुपति	-	52

क्र0 सं0	प्रजातियों का नाम	समन्वित करने वाले चिड़ियाघर का नाम	सहभागी चिड़ियाघर का नाम	बंदी बनाये गये प्रजाति की संख्या
60.	लाल जंगली मुर्गी *(Gallus gallus gallus)*	मोरनी	चैल, नई दिल्ली, ऐजवाल	240
61.	मालाबार ग्रे हार्नबिल *(Ocyceros griseus)*	कोडनाडू (केरल)	हैदराबाद	0
62.	मालाबार पाइड हार्नबिल *(Anthracoceros coronatus)*	कोडनाडू (केरल)	हैदराबाद	0
63.	लंबी चोंच वाला गिद्ध *(Gyps indicus)*	पिंजौर	हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, भुवनेश्वर, राजभक्तवहा, गुवाहाटी	93
64.	पतली चोंच वाला गिद्ध *(Gyps tenuriostris)*	पिंजौर	हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, भुवनेश्वर, राजभक्तवहा, गुवाहाटी	15
65.	गिद्ध (सफेद पीठ वाला गिद्ध, हिमालयन, ग्रीफौन गिद्ध आदि) *(Gyps bengalensis)*	पिंजौर	हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, भुवनेश्वर, राजभक्तवहा, गुवाहाटी	67
66.	फालकॉन *(Peregrine)*	छतबीर	जयपुर	0
67.	बुस्टर्ड *(Great indian bustard, lesser florican, Bengal florican, Hubara bustard)*	-	-	0
68.	निकोबार कबूतर *(Caloenas nicobarica)*	चिड़ियाटापू पोर्ट ब्लेयर	अहमदाबाद, कोलकाता	20
69.	किंग कोबरा *(Ophiophgus hannah)*	पिलीकुला	बंगलौर, ममलापुरम	36
70	वाटर मोनिटर लिर्जड *(Varanus salvator)*	चिड़ियाटापू पोर्ट ब्लेयर	ममलापुरम	38

क्र0 सं0	प्रजातियों का नाम	समन्वित करने वाले चिड़ियाघर का नाम	सहभागी चिड़ियाघर का नाम	बंदी बनाये गये प्रजाति की संख्या
71.	पेंटिड रूफ टरटल *(Kachuga Kachuga)*	कुकरेल	ममलापुरम	2
72.	हिमालयन सेलेमेंडर *(Tiletotriton verrucosus)*	दार्जिलिंग	-	9

अनुलग्नक-VI

2009-10 के दौरान संकटापन्न प्रजातियों में जन्म

प्रजाति का नाम	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	जानवर का नाम	कुल नर	कुल मादा	कुल अंजान लिंग	कुल
पक्षी	आन्ध्र प्रदेश	नेहरू प्राणी उद्यान	हैदराबाद	भूरी जंगली मुर्गी	1	2	0	3
				मयूर	10	10	0	20
		श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान	तिरूपति	भूरी जंगली मुर्गी	7	3	0	10
				मयूर	0	0	4	4
	गुजरात	कमला नेहरू प्राणी उद्यान	अहमदाबाद	मयूर	0	0	2	2
				सफेद मयूर	0	0	1	1
				निकोबार कबूतर	0	0	3	3
				सफेद स्पूनबिल	0	0	2	2
		सायाजी बाग चिड़ियाधर	वडोदरा	मोनाल	0	0	3	3
		डॉ. श्यामाप्रसाद मुखजी प्राणी उद्यान	सूरत	सफेद मयूर	0	0	2	2
				सफेद स्पूनबिल	0	0	3	3
	हरियाणा	गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र	पिंजौर	सफेद पीठ वाला गिद्ध	0	0	3	3
				लम्बी चोंच वाला गिद्ध	0	0	3	3
				स्लैण्डर चोंच वाला गिद्ध	0	0	3	3
	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन नेचर पार्क	कुफरी	चैढ़	0	5	0	5
		सराहन फिजेंट्री	सराहन	वेस्टर्न ट्रेगोपन	2	0	0	2
	कर्नाटक	श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान	मैसूर	स्टयर ट्रेगोपन	0	0	3	3
		बेल्लारी बाल उद्यान व चिड़ियाघर (बेल्लारी चिड़ियाघर)	बेल्लारी	मयूर	2	0	0	2
	मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान	इम्फाल	कलीज़ फीजेंट	0	2	0	2
	मिजोरम	आइजॉल चिड़ियाघर	आइजॉल	ह्यूम फीजेंट	0	3	0	3
	उड़ीसा	इंदिरा गांधी पार्क चिड़ियाघर	राउरकेला	मयूर	0	1	0	1
	उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणी उद्यान	कानपुर	कलीज़ फीजेंट	0	0	2	2

प्रजाति का नाम	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	जानवर का नाम	कुल नर	कुल मादा	कुल अंजान लिंग	कुल
पक्षी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ प्राणी उद्यान	लखनऊ	कलीज़ फीजेंट	0	0	2	2
	पश्चिमी बंगाल	मार्बल पैलेस चिड़ियाघर	कोलकाता	मयूर	1	2	0	3
		पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी पार्क	दार्जिलिंग	कलीज़ फीजेंट	0	0	8	8
				मोनाल	0	0	2	2
				ग्रे पीकॉक फीजेंट	0	0	3	3
		रसीकबील अति लघु चिड़ियाघर	कूच बिहार	मयूर	1	2	0	3
	उत्तराखंड	पं० गोविंद बल्लभपंत हाई एल्टीटयूड चिड़ियाघर	नैनीताल	कलीज़ फीजेंट	3	2	0	5
कुल पक्षी					**27**	**32**	**49**	**108**
स्तनधारी	आन्ध्र प्रदेश	इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान	विशापट्टनम	बाघ	0	0	3	3
				तेंदुआ	0	0	2	2
		नेहरू प्राणी उद्यान	हैदराबाद	स्लॉथ भालू	1	1	0	2
				माऊस हिरन (मृग)	0	2	0	2
				बारासिंघा	0	1	0	1
				सियार	0	0	2	2
				संगाय	0	1	0	1
				कृष्णा मृग	4	8	0	12
		श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान	तिरूपति	सियार	0	0	2	2
				कृष्णा मृग	3	3	0	6
				चौसिंगा	0	0	7	7
	अरूणाचल प्रदेश	जैविक पार्क, इटानगर	इटानगर	ऊलौक बन्दर	0	0	1	1
				बन्दर	0	0	3	3
	असम	असम स्टेट जू कम बॉटनिकल गार्डन	गुवाहाटी	तेंदुआ बिल्ली	0	0	11	11
				कृष्णा मृग	0	0	4	4

प्रजाति का नाम	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	जानवर का नाम	कुल नर	कुल मादा	कुल अंजान लिंग	कुल
	बिहार	संजय गांधी जैविक पार्क	पटना	बारासिंघा	0	2	0	2
				सियार	0	0	1	1
				भारतीय गेंडा	0	1	0	1
				संगाय	1	0	0	1
				कृष्णा मृग	2	2	0	4
	छत्तीसगढ़	कानन पंडारी चिड़ियाघर	बिलासपुर	सियार	0	1	0	1
				चौसिंगा	2	0	0	2
		मैत्री बाग चिड़ियाघर	भिलाई	(मकाका रिसस) सामान्य बन्दर	0	1	0	1
				लंगूर	0	1	0	1
		नंदन वन चिड़ियाघर	रायपुर	(मकाका रिसस) सामान्य बन्दर	0	0	2	2
				चौसिंगा	1	0	0	1
	दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	दिल्ली	ऊदबिलाव	0	0	3	3
				सिंह	2	1	0	3
				संगाय	0	0	13	13
				कृष्णा मृग	7	7	2	16
				गौर	1	0	0	1
	गोवा	बोंडला चिड़ियाघर	उस्गांव	कृष्णा मृग	2	0	0	2
				गौर	1	0	0	1
	गुजरात	इद्रोदा नेचर पार्क	गांधी नगर	चिंकारा	2	0	0	2
				कृष्णा मृग	2	0	0	2
		कमला नेहरू प्राणी उद्यान	अहमदाबाद	सियार	0	0	3	3
				मकाका रिसस	0	0	2	2
				साही (पारक्यूपाइन)	0	0	5	5
		शक्करबाग चिड़ियाघर	जूनागढ़	जंगली गधा	0	1	0	1
				बारासिंघा	0	0	1	1
				सिंह	2	4	0	6

प्रजाति का नाम	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	जानवर का नाम	कुल नर	कुल मादा	कुल अंजान लिंग	कुल
	गुजरात	शक्करबाग चिड़ियाघर	जूनागढ़	चिंकारा	5	2	1	8
				कृष्णा मृग	0	0	1	1
				चौसिंगा	1	4	0	5
		सयाजी बाग चिड़ियाघर	वडोदरा	हिमालयन काला भालू	1	0	0	1
				सुअर की पूंछ वाला बन्दर	0	0	1	1
		डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान	सूरत	ऑटर	1	2	0	3
				कृष्णा मृग	1	0	0	1
	हरियाणा	डियर पार्क, हिस्सार	हिस्सार	कृष्णा मृग	0	0	4	4
		रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक	कृष्णा मृग	1	0	0	1
	झारखंड	भगवान बिरसा जैविक पार्क	रांची	कृष्णा मृग	0	0	5	5
		जवाहर लाल नेहरू जैविक पार्क	बोकारो	कृष्णा मृग	0	2	0	2
				तेंदुआ	1	1	0	2
		टाटा स्टील प्राणी पार्क	जमशेदपुर	मकाका रेसस	0	0	1	1
				कृष्णा मृग	1	0	2	3
	कर्नाटक	डियर पार्क, एन.डी.एम.सी	दोनीभलाई	कृष्णा मृग	4	9	0	13
		बैनरघट्टा प्राणी उद्यान	बंगलौर	भारतीय हाथी	1	0	0	1
				बंगाल शेर	2	0	0	2
				चिंकारा	1	0	0	1
				कृष्णा मृग	1	0	0	1
				गौर	0	1	0	1
		श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान	मैसूर	भारतीय स्क्रुअल जाइंट मालाबार	0	1	0	1
				चिंकारा	1	0	0	1
				संगाय	2	1	0	3
				कृष्णा मृग	0	1	0	1
				चौसिंगा	0	2	0	2
				गौर	6	4	0	10

प्रजाति का नाम	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	जानवर का नाम	कुल नर	कुल मादा	कुल अंजान लिंग	कुल
	कर्नाटक	तुगभद्रा बांध अति लघु चिड़ियाघर	बेल्लारी	कृष्णा मृग	1	2	0	3
		डॉ शिवराम कारनाथ पिलिलकुला जैविक पार्क	मंगलौर	मूषक हिरन	0	0	1	1
				बंगाल बाघ	1	0	0	1
		बांघ एवं सिंह सफारी	शिमोगा	बंगाल बाघ	2	1	0	3
				तेंदुआ	1	0	0	1
		बेल्लारी बाल उद्यान व चिड़ियाघर (बेल्लारी चिड़ियाघर)	बेल्लारी	कृष्णा मृग	4	0	0	4
		बाल उद्यान एवं चिड़ियाघर (गडग चिड़ियाघर)	गडग	कृष्णा मृग	0	0	3	3
		श्री क्षेत्र सोगल, सौदही में डियर पार्क	बेलगांव	कृष्णा मृग	2	0	0	2
	केरल	राज्य संग्रहालय एवं चिड़ियाघर	त्रिशूर	बंगाल बाघ	1	0	0	1
		तिरूवनंतपुरम चिड़ियाघर	तिरूवनंतपुरम	स्लाथ भालू	0	0	1	1
	मध्य प्रदेश	गांधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर	सियार	0	0	2	2
				चिंकारा	0	1	0	1
		कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	इंदौर	कृष्णा मृग	0	0	15	15
	महाराष्ट्र	औरंगाबाद नगर पालिका चिड़ियाघर	औरंगाबाद	बंगाल बाघ	1	4	0	5
				कृष्णा मृग	2	4	0	6
		वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान एवं चिड़ियाघर	मुंबई	मकाका रिसस	1	0	0	1
		राजीव गांधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव शोध केन्द्र	पुणे	सियार	2	2	0	4
				कृष्णा मृग	4	0	0	4
				चौसिंगा	4	2	0	6
		महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	शोलापुर	मकाका रिसस	0	0	1	1
				कृष्णा मृग	0	0	20	20

प्रजाति का नाम	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	जानवर का नाम	कुल नर	कुल मादा	कुल अंजान लिंग	कुल
	मणिपुर	मणिपुर प्राणी उद्यान	इम्फाल	संगाय	0	3	0	3
	मिजोरम	आइजॉल चिड़ियाघर	आइजॉल	मकाका रिसस (सामान्य बन्दर)	0	2	0	2
	उड़ीसा	नंदनकानन जैविक पार्क	भुवनेश्वर	बारासिंघा	0	0	3	3
				पेंगोलिन	0	0	2	2
				बंगाल बाघ	0	1	1	2
				सफेद बंगाल बाघ	0	1	2	2
				तेंदुआ	0	0	2	2
		वन्य जीव संरक्षण केन्द्र	मोतीझारण, संबलपुर	मकाका रिसस	0	0	2	2
	पंजाब	महेन्द्र चौधरी प्राणी पार्क	छतबीर, चंडीगढ़	बारासिंघा	0	0	2	2
				चिंकारा	0	0	6	6
				कृष्णा मृग	0	0	8	8
				चौसिंगा	0	0	1	1
		लुधियाना चिड़ियाघर	लुधियाना	कृष्णा मृग	3	0	0	3
		डियर पार्क, बीर मोती बाग (पटियाला चिड़ियाघर)	पटियाला	कृष्णा मृग	3	13	4	20
	राजस्थान	जोधपुर चिड़ियाघर	जोधपुर	कृष्णा मृग	0	0	3	3
		कोटा चिड़ियाघर	कोटा	कृष्णा मृग	0	0	2	2
		उदयपुर चिड़ियाघर	उदयपुर	कृष्णा मृग	0	0	3	3
				चौसिंगा	0	0	2	2
	सिक्किम	हिमालयन प्राणी पार्क, बुलबुले	गंगटोक	रैड पांडा	1	1	0	2
	तमिलनाडु	अरिग्नार अन्ना प्राणी पार्क	वंडालुर चैन्नई	स्लाथ भालू	3	1	0	4
				नीलगिरि लंगूर	0	0	1	1
				शेर पूंछ वाला बन्दर	0	0	2	2
		वी.ओ.सी. पार्क अति लघु चिड़ियाघर	कोयम्बटूर	टोडी कैट	3	1	0	4

प्रजाति का नाम	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	जानवर का नाम	कुल नर	कुल मादा	कुल अंजान लिंग	कुल
	त्रिपुरा	सिपाहीजाला प्राणी पार्क	सिपाहीजाला, अगरतला	तेंदुआ बिल्ली	0	0	6	6
				तेंदुआ	0	0	4	4
	उत्तर प्रदेश	कानपुर प्राणी पार्क	कानपुर	बारासिंघा	0	0	6	6
				सियार	0	0	2	2
				संगाय	0	0	7	7
				कृष्णा मृग	0	0	16	16
		लखनऊ प्राणी पार्क	लखनऊ	बारासिंघा	0	0	8	8
				चिंकारा	0	0	3	6
				कृष्णा मृग	0	0	3	6
				तेंदुआ	0	0	2	2
		वन प्राणी उद्यान, आईवीआर.आई	इज्जतनगर, बरेली	कृष्णा मृग	0	0	2	2
		डियर पार्क, इफको टाउनशिप	बरेली	कृष्णा मृग	0	0	1	1
	पश्चिमी बंगाल	अलीपुर प्राणी उद्यान	कोलकाता	लंगूर	0	0	1	1
				चिंकारा	0	0	1	1
				संगाय	0	0	2	2
		पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी पार्क	दार्जिलिंग	बर्फीला तेंदुआ	0	3	1	4
				तेंदुआ	0	0	2	2
कुल स्तनधारी					**106**	**113**	**237**	**456**
सरीसृप	दिल्ली	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	दिल्ली	गोह (मानीटर लिजार्ड)	0	0	11	11
	गुजरात	इन्द्रोदा नेचर पार्क	गांधी नगर	मगरमच्छ (मार्श)	0	0	25	25
	हरियाणा	अति लघु चिड़ियाघर, भिवानी	भिवानी	मगरमच्छ (मार्श)	0	0	7	7
	कर्नाटक	डॉ. शिवराम कारनाथ पिलिलकुला जैविक पार्क	मंगलौर	नाग	0	0	28	28
				अजगर (राक)	0	0	24	24
				सांप (धमन)	0	0	20	20
				काला कछुआ	0	0	2	2

प्रजाति का नाम	राज्य का नाम	चिड़ियाघर का नाम	शहर का नाम	जानवर का नाम	कुल नर	कुल मादा	कुल अंजान लिंग	कुल
	केरल	स्नेक पार्क, मल्लमपुझा	मल्लमपुझा	रसेल वाइपर सांप	0	0	1	1
	मध्य प्रदेश	गांधी प्राणी उद्यान	ग्वलियर	लॉग स्नाऊट मगर	0	0	60	60
	महाराष्ट्र	राजीव गांधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव शोध केन्द्र	पुणे	नाग	0	0	15	15
				अजगर (राक)	1	0	0	1
				वाइपर रसल्स	0	0	50	50
	उड़ीसा	नंदनकानन जैविक पार्क	भुवनेश्वर	मानीटर वाटर लिजार्ड	0	0	2	2
				साफ पानी वाला कछुआ/ इंडियन साफ्ट सैल कछुआ	0	0	17	17
				लॉग स्नाऊट मगर	0	0	10	10
	तमिलनाडु	मद्रास घड़ियाल बैंक ट्रस्ट/सेंटर फॉर हर्पेटोलॉजी	महाबलीपुरम	अजगर (राक)	0	0	12	12
				लॉग स्नाऊट मगर	0	0	60	60
				रूफ कछुआ	0	0	30	30
				रूफ कछुआ	0	0	2	2
	उत्तर प्रदेश	लखनऊ प्राणी उद्यान	लखनऊ	मगरमच्छ (मार्श)	0	0	21	21
	पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता स्नेक पार्क	बाडु, कोलकाता	मगरमच्छ (मार्श)	0	0	5	5
कुल सरीसृप					**1**	**0**	**402**	**403**
कुल					**134**	**145**	**688**	**967**

अनुलग्नक-VII

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा संकटापन्न प्रजातियों के लिए बनाई एवं रखी जा रही स्टडबुक

1. एशियाइ शेर (पैंथेरा लिओ)
2. बिंटूरौंग (आर्कटिक्टिस बिंटूरौंग)
3. हिमालयन (एशियाटिक) भूरा भालू (उर्सस आर्कटॉस)
4. चिंकारा (गैंजेला बेनेटी बेनेटी)
5. धब्बेदार तेंदुआ (पैंथेरा नेबुलोसा)
6. सुनहरा लंगूर (ट्रैकीपिथिसस गील)
7. भूरा भेड़िया (कैनिस ल्यूपस पैलिप्स)
8. ह्यूम्स फिजेंट (सिमेटिकस ह्युमी ह्यमी)
9. इंडियन पैंगोलिन (लेपस निग्रीकोलिस)
10. शेर की पूंछ वाला मकाउ (मकका सिलेनस)
11. लंबी चोंच वाला गिद्ध (पीपस इंडिकस)
12. मलायन सन बीअर (हेलेक्टोरन मलायानस)
13. निकोबार कबूतर (कैलोनस निकोबेरिका)
14. सुअर की पूंछ वाला मकाउ (मकाका नेमेस्ट्रिना)
15. लाल पांडा (एलुरस फल्जेनस फल्जेनस)
16. सेरो (नेमोरहेडस सुमेट्रेन्सिस)
17. चिकनी फर वाला ओटर (लुथरा लुथरा)
18. स्पेक्टेकल्ड लीफ बंदर (टैकीपिथेकस फैरी)
19. दलदली हिरण (सर्वस डिवोसेली)
20. तिब्बती भेड़िया (कैनिस ल्यूपस लैनिजर)
21. वाटर मॉनिटर लिजर्ड (वेरेनस साल्वेटर)

22. सफेद पीठ वाला गिद्ध (जीप्स बेनगालेनसिस)
23. जंगली कुत्ता (क्यूऑन एल्पाइनस)
24. चीअर फिजेंट (कैट्रिअस वालिची)
25. चौसिंगा या चार सींग वाला बारहसिंगा (ट्रेटासेरस क्वाड्रिकॉर्निस)
26. सुनहरी बिल्ली (पैरडोफेलिस टेम्मिनकी)
27. भूटानी भूरी मयूर फिजेंट (पोलीप्लेक्ट्रॉन बाईकैलकैरेटम)
28. हिमालयन मोनल (लोफोफोरस इम्पेयनस)
29. हुलुक गिबन (हुलुक ल्यूकोनिडीस)
30. इंडियन गौर (बाइसन) (बॉस गौरस)
31. किंग कोबरा (ओफियोफेगस हाना)
32. मालाबार विशाल गिलहरी (रतूफा इंडिका)
33. माउस डिअर (ट्रैगुलस मेमिना)
34. निगिरि लंगूर (सेम्नोपिथेकस जॉनी)
35. लाल जंगली मुर्गी (गैलस गैलस गैलस)
36. एक सिंगी गेंडा (रिनोसेरस यूनीकॉर्निस)
37. पतली चोंच वाला गिद्ध (जीप्स टेन्यूरोस्ट्रिस)
38. हिम तेंदुआ (पैथेरा यून्सिया यून्सिया)
39. स्टम्प टेल्ड मकाउ (मकाका आर्कटोडस)
40. मणिपुर ब्रो एंटलर्ड डिअर (कर्वस एल्डी एल्डी)
41. बंगाल टाइगर (पैंथेरा टाइग्रिस)
42. पश्चिमी ट्रैगोपेन (ट्रैगोपेन मेलेनोसेफालस)
43. जंगली गधा (इक्वस हैमियोनस खुर)
44. हिमालयन थार (हेमिट्रेगस जेम्लाहिकस)

अनुलग्नक-VIII

चिड़ियाघरों की सूची, जिनके मास्टर प्लान मिले....

1. चैन्नई स्नेक पार्क, चैन्नई
2. मैत्री बाग चिड़ियाघर, भिलाई
3. कोनरिया डिअर पार्क, नयागढ़
4. भगवान बिरसामुंडा जैविक पार्क, रांची
5. विशाखा सोसायटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रएल्टी टू एनिमल्स रेस्क्यू सेंटर, मरिकावलासा (विशाखापतनम), आंध्र प्रदेश
6. जवाहर लाल नेहरू जैविक पार्क, बोकारो, झारखंड
7. कानन पेंडारी प्राणी उद्यान, बिलासपुर
8. झारग्राम चिड़ियाघर, झारग्राम
9. सारनाथ डिअर पार्क, सारनाथ, वाराणसी
10. डिअर पार्क, एनएफसीएल, काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश
11. वन विज्ञान केन्द्र, वारंगल, आंध्र प्रदेश
12. करूणा सोसायटी फॉर एनिमल्स एंड नेचर, बीडुपल्ली रयाससीमा, आंध्र प्रदेश
13. कुरूमबापट्टी प्राणी उद्यान, सालेम, तमिलनाडु
14. अरीनगर अन्ना जैविक उद्यान, वंडालूर, चैन्नई, तमिलनाडु
15. ट्रिची चिड़ियाघर, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
16. चिल्ड्रन्स कॉर्नर, गुंडी, तमिलनाडु
17. अमीरथी चिड़ियाघर, अमीरथी, तमिलनाडु
18. प्राणी उद्यान, अलीपुर, कोलकाता, प0 बंगाल
19. रसिकबील अति लघु चिड़ियाघर, तंजौर, तमिलनाडु
20. कपिलाश चिड़ियाघर, कपिलाश, उड़ीसा
21. शिवगंगा गार्डन अति लघु चिड़ियाघर, तंजौर तमिलनाडु
22. सिपाहीजला प्राणी उद्यान, विशाखापतनम

23. इंदिरागांधी प्राणी उद्यान, विशाखापतनम
24. आम्टे एनिमल पार्क, हेमलकासा, जिला गढ़चिरौली
25. डिअर पार्क, चित्तूर, आंध्र प्रदेश
26. गरचुमुक अति लघु चिड़ियाघर, उलुघटा, हावड़ा, प0 बंगाल
27. लखनऊ प्राणी उद्यान, उत्तर प्रदेश
28. कमला नेहरू प्राणी उद्यान, कंकरिया, अहमदाबाद
29. पीपुल फॉर एनिमल रेस्क्यू सेंटर, बंगलौर
30. सफारी पार्क, हरिदास जी की मगरी, उदयपुर
31. स्नेक पार्क, मलम्पुझा, केरल
32. श्री लोकनायक जय प्रकाश नारायण स्मृति वन डिअर पार्क, वालायर, केरल
33. पिल्लामरी डिअर पार्क, महबूबनगर
34. टाटा स्टील प्राणी उद्यान, जमशेदपुर
35. डिअर पार्क, जेएलटीसी शमीरपेट, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश
36. वी.जे.बी. उद्यान चिड़ियाघर, मुंबई
37. नमदाचिलुम डिअर पार्क, तुमकुर
38. ताप्तापानी डिअर पार्क, जिला गंजम, उड़ीसा
39. कलकत्ता स्नेक पार्क,, बाडु, प0 बंगाल
40. मणिपुर प्राणी उद्यान, इम्फाल
41. नवाबगंज डिअर पार्क, उन्नाव, उत्तर प्रदेश
42. डिअर पार्क, बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर
43. नागालैंड प्राणी उद्यान, रंगापहाड़
44. गांधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर
45. मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, ममल्ला पुरम
46. संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना
47. कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर
48. श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान, तिरुपति

49. आगरा भालू पुनर्वास केन्द्र, कीथम, आगरा
50. तुंगभद्रा अति लघु चिड़ियाघर, तुंगभद्रा बांध, जि0 बेल्लारी
51. जीवीके पावर प्लांट में डिअर पार्क, जेगुरपाडु
52. तेंदुआ पुनर्वास केन्द्र, मानिकदोह, जून्नर, महाराष्ट्र
53. श्री चामराजेंद्र प्राणी उद्यान, मैसूर
54. डिअर पार्क, कंडालेरू, नेल्लोर
55. हिमायत सागर अति लघु चिड़ियाघर, रंगा रेड्डी जिला
56. निसर्गकवि बहिनाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय, पिंपरी चिंचवाड़
57. पगमार्क्स शंतिनिकेतन पुनर्वास केन्द्र, शांतिनिकेतन (बीरभूम), प0 बंगाल
58. वन्यजीव पुनर्वास केन्द्र, गोपालपुर, खेरा (जि0 गुडगांव), हरियाणा
59. इंदिरा गांधी चिड़ियाघर और डिअर पार्क, राउरकेला, उड़ीसा
60. रमनाबागान अति लघु चिड़ियाघर, बर्द्धमान
61. नेहरू फिजेंट्री, मनाली
62. आइजॉल प्राणी उद्यान, आइजॉल, मिजोरम
63. नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद
64. बोंडला चिड़ियाघर, बोंडला, गोवा
65. महात्मा गांधी उद्यान चिड़ियाघर, शोलापुर
66. हरिशंकर डिअर पार्क, बोलांगीर, उड़ीसा
67. नीलगिरि अति लघु चिड़ियाघर एवं प्रजनन केन्द्र, उधामंडलम, तमिलनाडु
68. रिवालसर चिड़ियाघर, रिवालसर
69. सुंदरवन नेचर डिस्कवरी सेंटर, जोधपुर टिकरा, अहमदाबाद
70. वन्य जीव संरक्षण केन्द्र, मोतीझारण, संबलपुर
71. डिअर पार्क, सत्यम टेक्नोलॉजी, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश
72. पंचवटी डिअर पार्क, पिलानी, राजस्थान
73. डिअर पार्क, कंडेकट्टी, हसन
74. जैविक पार्क, इटानगर

75. नंदनवन अति लघु चिड़ियाघर, रायपुर
76. तेंजावल डिअर पार्क, तेंजावल, मिजोरम
77. हिल पैलेस अति लघु चिड़ियाघर, एर्नाकुलम, केरल
78. इंदिरा प्रियदर्शिनी प्राणी संग्रहालय, अनागोडु, दावनगिरी, कर्नाटक
79. उदयपुर चिड़ियाघर, उदयपुर
80. बीकानेर चिड़ियाघर, बीकानेर, राजस्थान
81. पुरूलिया अति लघु चिड़ियाघर, पुरूलिया, प0 बंगाल
82. कोटा चिड़ियाघर, कोटा, राजस्थान
83. घड़ियाल अनुसंधान एवं संरक्षण इकाई, टीकरपाड़ा, जि0 आंगुल
84. जोधपुर चिड़ियाघर, जोधपुर
85. बाघ एवं सिंह सफारी, त्यावारेकोप्पा, शिमोगा
86. डिअर पार्क, कोसाराम सिमेंट, बसंत नगर, जि0 करीमनगर
87. राजीव गांधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अनुसंधान केन्द्र, पुणे
88. संघी अति लघु चिड़ियाघर (डिअर पार्क), संघी नगर
89. करीमनगर डिअर पार्क, करीमनगर
90. डिअर पार्क, पापाहांडी, उड़ीसा
91. कुमारी कंगसावती डिअर पार्क, बांकुड़ा
92. डिअर पार्क, इफको टाउनशिप
93. भारत रत्न पं0 जी.बी. पंत हाइ एल्टीट्यूड चिड़ियाघर, नैनीताल
94. अति लघु चिड़ियाघर, पटियाला
95. अति लघु चिड़ियाघर, बीर तालाब, भटिंडा
96. एम.सी. प्राणी उद्यान, छतबीर
97. कित्तूर रानी चन्नमा नरसिंहधाम, भूतरमानहट्टी अति लघु चिड़ियाघर, बेलगाम
98. रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक
99. अति लघु चिड़ियाघर, भिवानी
100. अति लघु चिड़ियाघर, पिपली

101. कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर
102. बनेरघट्टा जैविक पार्क, बंगलोर
103. दक्षिण खैराबाड़ी तेंदुआ सफारी एवं पुनर्स्थापन केन्द्र, दक्षिण खैराबाड़ी
104. हिमालयन प्राणी उद्यान, बुलबुल
105. ईद्रोदा नेचर पार्क, गांधी नगर
106. राजकोट चिड़ियाघर, राजकोट
107. किन्नरसनी डिअर पार्क, किन्नरसनी
108. तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर, तिरुवनंतपुरम
109. लायन सफारी, वसोना
110. पिलीकुला जैविक पार्क, मंगलोर
111. सायाजीबाग चिड़ियाघर, अजवा, गुजरात
112. नंदनकानन जैविक पार्क, भुवनेश्वर
113. डिअर पार्क, दोनीभलाई, बेल्लारी
114. राज्य चिड़ियाघर, इमत्रु, मेघालय (लेडी हैदरी पार्क अति लघु चिड़ियाघर, शिलांग का स्थान परिवर्तन)
115. स्नेक पार्क, शितकारी शिक्षण मंडल, जि0 कोल्हापुर, महाराष्ट्र
116. चिल्ड्रेन्स पार्क एवं अति लघु चिड़ियाघर, बेल्लारी
117. चिल्ड्रेन्स पार्क एवं अति लघु चिड़ियाघर, गुलबर्ग, कर्नाटक
118. वन्यजीव पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र (सीडब्ल्यूआरसी), बोरजुरी, असम
119. भालू पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र (सीबीआरसी), पक्के
120. गोरेवाड़ा चिड़ियाघर (नये चिड़ियाघर का प्रस्ताव)
121. वन विहार नेशनल पार्क
122. वन्यजीव पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन केन्द्र, बंगलौर
123. हिमालयन नेचर पार्क, कुफरी, हिमाचल प्रदेश
124. डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत, गुजरात
125. औरंगाबाद नगर पालिका चिड़ियाघर, औरंगाबाद
126. जयपुर चिड़ियाघर, जयपुर

अनुलग्नक-IX

चिड़ियाघरों की सूची, जिनके मास्टर (ले आउट) प्लान अनुमोदित हैं

1. कौनरिया डिअर पार्क, नयागढ़, उड़ीसा
2. थेंजॉल डिअर पार्क, थेंजॉल, मिजोरम
3. आइजॉल चिड़ियाघर, आइजॉल मिजोरम
4. सुंदरवन नेचर डिस्कवरी केन्द्र, अहमदाबाद, गुजरात
5. वन्यजीव पुनर्वास केन्द्र, गोपालपुर, हरियाणा
6. अरीनगर अन्ना प्राणी उद्यान, वंडालूर, चैन्नई, तमिलनाडु
7. आगरा भालू पुनर्वास केन्द्र, कीथम, आगरा, उत्तर प्रदेश
8. प्राणी उद्यान, अलीपुर, कोलकाता, प0 बंगाल
9. महात्मा गांधी उद्यान चिड़ियाघर, शोलापुर महाराष्ट्र
10. निसर्गकवि बहिनाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय, पिंपरी चिंचवाड़, महाराष्ट्र
11. वीरमाता जीजाबाई भोसले उद्यान चिड़ियाघर, बाइकुला, मुंबई, महाराष्ट्र
12. तेंदुआ पुनर्वास केन्द्र, मानिकदह, जि. जून्नर, महाराष्ट्र
13. उदयपुर चिड़ियाघर, उदयपुर, राजस्थान
14. भगवान बिरसा जैविक पार्क, रांची, झारखंड
15. चैन्नई स्नेक पार्क ट्रस्ट, चैन्नई
16. बोंडला चिड़ियाघर, बोंडला, गोवा
17. अमीरथी चिड़ियाघर, अमीरथी
18. बैनरघट्टा जैविक पार्क, बंगलौर, कर्नाटक
19. तुंगभद्रा अति लघु चिड़ियाघर, जि0 बेल्लारी, कर्नाटक
20. पिल्लरमारी डिअर पार्क, महबूबनगर, आंध्र प्रदेश
21. डिअर पार्क, चित्तूर, आंध्र प्रदेश
22. टाटा स्टील प्राणी उद्यान, जमशेदपुर
23. चिल्ड्रेन पार्क, गुंडी, तमिलनाडु

24. कुरूमबापट्टी चिड़ियाघर, तमिलनाडु
25. कपिलाश चिड़ियाघर, ढेंकानल, उड़ीसा
26. कमला नेहरू प्राणी उद्यान, अहमदाबाद, गुजरात
27. मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, ममल्लापुरम, तमिलनाडु
28. जोधपुर चिड़ियाघर, जोधपुर, राजस्थान
29. सिपाहीजला प्राणी उद्यान, सिपाहीजला, त्रिपुरा
30. इंद्रोदा नेचर पार्क, गांधीनगर, गुजरात
31. सफारी पार्क, हरिदास जी की मगरी, उदयपुर, राजस्थान
32. गांधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
33. भालू पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र, पक्की, अरूणाचल प्रदेश
34. वन्यजीव पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र, भोरजुरी, असम

अनुलग्नक-X

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वित्तपोषित मौजूदा अनुसंधान परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रयोजन	प्रस्तावित लागत	परियोजना की अवधि	परियोजना आरंभ (समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया)	स्थिति
	राष्ट्रीय परियोजनाएं					
1	कैपटिव जंगली जानवरों को प्रभावित करने वाले रोगों की पहचान के लिए राष्ट्रीय रेफरल केन्द्र का निर्माण- आईवीआरआई - बरेली	स्वास्थ्य देखभाल संबंधी मामलों के संबंध में भारतीय चिड़ियाघरों को सेवा में सलाह देना	30.36 लाख रु0	एकमुश्त अनुदान दीर्घकालीन परियोजना	18.9.2007	जारी
2	जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए जैव-प्रौद्योगिकीय सहायता का उपयोग - लाकोन्स, हैदराबाद	चिड़ियाघर के जानवरों का हेटेरोगाइगोसिटी का विश्लेषण करना, फ्रोजेन बैंक बनाना और चिड़िया घर के जानवरों के लिए सहायता प्राप्त प्रजनन के लिए तकनीक विकसित करना	100.34 लाख रु0 (20.57 लाख रु0 प्रति वर्ष)	5 वर्ष	26.3.2007	जारी
3	भारतीय आयोजना एवं पुरातत्व विद्यालय में चिड़ियाघरों के लिए चिड़ियाघर की डिजाइन के सिद्धांत के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करना	भारत में चिड़ियाघरों के लिए चिड़ियाघर की डिजाइन के सिद्धांत के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करना	23.14 लाख रु0	1 1/2 वर्ष	22.3.2006	जारी

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रयोजन	प्रस्तावित लागत	परियोजना की अवधि	परियोजना आरंभ (समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया)	स्थिति
	राष्ट्रीय परियोजनाएं					
4	भारतीय चिड़ियाघर भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए स्टड/समूह पुस्तिका का रखरखाव	भारतीय चिड़ियाघरों में संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए स्टड/समूह पुस्तिका का रखरखाव	22.20 लाख रु0	5 वर्ष	4.10.2006	जारी
5	चुनिंदा भारतीय चिड़ियाघर भारतीय वन्य जीव संस्थान में कुछ प्रजातियों के आवास एवं घेरा संवर्द्धन संबंधी अध्ययन	आवास एवं घेरा संवर्द्धन के संबंध में चिड़ियाघरों के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना	38.72 लाख रु0	3 वर्ष	आरंभ किया जाना है	जारी
6	कैपटिव स्थिति में जानवरों के भोजन का मानकीकरण-आईवीआरआई, बरेली	कैपटिव स्थितियों में जानवरों के भोजन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना	34.92 लाख रु0	2 वर्ष	20.8.2007	जारी
	लघु अनुदान अध्ययन					
7	इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, विशाखापट्टनम में कैद में जंगली कुत्तों के प्रजनन जीवन विज्ञान, प्रजनन व्यवहार तथा संवर्द्धन आवश्यकता और विकास संबंधी अवलोकन और उसके बच्चे का विकास	जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना और पशुपालन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करना	3.64 लाख रु0	2 वर्ष	4.4.2006	जारी

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रयोजन	प्रस्तावित लागत	परियोजना की अवधि	परियोजना आरंभ (समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया)	स्थिति
	लघु अनुदान अध्ययन					
8	नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर में चिड़ियाघर के जानवरों एवं पक्षियों के लिए बाहरी एवं आंतरिक परजीवियों के संबंध में अनुसंधान परियोजना	चिड़ियाघर के जानवरों एवं पक्षियों के बाहरी एवं आंतरिक परजीवियों के निर्धारण एवं उपचार के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना	6.00 लाख रु0	3 वर्ष	20.2.2007	जारी
9	भारतीय चिड़ियाघर - भारतीय चिड़ियाघर में बाहरी (विदेशी) जानवरों के पालन, प्रजनन एवं संरक्षण की स्थिति	भारतीय चिड़ियाघरों में बाहरी जानवरों की स्थिति का मूल्यांकन करना	7.0 लाख रु0	10 माह	आरंभ होने वाला है	शुरू नहीं हुआ
10	भारतीय चिड़ियाघर -प्राणी उद्यान, अलीपुर में राष्ट्रीय स्तर पर ब्रो एंटीलर्ड डियर के संरक्षण, प्रजनन के लिए परियोजना प्रस्ताव	थामिन डियर के लिए संरक्षण, प्रबंधन, प्रजनन योजना तैयार करना	8.85 लाख रु0	2 वर्ष	27.7.2006	जारी
11	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वन्दालूर चैन्नई में विविध प्रजनन करने वाले जानवरों के आबादी नियंत्रण उपायों के लिए अनुसंधान प्रस्ताव	चिड़ियाघरों में विविध प्रजातियों के लिए नियंत्रण के उपाय सुझाना	6.75 लाख	3 वर्ष	2.3.2007	जारी

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रयोजन	प्रस्तावित लागत	परियोजना की अवधि	परियोजना आरंभ (समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया)	स्थिति
	लघु अनुदान अध्ययन					
12	सिपाहिजाला चिड़ियाघर अगरतल्ला, त्रिपुरा में धब्बेदार चीतों के संबंध में व्यावहारिक अध्ययन	चिड़ियाघर में धब्बेदार चीता के लिए पशुपालन संबंधी दिशा - निर्देश तैयार करना	3.86 लाख	02 वर्ष	15.4.2008	जारी
13	नंदनकानन प्राणी उद्यान, भुवनेश्वर में भारतीय पेंगोलिन का संरक्षण, प्रजनन	चिड़ियाघरों में भारतीय पेंगोलिन के लिए पशुपालन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करना	10.75 लाख रु0	3 वर्ष	3.2.2009	जारी
14	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान में शेर की पूँछ वाले वानर (मकाक) के प्रजनन का संरक्षण	अरिगनार अन्ना चिड़ियाघर तिरूवनंतपुरम चिड़ियाघर एवं मैसूर चिड़ियाघर में शेर की पूँछ जैसे वानर के प्रजनन का संरक्षण	7.53 लाख रु0 + 1.51 लाख रु0	3 वर्ष	29.1.2004	जारी
15	श्री चाम राजेन्द्र प्राणी उद्यान मैसूर में कैपटिव जानवरों के लिए ताजा भोजन का प्रबंधन के लिए मानक नवाचार	कैपटिव जानवरों के लिए ताजा भोजन के लिए नवाचार बनाना	2.00 लाख रु0	2 वर्ष	16.9.2009	जारी
16	पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान दार्जीलिंग में बर्फीले चीते का अध्ययन करना	कैपटिविटी में बर्फीले चीते के संरक्षण प्रजनन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना	3.52 लाख रु0	2 वर्ष	20 मार्च, 2010	जारी

अनुलग्नक-XI

विभिन्न चिड़ियाघर और संबंधित संगठन को रिलीज किए गए अनुदान के ब्यौरे

2009-2010

			राशि
अडीना हिरण उद्यान		मालदा	
1	मास्टर प्लान तैयार करना		40000
		कुल	**40000**
	आइजॉल चिड़ियाघर (मिजोरम चिड़ियाघर)	**आइजॉल**	
2	मास्टर प्लान तैयार करना		140000
3	आर.सी.सी. वाटर टैंक का निर्माण		250000
4	ईंट से बनी दीवार का घेरा		600000
5	संगरोध क्षेत्र का निर्माण		5400000
6	चहारदीवारी का निर्माण		300000
7	प्रतिधारक दीवार का निर्माण		337000
8	शिक्षा एवं जागरूकता		600000
9	जानवरों के बाड़े में साइनेज उपलब्ध कराना		975000
10	भारतीय वानर के घेरे का निर्माण		2300000
11	शव परीक्षण कक्ष		300000
12	एआरके सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद		50000
13	कालीज फीजेन्ट बाड़े का निर्माण		1000000
14	निशाचर जानवर का घर		3000000
15	चिड़ियाघर के भीतर नाले का ढंकने के लिए		350000
16	पशु सामग्री की खरीद के लिए		200000
		कुल	**15802000**
	अलीपुर जूलॉजीकल गार्डन	**कोलकाता**	
17	सर्पगृह		4423000
18	घड़ियाल के लिए बाड़ा		4958000
19	जानवरों का परिवहन प्रभार		142000
20	मास्टर प्लान तैयार करना		160000
21	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद		50000
		कुल	**9733000**

	अमीरधी चिड़ियाघर, बैल्लोर, तमिलनाडु	
22	मास्टर प्लान तैयार करना	40000
	कुल	**40000**
	अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान, वैन्डलूर, चैन्नई	
23	पुनर्वास केन्द्र का वार्षिक अनुरक्षण	202000
24	गौर (वृषभ) बाड़े का निर्माण	4720000
25	रीछ, काला भालू के लिए आवास	4330000
26	बाघ का बाड़ा निर्माण	4660000
27	पुनर्वास केन्द्र का अनुरक्षण	8000000
	कुल	**21912000**
	असम राज्य चिड़ियाघर सह बनस्पति विज्ञान उद्यान गुवाहाटी	
28	जानवरों यथा हाथी का परिवहन प्रभार	35000
29	मास्टर प्लान तैयार करना	160000
30	धब्बेदार चीता के बाड़े के लिए	773000
31	सड़क एवं फुट पाथ	372000
32	बाड़ा संवर्द्धन	200000
33	स्कवीज केज (पिंजरा) का निर्माण	240000
	कुल	**1780000**
	औरंगाबाद नगरपालिका चिड़ियाघर औरंगाबाद	
34	मास्टर प्लान तैयार करना	80000
	कुल	**80000**
	भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची	
35	मास्टर प्लान तैयार करना	120000
	कुल	**120000**
	जैविक उद्यान इटानगर इटानगर	
36	संरक्षण प्रजनन केन्द्र का निर्माण कुल	**5067000**
	चैन्नई सर्प उद्यान न्यास गुइंडी, चैन्नई	
37	आगंतुकों के लिए घेरा	723000
38	शिक्षा एवं इन्टरेप्शन	1780000
	कुल	**2503000**

	हिरण उद्यान तेंजावल	**तेंजावल**	
39	मास्टर प्लान तैयार करना	कुल	**100000**
	डा0 के. शिवर्मा करंत पिलिलकुला जैविक उद्यान	**मंगलौर**	
40	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद		50000
41	किंग कोबरा के लिए संरक्षण प्रजनन बाड़ा		1000000
		कुल	**1050000**
	हिमालयन प्राणी उद्यान, बुलबुले	**गंगटोक**	
42	केमरा की खरीद		183000
43	जीरॉक्स मशीन		80000
44	मास्टर प्लान तैयार करना		40000
45	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यटूर की खरीद		50000
		कुल	**353000**
	इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान	**विशाखापट्टनम**	
46	पुनर्वास केन्द्र का अनुरक्षण		4000000
		कुल	**4000000**
	जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान	**बोकारो**	
47	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद		50000
48	मास्टर प्लान तैयार करना		80000
		कुल	**130000**
	कमला नेहरू प्राणी उद्यान	**अहमदाबाद**	
49	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद		50000
		कुल	**50000**
	कानपुर प्राणी उद्यान	**कानुपर**	
50	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद		50000
51	मास्टर प्लान तैयार करना		160000
		कुल	**210000**
	कुरूम्बापट्टी प्राणी उद्यान	**सलेम**	
52	सुरक्षाघेरा		2685000
		कुल	**2685000**
	लखनऊ प्राणी उद्यान	**लखनऊ**	
53	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद		50000

54	मास्टर प्लान तैयार करना		160000
		कुल	**210000**
	लुधियाना चिड़ियाघर	**चिड़ियाघर**	
55	मास्टर प्लान तैयार करना		80000
		कुल	**80000**
	मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट/सेन्टर फॉर	**महबलिपुरम**	
56	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद		50000
		कुल	**50000**
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	**सोलापुर**	
57	पशु चिकित्सालय का निर्माण		5060000
58	सिंह के लिए बाड़ा का निर्माण		4684000
59	चीता के लिए बाड़ा का निर्माण		3230000
60	हिरण के लिए बाड़े का निर्माण		3342000
61	जानवरों के लिए बाड़े में साइनेज उपलब्ध कराना		1553000
		कुल	**17869000**
	महेन्द्र चौधरी प्राणी उद्यान	**छतवीर चंडीगढ**	
62	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद		50000
		कुल	**50000**
	मणिपुर प्राणी उद्यान	**इम्फाल**	
63	संरक्षण प्रजनन केन्द्र की स्थापना		2498000
		कुल	**2498000**
	मियाओ अतिलघु चिड़ियाघर	**मिआओ**	
64	मास्टर प्लान तैयार करना		40000
		कुल	**40000**
	अतिलघु चिड़ियाघर, रोइंग	**रोइंग**	
65	मास्टर प्लान तैयार करना		40000
		कुल	**40000**
	नहारगढ़, जैविक उद्यान	**जयपुर**	
66	पुनर्वास केन्द्र का अनुरक्षण		7800000
		कुल	**7800000**

	नंदनकानन जैविक उद्यान **भुवनेश्वर**	
67	हार्न बिल के लिए बाड़े का निर्माण	2000000
	कुल	**2000000**
	नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद	
68	अहाता दीवार का निर्माण	3750000
69	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद	50000
70	पिसुरी (माउस डियर) के लिए संरक्षण प्रजनन बेड़ा	1800000
	कुल	**5600000**
	निसारगकावी बहनबाई चौधरी **चिंचिबाड़, पूणे**	
71	मास्टर प्लान तैयार करना **कुल**	**60000**
	पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान **दार्जीलिंग**	
72	चिड़ियाघरों में अभिलेख अनुरक्षण (लघु अनुदान अध्येतावृति)	183000
73	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद	50000
74	बर्फीले चीते के संबंध में अध्ययन	176000
	कुल	**409000**
	पंडित गोविन्द वल्लभ पंत उच्च अक्षांश चिड़ियाघर **नैनीताल**	
75	तिब्बती भेड़िए के लिए बाड़े का निर्माण	1062000
	कुल	**1062000**
	राजीव गांधी प्राणी उद्यान एवं वन्य जीवन पूणे	
	कुल	
76	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद	50000
77	सरीसृप के पालन के लिए दिशा निर्देश	185000
	कुल	**235000**
	राजकोट चिड़ियाघर **राजकोट**	
78	मास्टर प्लान तैयार करना	80000
	कुल	**80000**
	रामनबागन अतिलघु चिड़ियाघर **वर्दमान**	
79	मास्टर प्लान तैयार करना	40000
	कुल	**40000**
	पुनर्वास केन्द्र बनेरघट्टा **बंगलौर**	
80	पुनर्वास केन्द्र का अनुरक्षण	9200000

81	पुनर्वास केन्द्र का वार्षिक अनुरक्षण	350000
	कुल	**9550000**
	सारनाथ हिरण उद्दान वाराणसी	
82	मास्टर प्लान तैयार करना	40000
	कुल	**40000**
	सेपाहीजाला प्राणी उद्यान सेपाहीजाला, अगरतल्ला	
83	सुरक्षा घेरा	461000
84	सुरक्षा घेरा	3423000
85	अग्निभस्मक स्थापित करना	111000
86	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद	50000
	कुल	**4045000**
	शिवगंगा गार्डन अतिलघु चिड़ियाघर तंजावूर	
87	मास्टर प्लान तैयार करना	40000
	कुल	**40000**
	दक्षिण खैराबारी लिओपार्ड सफारी एंव पुर्नवास केन्द्र मदारीहाट	
88	पुनर्वास केन्द्र का अनुरक्षण	3100000
	कुल	**3100000**
	श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान मैसूर	
89	हायना के लिए बाड़े के लिए	1015000
90	गोरल के लिए बाड़ा	1060000
91	अहाता दीवार का निर्माण	1555000
92	बाड़ा संवर्द्धन	400000
93	अनुसंधान एवं विकास प्रभाग में सुधार	100000
	कुल	**4130000**
	श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान तिरूपति	
94	पुनर्वास केन्द्र का अनुरक्षण	7900000
95	भूरे रंग वाली जंगली लोमड़ी के लिए संरक्षण प्रजनन बेड़ा	3000000
	कुल	**10900000**
	टाटा स्टील प्राणी उद्यान जमशेदपुर	
96	मास्टर प्लान तैयार करना	50000
97	मास्टर प्लान तैयार करना	90000

98	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद	50000
	कुल	**190000**
	बाघ और सिंह सफारी **शिमोगा**	
99	मास्टर प्लान तैयार करना	80000
	कुल	**80000**
	उदयपुर चिड़ियाघर **उदयपुर**	
100	मास्टर प्लान तैयार करना	40000
	कुल	**40000**
	वन प्राणी उद्यान, आईबीआरआई **बरेली**	
101	आरक सॉफ्टवेयर में उपयोग के लिए कंप्यूटर की खरीद	50000
	कुल	**50000**
	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर **भोपाल**	
102	पुनर्वास केन्द्र का अनुरक्षण	2500000
103	सुरक्षा घेरा	3064000
104	विद्युत आपूर्ति का नवीकरण	2500000
	कुल	**8064000**
	कुल जोड़ :	**144007000**

अनुलग्नक-XII

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

धनराशि रू० में

समूह/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
समूह/पूंजीगत निधि	1	5,716,344	37,88,952
आरक्षित एवं अधिशेष	2	शून्य	शून्य
निर्धारित/दान में प्राप्त निधियां	3	शून्य	शून्य
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	शून्य	शून्य
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5	शून्य	शून्य
विलंबित ऋण देयताएं	6	शून्य	शून्य
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	30,741	9,64,603
कुल		**5,747,085**	**47,53,555**
परिसंपत्तियां			
निर्धारित परिसंपत्तियां	8	1,451,847	1,564,453
निर्धारित/दान में प्राप्त निधियों से निवेश	9	शून्य	शून्य
निवेश - अन्य	10	शून्य	शून्य
चालू परिसंत्तियों ऋण, अग्रिम आदि	11	4,295,238	3,189,102
विविध व्यय (बट्टे खाते में नहीं डाले गए अथवा समायोजित नहीं की गई की सीमा तक)		शून्य	
कुल		**5,747,085**	**4,753,555**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां	25		

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
आय एवं व्यय लेखा
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	विगत वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12	शून्य	शून्य
अनुदान / सब्सिडी	13	17,50,00,000	175,000,000
शुल्क / चन्दा	14	1,50,400	22,200
निवेश से आय (निवेश संबंधी आय)	15	शून्य	शून्य
निर्धारित / (देय) निधियों में अंतरित निधियां		शून्य	शून्य
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	शून्य	शून्य
अर्जित ब्याज	17	शून्य	शून्य
अन्य आय	18	4,665	10,176
जोड़ (क)		**17,51,55,065**	**17,50,32,376**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	69,19,800	66,33,711
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,88,67,478	2,47,10,346
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	14,73,00,061	14,27,13,391
ब्याज	23	शून्य	
मूल्य ह्रास (वर्ष के अंत में निवल जोड़ (अनुसूची 8)	8	2,68,348	3,06,897
जोड़ (ख)		**17,33,55,687**	**17,43,64,345**
व्यय की तुलना में आय की अधिकता (क-ख)		17,99,378	6,68,031
विशेष आरक्षित निधि में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें।)		शून्य	शून्य
सामान्य आरक्षित निधि में से अंतरण		शून्य	शून्य
शेष अधिक होने की वजह से समूह /पूंजीगत निधि में अग्रनयित किया गया		17,99,378	6,68,031
शेष कम होने की वजह से समूह / पूंजीगत निधि में अग्रनयित किया गया		शून्य	शून्य
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणी	25		

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 को समाप्त हुई अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. अथशेष			1. व्यय		
(क) उपलब्ध रोकड़			क. स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)	78,53,830	61,16,624
अग्रदाय	15000	15000			
			(ख) प्रशासनिक व्यय	72,32,456	1,00,89,294
(ख) बैंक शेष			(अनुसूची 21 के अनुसार)		
(i) चालू खाता में	2815914	1387535			
(ii) सावधि खाता में	शून्य	शून्य			
(iii) बचत खाता में	शून्य	शून्य			
II. प्राप्त अनुदान			**II.** विभिन्न परियोजनाओं की निधियों के लिए किया गया भुगतान		
(क) भारत सरकार से	175,000,000	175,000,000	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाना चाहिए)		
(ख) राज्य सरकार से	शून्य	शून्य			

प्राप्तियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(ग) अन्य स्रोत से (ब्यौरा)	शून्य	शून्य	i. चिड़ियाघर को सहायता अनुदान	14,73,00,061	14,27,13,391
(पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान (अलग-अलग दर्शाया जाए)			ii. चिड़ियाघर की निगरानी एवं मूल्यांकन	6,07,457	6,11,811
			iii. अनुसंधान परियोजनाएं	49,72,026	48,29,105
			iv. प्रशिक्षण कार्यशाला सम्मेलन	59,83,151	88,05,831
			v.		
			vi. चलते फिरते बंद चिड़ियाघर	शून्य	शून्य
			vii. पशुओं का परिवहन	76,700	
III. निम्नलिखित से निवेश पर आय			III. किया गया निवेश एवं जमा		
(क) निर्धारित / देय निधियां	शून्य		(क) निर्धारित / देय निधियों से	शून्य	शून्य
(ख) अपनी निधियां (अन्य निवेश)	शून्य		(ख) अपनी निधियों से (निवेश - अन्य)	शून्य	शून्य
iv. प्राप्त ब्याज			iv. निर्धारित परिसंपत्तियों एवं कार्यशील पूंजी पर व्यय		

प्राप्तियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(क) बैंक में जमा राशि			क. निर्धारित परिसंत्तियों की खरीद	1,55,742	2,23,353
(ख) ऋण, अग्रिम राशि आदि			ख. जारी पूंजीगत कार्य पर व्यय	शून्य	शून्य
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			V. अधिशेष धन / ऋण की वापसी		
मान्यता के लागू होने से चिड़ियाघर से प्राप्त शुल्क	150400	22200	(क) भारत सरकार को	शून्य	शून्य
आरटीआई के आवेदन से प्राप्त शुल्क	4595	2570	(ख) राज्य सरकार को	शून्य	शून्य
			(ग) अन्य निधि प्रदाता को	शून्य	शून्य
vi. उधार ली गई राशि			vi. वित्तीय प्रभार (ब्याज)		
vii. कोई अन्य प्राप्तियां (ब्यौरा दें)			vii.अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
(क) विविध प्राप्तियां	70	7606	(क) टीडीएस का भुगतान	3,17,072	2,39,842
(i) सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वापस की गई अग्रिम राशि का खर्च न किया गया शेष			(ख) सुरक्षा जमा (रिलीज की गई)	शून्य	शून्य

प्राप्तियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(ख) स्कूटर के लिए अग्रिम राशि पर ब्याज	शून्य		(ग) समायोजन योग्य राशि (अन्य विभाग द्वारा)	शून्य	शून्य
(ग) सुरक्षा जमा					
(घ) अग्रिम राशि की पुनर्वापसी	99997	33712	(घ) स्टाफ के लिए अग्रिम राशि	9,34,700	2,54,600
(ङ) टीडीएस की पुनर्वापसी	317072	239842	(ङ) अन्य विभाग को भुगतान (वेतन विपत्र से वापसी)	5,74,016	5,26,780
(च) स्टाफ कार की वापसी	4480	6300	(च) बैंक प्रभार	शून्य	शून्य
(छ) लाइसेंस शुल्क	शून्य	शून्य			
(ज) अन्य विभागों द्वारा समायोजित करने योग्य वेतन विपत्र से वापसी	574016	526780			
(झ) परिसंत्तियों की बिक्रि से प्राप्त राशि	शून्य	शून्य			
(ञ) जीआईए वापस					

प्राप्तियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(ट) वापस की गई छुट्टी / वेतन एवं पेंशन अंशदान	शून्य		viii. अंतशेष		
			(क) उपलब्ध रोकड़		
			अग्रदाय	15,000	15,000
			(ख) बैंक में जमा		
			(i) चालू खाता में	29,59,333	28,15,914
			(ii) जमा खाता में	शून्य	शून्य
			(iii) बचत खाता में	शून्य	शून्य
जोड़	**178981544**	**177241545**		**17,89,81,544**	**17,72,41,545**

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची
अनुसूची 1 - समूह / पूंजीगत निधि

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अनुसूची1 - संचय / पूंजीगत निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	37,88,952	31,20,921
संचय / सीजीए निधि के लिए अतिरिक्त अंशदान	शून्य	
आय एवं व्यय खाता से अंतरित निवल आय का अतिरिक्त शेष	17,99,378	6,68,031
कटौती : निवल व्यय का शेष	शून्य	शून्य
आय एवं व्यय खाता से अंतरित		
वर्ष के अंत में शेष	55,88,330	37,88,952

वित्तीय विवरण (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम - केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची
अनुसूची 7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. चालू देयताएं		
1. प्राप्तियां	शून्य	शून्य
2. विविध ऋणदाता		
क. वस्तु	शून्य	शून्य
ख. अन्य	शून्य	शून्य
3. प्राप्त अग्रिम	शून्य	शून्य
4. अर्जित ब्याज लेकिन बाकी नहीं		
क. सुरक्षित ऋण / उधार	शून्य	शून्य
ख. असुरक्षित ऋण / उधार	शून्य	शून्य
5. अन्य चालू देयताएं		
i. मंत्रालय को वापस किया जाने वाला सहायता अनुदान	शून्य	शून्य
ii. मंत्रालय को वापस किया जाने वाला खर्च न किया गया सहायता अनुदान	शून्य	शून्य
iii. वापस करने योग्य सुरक्षित राशि	20,000	20,000
जोड़ क	20,000	20,000
ख. प्रावधान		
1. करारोपण के लिए	शून्य	शून्य
2. उपदान	शून्य	शून्य
3. अधिवर्षिता / पेंशन		
(i) अधिवर्षिता योजना में अंशदान	शून्य	शून्य
4. जमा छुट्टी नकदीकरण	शून्य	शून्य
5. व्यापार वारंटी / दावा	शून्य	शून्य
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
देय दूरभाष प्रभार	10,741	10,573
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान		9,34,030
देय लेखा परीक्षा शुल्क	शून्य	शून्य
जोड़ (ख)		**9,44,603**
जोड़ (क-ख)	**30,741**	**9,64,603**

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची
अनुसूची - 8 स्थायी परिसम्पत्तियां

(रकम रूपये में)

	वर्ष के प्रारंभ में मूल्य (क)	वर्ष के दौरान वृद्धि (ख)		वर्ष के दौरान कटौती (ग)	वर्ष के अंत में कुल मूल्य (घ)	मूल्यह्रास प्रतिशत (ङ)	वर्ष के आरंभिक मूल्य के अनुसार (च)	वर्ष के दौरान अर्जित सम्पत्ति पर (छ)		वर्ष के दौरान कटौती पर (ज)	कुल योग (झ)	वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार (घ-च-छ)	विगत वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार
		04/09-09/09	10/09-03/10					04/09-09/09	10/09-03/10				
वाहन	1,24,181				1,24,181	15%	18,627	-	-		18,627	1,05,554	1,24,181
फर्नीचर व उपस्कार	10,47,465	15,023			10,62,488	10%	1,04,747	1,502	-		1,06,249	9,56,239	10,47,465
कार्यालय उपकरण	3,28,665	59,650	24,990		4,13,305	15%	49,300	8,948	1,874		60,122	3,53,183	3,28,665
कंप्यूटर संबंधित उपकरण	58,662		8,520	-	67,182	60%	35,197	-	2,556		37,753	29,429	58,662
किताबे (पुस्तकालय)	5,480	32,675	14,884	-	53,039	100%	5,480	32,675	7,442		45,597	7,442	5,480
योग (चालू वर्ष)	**15,64,453**	**1,55,742**		-	**17,20,195**		**2,13,351**	**43,125**	**11,872**		**2,68,348**	**151,137**	**15,64,453**
योग (गत वर्ष)	**17,85,289**		**2,23,353**	**1,37,292**	**18,71,350**		**258,021**		**24,648**	**24,228**	**3,06,897**	**15,64,453**	**17,85,289**

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम - केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची
अनुसूची-11 चालू परिसपंत्तियां ऋण व अग्रिम

(रकम रूपये में)

(क) चालू परिसंपत्तियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. चल सम्पत्तियों की सूची		
क. स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स	शून्य	शून्य
ख. लूज, टूल्स	शून्य	शून्य
ग. स्टॉक - इन - ट्रेड	शून्य	शून्य
फिनिशिड गुडस	शून्य	शून्य
वर्क - इन - प्रोग्रेस	शून्य	शून्य
कच्ची सामग्री	शून्य	शून्य
2. विविध कर्जदार :		
क. कर्जे जो छः महीने से ज्यादा समय से बकाया है	शून्य	शून्य
ख. अन्य	शून्य	शून्य
3. हाथ में रोकड (चैक् / ड्राफ्ट और अग्रधन)		
हाथ में रोकड़	शून्य	शून्य
अग्रधन	15,000	15,000
4. बैंक शेष :		
क. अनुसूचित बैंकों में		
- चालू खाता	29,59,333	28,15,914
- जमा खाता	शून्य	शून्य
(पार्श्व धन सहित)		
- बचत खाता	शून्य	शून्य
ख. गैर अनुसूचित बैंकों में		
- चालू खाता	शून्य	शून्य
- जमा खाता	शून्य	शून्य
- बचत खाता	शून्य	शून्य
5. डाकघर बचत खाता	शून्य	शून्य
कुल (क)	**29,74,333**	**28,30,914**

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम - केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची
अनुसूची-11 चालू परिसपंत्तियां ऋण व अग्रिम

(रकम रूपये में)

(ख) ऋण अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. ऋण		
क. कर्मचारी	11,84,891	3,50,188
ख. अन्य सत्व जो कार्यक्रमों/समान उद्देश्यों में भागीदार हों	शून्य	शून्य
ग. अन्य (विवरण सहित)	शून्य	शून्य
2. अग्रिम व अन्य राशियों जो नगद में प्रत्याहरणीय हो		
व प्राप्ति योग्य मूल्य		
क. पंजी खाते पर	शून्य	शून्य
ख. पूर्व भुगतान		
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने योग्य	1,28,014	शून्य
-के.लो.नि.वि./पूर्तिकारों को अग्रिम		
ग. अन्य		
पेट्रोल खाता	5,000	5,000
टेलीफोन	3,000	3,000
3. अग्रिम प्रोदभूत आय :		
क. उदिष्ट व स्थायी निधि से निवेश पर	शून्य	शून्य
ख. अन्य - निवेशों पर	शून्य	शून्य
ग. ऋणों व अग्रिमों से	शून्य	शून्य
घ. अन्य (आय जो देय है परंतु प्राप्त नहीं हुई है, भी सम्मिलित है)	शून्य	शून्य
4. प्राप्ति योग्य दावे	शून्य	शून्य
योग (ख)	**13,20,905**	**3,58,188**
योग (क+ ख)	**42,95,238**	**31,89,102**

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम - केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय लेखा
अनुसूची-13 अनुदान / आर्थिक सहायता

(रकम रूपये में)

अप्रत्यादेय अनुदान / आर्थिक सहायता प्राप्ति	**चालू वर्ष**	**विगत वर्ष**
1. केंद्रीय सरकार	17,50,00,000	17,50,00,000
2. राज्य सरकार	शून्य	शून्य
3. सरकारी माध्यमों	शून्य	शून्य
4. संस्थानों / कल्याणकारी निकायों	शून्य	शून्य
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों	शून्य	शून्य
6. अन्य (विवरण सहित)	शून्य	शून्य
योग	**17,50,00,000**	**17,50,00,000**
गत वर्ष का शेष	**शून्य**	**शून्य**
योग	**17,50,00,000**	**17,50,00,000**

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम - केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय लेखा
अनुसूची-14 अनुदान / आर्थिक सहायता

(रकम रूपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	शून्य	शून्य
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	शून्य	शून्य
3. सेमीनार / प्रोग्राम शुल्क	शून्य	शून्य
4. परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
5. अन्य विवरण	शून्य	शून्य
चिडियाघरों की मान्यता / मान्यता नवीनीकरण प्रार्थना शुल्क से प्राप्ति	1,50,400	22,200
योग	**1,50,400**	**22,200**

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम - केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय की अनुसूची
अनुसूची-18 - अन्य आय

(रकम रूपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1. परिसंपत्तियों के विक्रय / निर्वतन पर लाभ		
क. मालिकाना परिसंत्तियों	शून्य	शून्य
ख. परिसंपत्ति यां जो अनुदान से ली गई हैं या निःशुल्क प्राप्त हुई हैं	शून्य	शून्य
2. निर्यात प्राप्त लाभ	शून्य	शून्य
3. विविध सेवाओं से प्राप्त शुल्क (आरटीआई)	4,595	2,570
4. विविध आय	70	7,606
योग	**4,665**	**10,176**

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम - केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय की अनुसूची
अनुसूची-20 - कर्मचारी वर्ग पर खर्च

(रकम रूपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. वेतन व मजदूरी	65,97,953	54,56,014
ख. भत्ते व बोनस	27,632	35,528
ग. प्रोविडेण्ट फण्ड के अंशदान	शून्य	शून्य
घ. अन्य निधियों को अंशदान (विवरण सहित)	शून्य	
सेवा निवृत्त पेंशन योजना	शून्य	1,70,447
ङ. कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय	3,31,557	3,10,020
च. कर्मचारियों के सेवानिर्वत	शून्य	शून्य
व सीमांत लाभों पर व्यय	शून्य	
छ. अन्य (विवरण सहित)	(-)37,342	
अवकाश वेतन अंशदान	शून्य	661,702
योग	**69,19,800**	**66,33,711**

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम - केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय की अनुसूची
अनुसूची-21 - अन्य प्रशासनिक व्यय, आदि

(रकम रूपये में)

व्यय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. क्रय (लेखन सामग्री)	158,349	256,002
ख. वाहन व ढुलाई भाड़ा	106,566	151,117
ग. मरम्मत व रख-रखाव	96,343	168,135
घ. वाहन के चलाने पर व्यय	179,680	270,968
ङ. वाहन के रख रखाव पर	76,284	77,679
च. पोस्टेज, टेलिफोन व कम्यूनिकेशन (प्रावधान रू. 10573)	510,604	1,367,050
छ. मुद्रण प्रकाशन व परियोडिकल्स	1,365,153	1,723,044
ज. यात्रा व्यय	823,628	1,695,524
झ. कानूनी खर्चें	10,990	4,000
ण. आतिथ्य पर व्यय	70,801	95,459
ट. प्रचार व प्रसार	1,793,353	शून्य
ठ. आडिट फीस	190,035	शून्य
ड. अन्य (विवरण सहित)		
बैंक प्रभार	13,895	107
अन्य कार्यालय खर्चे	1,508,527	1,256,252
सदस्यता शुल्क	323,936	3,260,970
परिसम्पत्तियों के विक्रय पर घाटा	शून्य	137,292
योग (I)	**7,228,144**	**10,463,599**
2. विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय प्रशिक्षण, कार्यशाला व सम्मेलन पर व्यय	5,983,151	8,805,831

(रकम रूपये में)

व्यय	चालू वर्ष	विगत वर्ष
शोध परियोजनाओं पर व्यय	4,972,026	4,829,105
चिड़ियाघरों के मूल्यांकन, अनुस्रवण पर व्यय	607,457	611,811
बंद चिड़ियाघरों को अनुग्रह धन भुगतान	शून्य	
जानवरों के परिवहन पर व्यय	76,700	शून्य
योग (II)	**11,639,334**	**14,246,747**
3. मंत्रालय को प्रत्यर्पणीय सहायता अनुदान का शेष		
कुल योग (I+II+III)	**18,867,478**	**24,710,346**

* टेलीफोन प्रभार व के लिए ऐसे व्यय का प्रावधान किया गया है। जो 2009-10 में देय हो चुका हैं लेकिन वास्तव में 2010-2011 में दिया जायेगा ।

वित्तीय विवरणिका (अलाभकारी संगठन)
संगठन का नाम - केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.3.2010 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय की अनुसूची
अनुसूची-22 - अनुदानों / आर्थिक सहायताओं पर व्यय

(रकम रूपये में)

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
क. संस्थानों / संगठनों को दिये गये अनुदान		
विभिन्न चिड़ियाघरों को दिया गया अनुदान	14,73,00,061	14,27,13,391
मंत्रालय को वापस किया जाने वाला अनुदान	शून्य	शून्य
ख. संस्थानों / संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता	शून्य	शून्य
योग	**14,73,00,061**	**14,27,13,391**

अनुसूची - 24 सार्थक लेखा नीतियां

1. **लेखों का आधार**

वित्तीय विवरणियां उपार्जन के आधार पर ऐतिहासिक मूल्य परम्परा के अनुसार तैयार की गई है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा पद्धतियों से स्वीकार्य है।

2. **परिसम्पत्तियां**

परिसम्पत्तियां अर्जित मूल्य में से संचित मूल्यह्रास को कम करके दर्शायी गयी है।

3. **मूल्यह्रास**

परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम में दिए गए " रिटेन डाउन वैल्यू मैथड" के अनुसार दिया गया है। सितम्बर के बाद अर्जित परिसंपत्तियों को परिसम्पत्तियों को परिसंपत्ति के लिए निर्धारित मूल्यह्रास की आधी दर से मूल्य ह्रास दिया गया है।

4. **सामान्य**

लेखा नीतियां अलग से नहीं दर्शायी गई है परंतु सामान्य स्वीकार्य लेखा पद्धतियों के अनुसार है।

अनुसूची - 25 आकस्मिक देनदारियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देनदारियां
   अनाधिकृत दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया - कोई नहीं (पिछले वर्ष - कोई नहीं)

2. पूंजीगत वायदे
   ऐसी संविदाए जिनहें पूंजीगत खातों में निष्पादित किया जाना शेष हैं एवं नहीं दिया गया है का आंकलित मूल्य (शुद्ध अग्रिम) - कोइ नहीं।

3. चालू परिसंपत्तियां, ऋण व अग्रिम
   प्रबंधन के विचार में, चालू परिसंपत्तियों, ऋण व अग्रिम का कार्य के साधारण क्रम में प्रत्यक्ष मूल्य, तुलन पत्र में दर्शायी गई संकल राशि के बराबर है।

4. पिछले वर्ष संबंधी आंकड़ों को, जहां पर जरूरी समझा गया है, नये क्रम में इकट्ठा किया गया है।

5. अनुलग्न का अनुसूचियां (1 से 25 तक), 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र एवं आय व व्यय खातों का समग्र भाग है।

6. विभिन्न चिड़ियाघर को दी गई राशि को उसी वर्ष में लेखांकित किया गया है, जिस वर्ष में राशि जारी की गई।

7. प्राधिकरण भारतीय जीवन बीमा निगम की अधिवार्षिता योजना में योगदान दे रही है। मार्च, 2010 को इसमें 7.37 लाख रू. जमा हो चुके हैं।

अनुलग्नक-XIII

मार्च, 2008 में समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, केद्र सरकार (अनुपालन लेखा परीक्षा) सं. सीए16, वर्ष 2008-09, 10 जुलाई, 2009 को संसद में प्रस्तुत की गई

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र, नई दिल्ली

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सी जेड ए), जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत है, जो चिड़ियाघरों मं जानवरों की संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण सुनिश्चित करने वाली एजेंसी की बजाय अनुदान रिलीज करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य किया। सीजेडए चिड़ियाघरों में जानवरों के प्रभावी संरक्षण / प्रजनन कार्यक्रम सुनिश्चित करने में असफल रहा। इसने संकटापन्न प्रजातियों की सूची पूर्णतः निर्धारित नहीं की थी और संकटापन्न 63 निर्धारित प्रजातियों में से केवल तीन प्रजातियों के लिए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम संचालित किया। उच्च मृत्युदर के कारण देशभर में चिड़ियाघरों में संकटापन्न जानवरों की संख्या में कमी हुई। अधिकांश चिड़ियाघरों में जानवरों यथा बाघ, साम्बर / चित्तीदार हिरण, चीता आदि संख्या जो अधिक है। सीजेडए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित जानवरों की अनुकूलतम संख्या से काफी अधिक है। सीजेडए इस बात से अनभिज्ञ था कि क्या चिड़ियाघर इसके अनुपालन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंडों एवं विनियमों का पालन कर रहे थे ताकि चिड़ियाघरों में जानवरों का समुचित स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि इसने चिड़ियाघरों की कार्यप्रणाली की कोई नियमित निगरानी नहीं की। सीजेडए में वित्त प्रबंधन तंत्र भी सुदृढ़ नहीं था क्योंकि सीजेडए इस बात की निगरानी करने में असमर्थ था कि क्या इनके द्वारा रिलीज की गई निधियां स्वीकृत प्रयोजन के लिए राज्य चिड़ियाघरों द्वारा वास्तविक रूप से खर्च किया जा रहा है?

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिय केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, (के॰ चि॰ प्रा॰) के लेखाओं पर भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

1. हमने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (के॰ चि॰ प्रा॰) के संलग्न तुलन पत्र और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38 जी के साथ पठित नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अर्न्तगत उस तारीख का समाप्त वर्ष के लिए आय एवं उत्तरदायित्व के॰ चि॰ प्रा॰ के प्रवन्धन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करता है।

2. इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण प्रथाओं के साथ अनुरूपताऐं लेखाकरण मानकों प्रकटन मानकों आदि के सम्बन्ध में केवल लेखाकरण व्यवहार पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी॰ ए॰ जी॰) की टिप्पणियाँ शामिल है। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं अनियमितता) तथा दक्षता एवं निष्पादन पहलुओं आदि के अनुपालन के सम्बन्ध में वित्तीय लेन–देन पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदनों सी॰ ए॰ जी॰ के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती है।

3. हमने भारत के सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम इस विषय में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त है, योजना बनाते है और लेखापरीक्षा करते है। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जाँच करना, रकमों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होते है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखाकरण सिद्वान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्याँकन भी शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत के लिए समुचित आधार मुहैया करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

   (1) हमनें वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

   (2) इस रिपोर्ट में डील किए गए तुलन–पत्र और आय एवं व्यय लेय/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत, सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मेट में तैयार किए गए हैं।

   (3) हमारी राय में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किए गए लेखओं की समुचित बहियाँ और अन्य सुसंगत अभिलेख, जहाँ तक ऐसी बहियों के सम्बन्ध में हमारी जांच से प्रकट होता है, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38 जी के अर्न्तगत अपेक्षित है।

   (4) हम आगे रिपोर्ट करते है कि:

(क) सहायता अनुदानः-

प्राधिकरण ने वर्ष 2009-10 के दौरान 1773.58 लाख रूपए (1750 लाख रूपये, वर्ष 2009-10 के लिए और 23.58 लाख रूपए वर्ष 2008-09 की अप्रयुक्त बकाया राशि) का सहायता अनुदान प्राप्त किये। प्रधिकरण द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त 1773.58 लाख के सहायता अनुदान में से 1757.14 लाख रूपए व्यय किए गए, फलस्वरूप 16.44 लाख रूपए सहायता अनुदान के अप्रयुक्त रह गए।

(ख) प्रबन्धन पत्रः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल न की गई कमियाँ उपचारी/सुधारात्मक कार्यवाही के लिए पृथक रूप से प्रबन्धन पत्र के माध्यम से सदस्य सचिव, के॰ चि॰ प्रा॰ की सूचना में लाई गई है।

(5) पिछले पैराग्राफों में हमारी अभ्युक्तियों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल किए गये तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा लेखाओं के बहियों के अनुरूप है।

(6) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखाकरण की नीतियों एवं लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित वित्तिय विवरण तथा उर्पयुक्त उल्लेखित महत्वपूर्ण मामलें तथा उल्लिखित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ सलंग्न अनुबन्धम में उल्लिखित अन्य मामलें भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते है।

(क) जहाँ तक यह 31 मार्च, 2010 के केन्द्रीय चिड़ियघर प्राधिकरण के कार्यो के तुलनपत्र से सम्वन्धित है, और

(ख) जहाँ तक उस तारीख के समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष आय एवं व्यय लेखा से सम्वन्धित है।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से व के लिए।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वैज्ञानिक विभाग)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक :

1/15 CZA

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए अनुबन्ध-1

1. आन्तरिक लेखापरीक्षा प्राणाली की उपयुक्ता

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा खण्ड नहीं है गठन के पश्चात आन्तरिक लेखा परीक्षा नही की गई है।

प्राधिकरण ने बताया, की यह एक छोटा सा कार्यालय है व इतने छोटे कार्यालय के लिए पृथक आन्तरिक लेखा परीक्षाखण्ड की आवश्यकता नहीं समझी गई।

2. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की उपयुक्ता

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में कुछ सुधार की गुंजाइस है, क्यों कि निम्न कमियाँ पाई गईः

(अ) यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शीर्षों के अधीन व्यय बजट प्रावधानों के अर्न्तगत रहा, व्यय नियन्त्रण रजिस्टर नही बनाया गया।

(व) दीर्घावधि अग्रिमों की वसूली के नियन्त्रण हेतु भी कोई ब्राडशीट नहीं बनाई गई।

(स) एक मूल्यवान पंजिका के बनाने की आवश्यकता है। जिसमें बाहर से प्राप्त होने वाले चेक व डिमांड ड्राफट की प्रवृष्टि हो और यह ज्ञात हो सके कि ये चेक व डिमांड ड्राफट नियत समय पर जमा किए गए है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में यह पंजिका नहीं बनाई गई है।

(द) समयोग परिभत्ता, स्थानीय वाहनभता और टेलीफोन की पंजिकाऐं नही है, इन पंजिकाओं के अभाव में , सरकार द्वारा निश्चित की गई, समयोग परिभत्ता स्थानीय वाहनभता की सीमा का सत्यापन नहीं किया जा सका, ई॰ डी॰/सुरक्षा पंजिकाऐं भी नहीं बनाई गई है।

(य) टी॰ आर-5 और चेकबुक की माल रजिस्टर भी नहीं वनाई गई है, इनके अभाव में लेखापरीक्षा के दौरान इन टी॰ आर-5 और चेकबुक की आधिकरिता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

3. निश्चित परिसम्पतियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

परिसम्पतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन बार्षिकी किया गया है।

4. मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया।

5. सांविधिक प्राप्यों के भुगतान में नियमितताः

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से किया गया।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा